खण्ड-337, अंक-2
शुक्रवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1900
(9 मार्च, 1979 ई0)

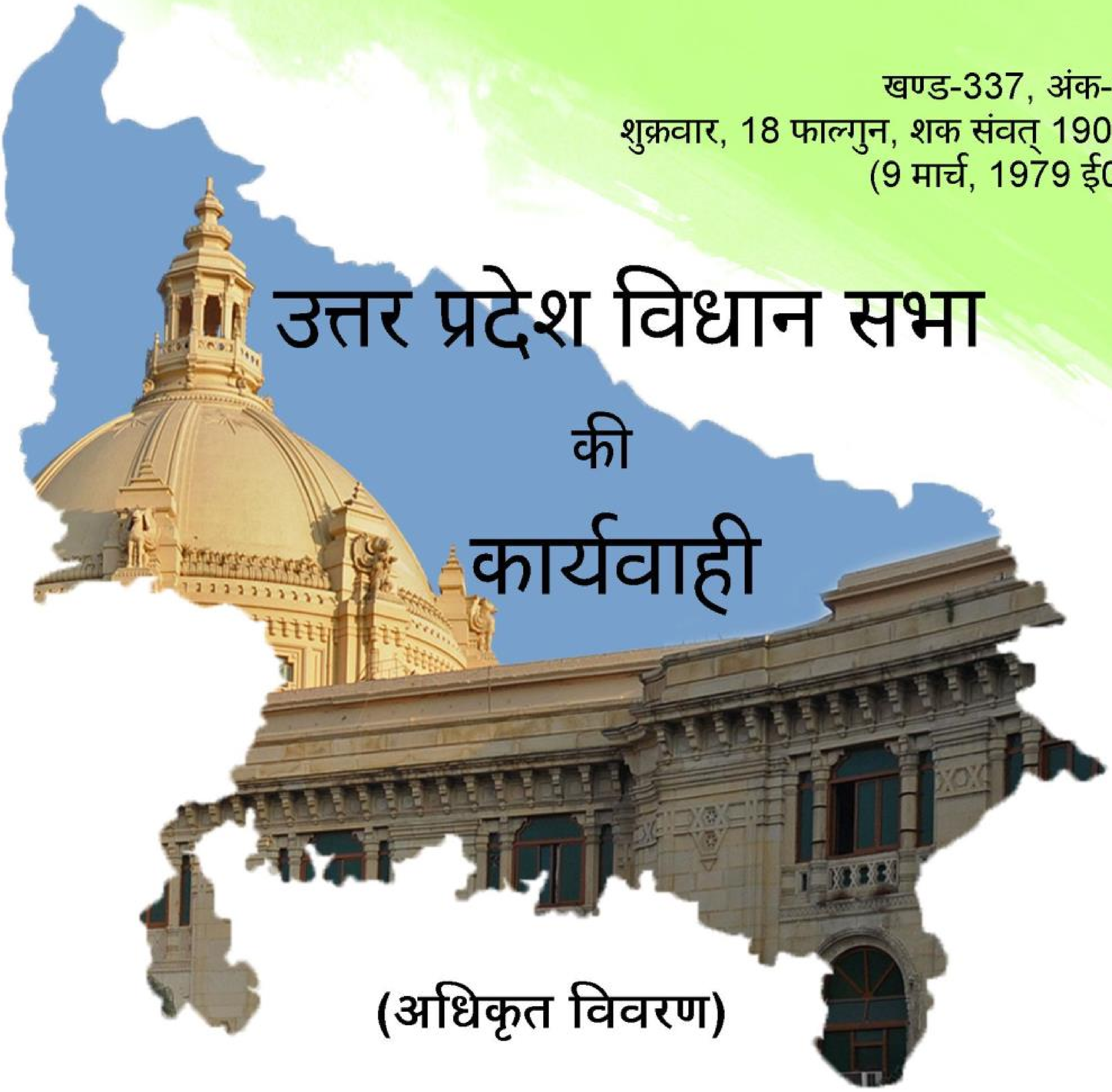

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 337 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	53
प्रश्नोत्तर	58
विविध विषय (जारी)	100
बाजार में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव तथा अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	101
बस्ती जिले में कतिपय पिस्तौलधारी गुण्डों द्वारा नर्सों के साथ सामूहिक बलात्कार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	102
राज्य सरकार के अधीन सेवारत मोटर चालकों द्वारा चलाये जा रहे शान्तिपूर्ण संघर्ष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	102
सेक्सरिया चीनी मिल, वभनान, जिला गोण्डा में श्रमिकों का बकाया तथा हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	103
प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	103
फतेहपुर, पैतेपुर, महमूदाबाद गन्ना क्रय केन्द्रों से खरीदे गये गन्ने का मूल्य कृषकों को भुगतान न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	104
माध्यमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान न होने से असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	104
बलिया जनपद में किरोसिन आयल की चोर बाजारी तथा जनता में वितरण न होने से परेशानी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	105
हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा तथा जनता में व्याप्त असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	106
प्रतापगढ़ जनपद में बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	106
दैनिक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड, नव जीवन व कौमी आवाज के कार्यालयों में गैर कानूनी तालाबन्दी तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	106
विविध विषय (जारी)	107
प्रदेश में जेल निरीक्षकों की नियुक्तियां रद्द करके नई नियुक्तियां किये जाने पर आपत्ति	108
छठी पंचवर्षीय योजना तथा सातवीं फाइनेन्स कमीशन के प्रारुप की प्रतियां सदन के सदस्यों को दिये जाने की मांग	110
सूचना विभाग की डायरी में ललितपुर जिले का उल्लेख न होने पर आपत्ति ..	113
विविध विषय	113
प्रश्नों के उत्तर में श्री नारायण सिंह के पद मे उप मुख्य मंत्री लिखे होने पर आपत्ति ..	114
आज की कार्य सूची के कतिपय मदों तथा धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों में दो सदस्यों के नाम लिखे होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	115

विषय	क्रम-संख्या
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनायें	120
स्टेक बैंक आफ इण्डिया की फैजाबाद शाखा के मैनेजर तथा कैशियर के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	121
स्वतन्त्र भारत के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	121
हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे लेख किस्सा कुर्सी का जनता स्टाईल के लेखक श्री क0 आर0 सुन्दराजन तथा पत्र के प्रकाशक व मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	122
फोर्ट डिपो बस नं0 यू0 टी0 आर0 9816 के चालक व परिचालक तथा ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस कांस्टेबिल के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	124
पी0 टी0 आई0, लखनऊ के मैनेजर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	124
कतिपय विधेयकों में किये गये शाब्दिक संशोधनों में कार्य सूची में हुई त्रुटियों का श्री उपाध्यक्ष द्वारा निराकरण	125
राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट को शुद्ध करके सदन के पटल पर रखने का श्री उपाध्यक्ष का निर्देश	126
सदन को आहूत करने की सूचना अंग्रेजी में दिये जाने के विषय में उठायी गयी आपत्ति पर श्री उपाध्यक्ष की व्यवस्था	127
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	128
राजकीय अन्ध विद्यालय के छात्रों को उन्हें पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में वक्तव्य	129
प्रदेश में शीत गृह मालिकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से आलू उत्पादकों की कठिनाइयों के संबंध में संशोधित वक्तव्य	132
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	134
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	135
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा करने के संबंध में संकल्प (जारी)	139
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	164
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा करने के संबंध में संकल्प (जारी)	164
1978–79 के अनुपूरक अनुदान	168
नत्थियां	169

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--- 384

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव , श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री
बंसत, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ , श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगौती सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम , श्री

मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन , श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुखतार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र , श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे , श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
रामफेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क , श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री

श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त , श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र , श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हेम राज, श्री

नोट:—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री राम अधार पांडेय भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 9 मार्च, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चने का समर्थन मूल्य

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चने का समर्थित मूल्य किस दर पर घोषित किया गया है तथा शासन द्वारा काश्तकारों से चना खरीदने की क्या योजना है ?

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—

मारकेटिंग वर्ष 1979–80 के लिये भारत सरकार ने चने का समर्थन मूल्य रु0 140 प्रति क्विंटल घोषित किया है । शासन का विचार है कि आवश्यकतानुसार चने की खरीद गेहूं की भांति सीधे किसानों से मूल्य समर्थन योजना के अधीन की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी चने की उत्पादन लागत को काश्तकार को जो वस्तुयें खरीदनी पड़ती है, उनमें कृषि उत्पादन की तुलना में अत्यधिक मूल्य वृद्धि तथा दाल उत्पादन को प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सिफारिश की है कि चने का समर्थन मूल्य 140 रु0 से बढ़ा दिया जाए ? यदि हां, तो क्या संस्तुति की है और यदि सिफारिश नहीं की गई है, तो क्या माननीय मंत्री जी भारत सरकार से इसके लिए सिफारिश करने की कृपा करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

यह भाव केन्द्र द्वारा जो कीमतें निश्चित होती हैं, उसके आधार पर हैं । मैं देखूंगा, क्योंकि इस समय मार्केट में जो चने का थोक भाव चल रहा है वह 191 रु0 16 पैसे प्रति क्विंटल है । अगर इससे नीचे कोई बात आएगी, तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने कोई संस्तुति की है केन्द्र सरकार से कि यह जो दाम हैं यह कम हैं ?

श्री मलिखान सिंह—

मैंने इसके ऊपर अभी कोई विचार नहीं किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । मैंने पूछा था कि इस समर्थन भाव से काश्तकार को कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिये कोई संस्तुति करेंगे या नहीं करेंगे ? किसानों के हित में काम करने वाली सरकार से पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर उन्होंने कह दिया कि मैं संस्तुति करने पर विचार करूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब केन्द्रीय सरकार ने चने का भाव निर्धारित किया उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई संस्तुति की थी कि चने का रेट कितना होना चाहिए ? उसका उत्पादन मूल्य कितना है और कितना रिम्यूनरेशन किसानों को मिल सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

सम्भवतः उनको इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

जब रेट तय किया गया था तब क्या यू० पी० गवर्नमेंट से पूछा गया था कि क्या रेट होना चाहिए या कोई संस्तुति की गई थी ?

श्री मलिखान सिंह—

मेरी जानकारी में ऐसी कोई चीज नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

इनकी जानकारी में कुछ नहीं है, तो क्या इस पर विचार होना चाहिए ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी ने सूचना दी है कि शासन का विचार है कि आवश्यकतानुसार चने की खरीद गेहूं की भांति सीधे किसानों से मूल्य समर्थन योजना के अधीन की जाए। जब गेहूं की खरीद हो रही थी, मेरे सीतापुर जिले में केवल 4 खरीद केन्द्र खोले गये थे, जबकि सम्पूर्ण प्रदेश में कुल 250 केन्द्र थे जिससे किसान सीधे खरीद केन्द्र पर माल नहीं ला पाते थे । मैं जानना चाहता हूं कि किसान सीधे खरीद केन्द्र पर माल ल जा सकें, इसके लिए क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि किसान को अपना माल सीधे ले जाने पर 4–5 मील से अधिक न ले जाना पड़े ?

श्री मलिखान सिंह—

मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि पिछली बार क्या हुआ, इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है, लकिन आग ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा प्रश्न था क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि काश्तकार को 4, 5 मील से अधिक नहीं जाना पड़ेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

चने की खरीद के लिये जैसा अभी खाद्य मंत्री जी ने कहा कि गेहूं की तरह व्यवस्था की जायगी और इस बात का प्रयास किया जायगा कि किसी भी उत्पादक को 5 और 7 मील के रेडियस से अधिक न जाना पड़े और उनको भुगतान में भी किसी तरह की कठिनाई न हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रश्न संख्या 2 ले रहा हूं ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मुझे एक प्रश्न कर लेने दीजिये। मुख्य मंत्री ने अभी उत्तर दिया कि ऐसी व्यवस्था की जायगी कि उत्पादक को 5 व 7 मील से ज्यादा न जाना पड़े, तो पूरे प्रदेश में कितने इस प्रकार के केन्द्र खोले जायेंगे ?

श्री बनारसी दास—

मैं समझता हूं कि श्री ब्रह्मदत्त जी साधारण गणित अवश्य जानते हैं। जितनी आवश्यकता होगी केन्द्रों की उसका पूरी तरह से विस्तार किया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आपने रवीन्द्र नाथ तिवारी को बुलाया लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने प्रश्न कर लिया और मुख्य मंत्री ने उठकर जवाब दे दिया। आप इस बात की व्यवस्था दें और अपने मन से यह निकाल दें कि वह अध्यक्ष थे और आप उपाध्यक्ष। अब वह मुख्य मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता सदन जब कभी उठते हैं तो उनको आज्ञा देनी पड़ती है इसलिये मैंने मुख्य मंत्री जी को आज्ञा दे दी।

श्री बनारसी दास—

श्री मैनेजर सिंह बड़े पुराने सदस्य हैं। उनको इतना नियम समझना चाहिये कि मुख्य मंत्री अथवा अन्य सहयोगी मंत्री अपने साथी मंत्री का उत्तर देने में सहायता कर सकता है और यह मुख्य मंत्री का कर्तव्य है, यदि वह आवश्यक समझें तो उत्तर दें। मुझे अत्यन्त खेद है कि मैनेजर सिंह जी नियमों को जानते हुए भी इस प्रकार का अनावश्यक व्यवधान करते हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वह उत्तर दे सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न समाप्त हो गया और आपने नाम भी पुकार लिया। फिर वह किस हैसियत से खड़े हो गये ? आपकी व्यवस्था है कि एक प्रश्न जब समाप्त हो जायगा और दूसरा प्रश्न ले लिया जायगा तो पहले पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जायगी। अब मुख्य मंत्री जी नियम विरुद्ध खड़े हो गये और आपने उनको अध्यक्ष मानकर इजाजत भी दे दी। वैसे वह सर्वेसर्वा हैं, हमारे भी नेता हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता सदन जब कभी उठते हैं तो उनको आज्ञा देनी चाहिये, इसलिये मैंने मुख्य मंत्री को आज्ञा दी।

श्री देव बहादुर सिंह—

चाहे मुख्य मंत्री हों अथवा नेता विरोधी दल हों.....

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या बिना आपकी अनुमति के अगर माननीय नेता विरोधी दल अथवा माननीय नेता सदन खड़े हो जायेंगे तो केवल खड़े होने से आप उनको इजाजत दे देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

खड़े होने का अधिकार तो सबको है।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

आप उनको बोलने की इजाजत भी दे देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं तथा नोटीफाइड एरियाओं के चुनाव की मांग

**2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फजाबाद) श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं तथा नोटीफाइड एरियाओं के चुनावों को कराने हेतु चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और जनता द्वारा चुनी गई स्वायत्त संस्थाओं की कमेटियां प्रदेश में कब से विधिवत् कार्य करना शुरू कर देंगी ? यदि नहीं, तो इस बारे म शीघ्र निर्णय करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है और यह चुनाव कब तक सम्पन्न करा दिये जायेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामाधार पांडेय)—

प्रदेश में स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन की तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है। सामान्य निर्वाचन शीघ्रातिशीघ्र कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने पहले ही आपसे आपके पक्ष में कह दिया था कि मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया है। मेरे प्रश्न के दो हिस्से थे जिसमें पहले हिस्से का तो जवाब आ गया है लेकिन दूसरे हिस्से का जवाब नहीं आया है। दूसरा हिस्सा इस प्रकार था कि "यदि नहीं, तो इस बारे में शीघ्र निर्णय करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है और यह चुनाव कब तक सम्पन्न करा दिये जावेंगे।" इसका जवाब नहीं आया है। मान्यवर, म आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें दो अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर देते हैं और इस तरह से अपूर्ण जवाब आयेंगे और आप नहीं दिलायेंगे, तो फिर कसे होगा ? इसलिये पहले मेरे प्रश्न का पूरा जवाब दिला दें तब मैं दो अनुपूरक प्रश्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, पूरा उत्तर आना चाहिये था।

श्री रामाधार पांडेय—

श्रीमन्, सदन की भावना से हम लोग अवगत हैं और जनतांत्रिक अधिकारों से भी अवगत हैं। कुछ कठिनाइयां थीं जैसे नये इलेक्टोरल रौल का बनाया जाना और दूसरी चीज, प्रदेश में किन्हीं कारणों से ऐसी स्थिति फैल गई थी जिससे चुनाव कराना वाजिब नहीं हो सका। मैं बताना चाहता हूं कि शासन का पूरा मकसद है और फैसला भी है कि शीघ्रातिशीघ्र चुने हुए निकायों और चुने हुए प्रतिनिधियों को स्थानीय निकायों की व्यवस्था और शासन उनके हाथ में दे दिया जाय। जितनी जल्दी होगा, बिना किसी विलम्ब के एक निश्चित तिथि आपके सामने रखी जायेगी और उस तिथि तक चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आपकी अनुमति से म माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन-कौन से कारण और परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से पिछली बार चुनाव टाले गये थे और निर्वाचन शीघ्रातिशीघ्र कराने के लिये कौन-कौन से कदम मौजूदा सरकार द्वारा उठाये गये हैं और इस सम्बन्ध में क्या-क्या आदेश अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे गये हैं ?

श्री रामाधार पाण्डय--

मान्यवर, कठिनाइयों के बारे में तो मने पहले ही थोड़ा सा जिक्र कर दिया था कि चुनाव प्रक्रिया के लिये वोटर्स लिस्ट बनाना बहुत आवश्यक था और वह प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है और दूसरी कठिनाई की तरफ मैंने ध्यान दिलाया था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां इस प्रदेश में पैदा हो गयी थीं और अधिकारियों की कुछ ऐसी रिपोर्ट आयी और खास तौर से कानपुर का टेस्ट मैच तथा अलीगढ़ का दंगा था--इन परिस्थितियों में चुनाव नहीं कराये जा सके। किन्तु मैं माननीय तिवारी जी को फिर से आश्वासन देना चाहता हूं कि अबकी बार चुनाव प्रक्रिया में देर नहीं होगी और शीघ्र ही आपको अवसर मिलेगा कि हम एक निश्चित तिथि आपको बता सकेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गत अधिवेशन के समय पर माननीय भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि 9 फरवरी तक चुनाव निश्चित रूप से करा दिये जायेंगे। क्या आज माननीय मंत्री जी सदन में दिये गये इस आश्वासन को पूरा करने के लिये कि इस तिथि तक चुनाव करा लिये जायेंगे, सदन को आश्वस्त करते हैं ?

श्री रामाधार पाण्डेय--

श्रीमन्, थोड़ी सी विडम्बना भी है। जहां तक मुझे सदन की कार्यप्रणाली का ज्ञान है एक माननीय मंत्री जी ने शायद कोई तिथि दी थी और विभाग बदल गया था। दूसरे माननीय मंत्री जी ने भी एक आश्वासन दिया था। परिस्थितियां में बता चुका हूं कि चुनाव नहीं हो पाये। मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे थोड़ा सा अवसर दें और मैं समझता हूं कि शासन इस बात में सक्षम है, देर नहीं होगी, चुनाव जल्दी हो जायेगा। निश्चित तिथि बताने में मैं अभी तो सक्षम नहीं हूं लेकिन बहुत जल्दी ही एक तिथि बता दूंगा।

(श्री केशरी नाथ त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि मंत्री जी इन चुनावों को किस तिथि तक यानी एक महीने दो महीने तीन महीने, में कब तक निश्चित रूप से करा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि शीघ्रातिशीघ्र तिथि के बारे में अवगत करा देंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर उत्तर नहीं दिया होता तो मैंने उनको टोका होता।

श्री विजय राज सिंह--

प्रश्नकर्ता में मेरा नाम है मुझे मौका न देकर मेरे अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)--

मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि जब तक इन स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो जायेंगे तब तक शासन की ओर से कोई भी सदस्य उनके अध्यक्ष या किसी अन्य रूप में मनोनीत नहीं किये जायेंगे ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

मान्यवर, जहां तक यह सवाल है यह पुराने सवाल की परिधि के अन्दर नहीं आता इसलिये उसका जवाब देने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है? यह तो नीति का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी, जिस प्रश्न की मैंने इजाजत दी हे उसके बारे में आपको स्पष्ट उत्तर हाउस में देना चाहिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह परिधि के बाहर है।

एक सदस्य—

मंत्री जी को अभी दो ही दिन हुए आये हुए। उत्तर मालवीय जी से पूछ लें। (व्यवधान) बहुगुणा जी से पूछ लें।

श्री रामाधार पाण्डेय—

मान्यवर, इस सवाल के दो पहलू हैं। जहां तक त्रिपाठी जी के सवाल का प्रश्न है मैं इतना ही कहने के लिये तैयार हूं कि जैसा त्रिपाठी जी चाहते हैं जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जायेगी कोई ऐसा मनोनयन नहीं होगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव की तिथि घोषित करने में यह दिक्कत है कि पहले मंत्री जी ने चुनाव की तिथि घोषित की तो वह बरखास्त कर दिये गये और दूसरे मंत्री जी ने तिथि घोषित की तो उनसे त्यागपत्र मांग लिया गया? तो क्या आप भी डर रहे हैं कि चुनाव की तिथि घोषित करूंगा तो मैं भी बरखास्त हो जाऊंगा?

(कोई उत्तर न आने पर) इसका जवाब दिलवा दें?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर आप स्वयं समझ लीजिये।

श्री विजय राज सिंह—

जहां तक मेरी जानकारी है तत्कालीन मुख्य मंत्री को उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष.....

श्री उपाध्यक्ष—

सीधा प्रश्न करें।

श्री विजय राज सिंह—

प्रदेश जनता पार्टी अध्यक्ष ने यह सिफारिश की थी कि जनता पार्टी के आंतरिक चुनाव नहीं हुए हैं इसलिए स्थगित कर दिये जायं। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर जनता पार्टी का संगठन आक्सीजन पर जीयेगा तो क्या लोगों को उनके जनतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत मैं नहीं देता।

होली की छुट्टी

**3—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर) श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष होली के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर केवल एक दिन का अवकाश किस कारण दिया गया तथा इसे गत वर्षों की भांति 3 दिन का अवकाश तुरन्त घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों में सामंजस्य रखने के अभिप्राय से राज्य सरकार द्वारा होली की एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है । इसके अतिरिक्त 15 मार्च, 1979 को निर्बन्धित अवकाश भी राज्य सरकार ने घोषित किया है ।

होली के उपलक्ष में तीन दिन का अवकाश घोषित करना राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार नहीं होगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताएगी कि पिछले तीन वर्षों से होली का एक दिन से अधिक का अवकाश होता था, तो अब कौन सी नई नीति स्थापित हो गयी है, जिसके कारण तीन दिन का अवकाश करने में उन्हें व्यवधान है ?

श्री बनारसी दास—

गत वर्ष होली के समय एक तो रविवार आ गया था और एक छुट्टी नियमित थी और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत एक दिन की छुट्टी और दी थी, लेकिन इस वर्ष राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि एक कैलेंडर में—एक वर्ष में 16 से अधिक छुट्टियां नहीं होंगी । हमें उसके अनुसार ही सामंजस्य करना होगा । साथ ही यह भी निश्चित किया गया है कि निर्बन्धित छुट्टियां 22 से अधिक नहीं होंगी और कर्मचारियों को 22 छुट्टियों में से 2 छुट्टियां लेने का अवसर मिल सकेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जैसा कि वह घोषित करते हैं उनका शासन धर्मनिरपेक्ष है, तो क्या इसी कारण होली की छुट्टी घटाकर धर्म-निरपेक्षता सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है ?

(मुख्य मंत्री को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया ।)

श्री रवीन्द्र सिंह—

होली की छुट्टी का एक दिन से अधिक का अवकाश अत्यन्त ही आवश्यक और व्यवहारिक है, इसे आप स्वयं भी जानते होंगे । आप स्वयं देखें, 13 तारीख को छुट्टी नहीं है और कर्मचारियों को सैकड़ों मील दूर स्थित अपने घरों को जाना और वहां से वापस आना होता है, तो यह एक दिन में कैसे हो पायेगा? तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार 13 तारीख को भी छुट्टी करने पर विचार करेगी?

श्री बनारसीदास—

माननीय रवीन्द्र सिंह एक प्रगतिशील युवक हैं, वह जानते हैं कि इस गरीब देश में जितनी छुट्टियां हैं, संसार में कहीं होती हैं और भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि 16 से ज्यादा छुट्टियां न हों । इसलिए इस सरकार ने भी निश्चय किया है कि ऐसा

ही किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों, किसानों और मजदूरों को कोई छुट्टी नहीं होती है, छुट्टियां तो सरकारी नौकरों की होती हैं। इसलिये 13 तारीख को छुट्टी देना सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नैनीताल जिले के ग्राम अलखदेवी के श्री बूटा राम, श्री बाबू राम आदि को भूमि का आवंटन

*1—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1972 में जिला नैनीताल के तहसील गदरपुर के गांव अलखदेवी में श्री बूटा राम पुत्र श्री गुलाब चन्द्र, श्री बाबूराम पुत्र श्री बूटा राम, श्री कस्तूरी लाल, श्री योगेन्द्र लाल, श्री रतन लाल तथा श्री छोटे द्वारिका प्रसाद पुत्र इतवारी को आवास भूमि का पट्टा दिया गया था? यदि हां, तो क्या इन लोगों को आवास भूमि मिल गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

जी हां। इन लोगों में से प्रत्येक को वर्ष 1972 में आवास हेतु 150 वर्ग गज भूमि का पट्टा दिया गया था। इन सभी लोगों को वर्ष 1972 में ही आवंटित भूमि का कब्जा भी दे दिया गया था।

श्री देवबहादुर सिंह—

मंत्री जी बताने की कृपा करें कि जो सूचना वह दे रहे हैं, उसकी जांच किसने की? क्योंकि मेरी अपनी जानकारी है कि इन सातों को आवास-स्थल पर अब तक कब्जा नहीं मिला है और मेरी जानकारी को निश्चित जानकारी मानकर क्या वह दुबारा इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

माननीय सदस्य ऐसी कोई अप्लीकेशन देंगे तो किया जाएगा। आप लिखकर दें तो हम जांच करा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो अपनी जानकारी के आधार पर ही उन्होंने कहा है कि इन आवंटियों को अभी तक कब्जा नहीं मिला है, तो आप यह बताएं कि किस अधिकारी ने मौके पर जांच की ? यह सूचना हो तो आप दे दें ?

श्री नारायण सिंह—

मैंने कहा, जांच तो उस वक्त करायी जाती अगर मेरे पास शिकायत आती कि उनको पट्टा नहीं दिया गया, उनका कब्जा नहीं है। मैं कहता हूं कि पट्टे दिये गये और कब्जा है। अगर आप चाहते हैं तो जांच करा ली जायगी।

श्री देवबहादुर सिंह—

मेरा प्रश्न यह था, हमने प्रश्न पूछा, तो विभाग ने जांच करायी होगी। मैं जानना चाहता था कि किस अधिकारी ने जांच की है, उस अधिकारी का मंत्री जी नाम बताएं जिसने उत्तर भेजा और जिस जानकारी के आधार पर वह कह रहे हैं ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो सूचना है वह गलत है। आज तक उनको कब्जा नहीं दिया गया है। इसलिये यह जो उत्तर है, इसकी जांच पुनः करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

आपके कथनानुसार अगर वाकई में यह बात है तो जांच करवा देंगे। लेकिन कोई शिकायत नहीं आयी। पहली दफा आप कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी यह बताएं, जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया तो आपने किसी से जांच करायी होगी? वहां जांच परगना अधिकारी, तहसीलदार या किस अधिकारी ने की?

श्री नारायण सिंह—

जांच तो उस वक्त करायी जाती, अगर कोई प्रार्थना-पत्र आता। जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। पट्टे दिये गये और उनका कब्जा हो गया। आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो जांच करा ली जायगी।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय देवबहादुर सिंह यह कहते हैं कि उनकी जानकारी है कि इनमें से किसी को कब्जा नहीं मिला है। अब इसकी जांच करवा लें और आप जानकारी दे दें। अब दूसरे प्रश्न की आवश्यकता नहीं है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

प्रश्न बिल्कुल साफ है। जब माननीय सदस्य ने प्रश्न दिया तो उसकी जांच हुई होगी। अब प्रश्न यह है कि प्रश्न के बाद जांच की गयी, वह किस अधिकारी ने की, यह माननीय मंत्री जी बता दें?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया और पुनः जांच करने का आश्वासन दे दिया। अब उसमें कोई बात बाकी नहीं रह जाती, जो माननीय मंत्री से पूछें।

श्री देवबहादुर सिंह—

आपने भी हमारी सहायता की। यह अच्छा हुआ कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया कि पुनः जांच करवायेंगे। जब मैंने प्रश्न पूछा तो कोई जांच के लिए गया होगा और उत्तर प्रस्तुत किया। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से अधिकारी ने जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत किया, क्योंकि माननीय मंत्री और सदन को गुमराह किया है, इस लिए नाम जानना चाहता हूं?

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी पत्रावली में देख लें कौन सा अधिकारी मौके पर गया।

श्री नारायण सिंह—

प्रश्न था कि क्या श्री बूटा राम पुत्र श्री गुलाब चन्द्र, श्री बाबूराम पुत्र श्री बूटा राम' श्री कस्तूरी लाल, श्री योगेन्द्र लाल, श्री रतन लाल तथा श्री छोटे द्वारिका प्रसाद पुत्र इतवारी को आवास भूमि का पट्टा दिया गया था? यदि हां, तो क्या इन लोगों को आवास भूमि मिल गयी? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों? उत्तर है कि पट्टा दे दिया गया और कब्जा भी दे दिया गया। उनका कहना है कि नहीं दिया गया तो जांच करवा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि जो आपके पास उत्तर आया है जिला अधिकारी ने कौन से अधिकारी के जरिये से मौके पर जांच करायी, जिन आवंटियों के नाम सरकारी कागजात में आवंटन किया गया है, उ को मौके पर कब्जा दिया गया या नहीं, उस अधिकारी का नाम अगर आपके पास हो तो बता दें?

श्री नारायण सिंह—

यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

*2—श्री देव राम—

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया]

गोयल एण्ड कम्पनी एवं गोयल एण्ड को0 जालपादेवी रोड, वाराणसी द्वारा बिक्रीकर की वसूली

*3—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोयल एण्ड कम्पनी जालपादेवी रोड, वाराणसी एवं गोयल एण्ड को0 ने सरकारी विभागों को बेचे सामान पर कितने फीसदी बिक्री-कर उक्त दोनों फर्मों ने वसूल किया है? क्या यह सत्य है कि 12 फीसदी एवं 8 फीसदी बिक्री-कर उपरोक्त सामानों पर चार्ज करके वसूल कर लिया गया और उक्त रुपया बिक्री-कर विभाग में आज तक नहीं जमा किया गया है? यदि हां, तो इन दोनों फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सत्य है कि बिक्री-कर विभाग, वाराणसी में बिना बिक्री-कर लिए हुए बीजक जमा किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

इन दोनों फर्मों के अभिग्रहीत लेखा बहियों के अनुसार मुख्यत: यू0 पी0 स्टेट इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट, सिंचाई विभाग, यू0 पी0 स्टेट बोर्ड कारपोरेशन, उ0 प्र0 जल निगम, मत्स्य निदेशक तथा कृषि व हार्टिकल्चर विभागों को वटोनाईट पाउडर, सोसल रोप, डबुल प्लाइटेन्ड, तिरपाल, ब्रश, मनिला रोप, काटन टेप ग्लैन्टपैकिंग तथा ज्वाइन्ट शीट आदि सप्लाई किया । मुख्यत: राजकीय विभागों के बिलों पर 4 प्रतिशत बिक्रीकर व 1 प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया है जबकि अर्ध सरकारी फर्मों पर 4 प्रतिशत, 1 प्रतिशत तथा 7 प्रतिशत बिक्रीकर व 1 प्रतिशत से डेढ़ प्रतिशत तक सरचार्ज लगाया गया है ।

अभी फर्मों के अभिग्रहीत खातों की जांच पूर्ण नहीं हुई है इस लिए यह बताना संभव नहीं है कि इन फर्मों द्वारा सप्लाई किये गये माल पर 12 प्रतिशत या 8 प्रतिशत की दर से बिक्रीकर लगाया गया है या नहीं । परन्तु उक्त फर्मों ने सरकारी विभागों का जो माल सप्लाई किया है उसमें तिरपाल की मात्रा अधिक है । तिरपाल की बिक्री, जो कर मुक्त है, पर भी उन फर्मों ने कर वसूल किया है । ऐसे वसूल किये गये कर की धनराशि को बिक्रीकर विभाग में जमा किया जाना तथ्यों से स्पष्ट नहीं होता है । इन फर्मों के कुछ अभिग्रहीत किये गये बही खातों पर बिक्रीकर अधिकारी (विशेष अनुसंधान शाखा) की रिपोर्ट प्रत क्षित है और इस कारण अभिग्रहण के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । अभिग्रहीत खातों की जांच में फर्म द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है ।

जी हां, परन्तु अभिग्रहण दिनांक 15-7-1978 से पूर्व बिक्रीकर अधिकारी के पास ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं था कि उक्त फर्म सरकारी विभागों से बिक्रीकर वसूल कर रहे हैं

और बिक्रीकर विभाग में दिखाये जाने वाले बीजकों में वसूल किये हुए बिक्रीकर को छिपाया गया है। इस जानकारी की शिकायत के बाद स्थानीय जांच और व्यापारी के यहां से अभिग्रहीत खातों के आधार पर दिनांक 15-7-78 को पुष्टि हो सकी है।

• अल्मोड़ा जिले के ग्राम गढ़सेर के रेशम विभाग की भूमि पर हरिजनों का कब्जा

*4—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार को विदित है कि ग्राम गढ़सेर, पोस्ट गरुड़बैजनाथ, जिला अल्मोड़ा के भूमिधर हरिजनों की भूमि पर वर्ष 1969 में रेशम विभाग ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था? क्या यह सही है कि अब रेशम उक्त भूमि पर रेशम की खेती न करके विभागीय अधिकारी अपनी निजी खेती कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन हरिजनों को उक्त भूमि दिलाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है और विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जो उक्त भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नारायण सिंह—

प्रश्नगत ग्राम के किसी भी भूमिधर हरिजन की भूमि पर वर्ष 1969 में रेशम विभाग द्वारा जबरदस्ती कब्जा नहीं किया गया। शासन द्वारा रेशम विभाग को वर्ष 1961 में दी गई 60 नाली सिविल बेनाप भूमि पर कतिपय हरिजनों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया था, जिसे 1969 में हटा कर भूमि रेशम विभाग को उपलब्ध कराई गई। उक्त भूमि पर रेशम विभाग के किसी अधिकारी द्वारा अपनी निजी खेती नहीं कराई जा रही है और न उक्त भूमि का दुरुपयोग करना पाया गया। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री पूरन चन्द्र—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वहां पर कुल कितने एकड़ भूमि रेशम विभाग के अन्तर्गत है और उस पर कितने पेड़ रशम के हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपने अपने प्रश्न में पूछा नहीं है। यह इससे नहीं उठता है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री पूरन चन्द्र—

सरकार ने कितनी एकड़.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया सीधा प्रश्न करें।

श्री पूरन चन्द्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल सीधा प्रश्न कर रहा हूं। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने एकड़ भूमि है जो रेशम विभाग के अन्तर्गत है? रेशम के कितने पेड़ वहां पर हैं?

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, मुझे यह जानकारी है कि वहां पर 60 नाली हैं और रेशम विभाग का जहां तक सम्बन्ध है यह इन्डस्ट्री विभाग का है और उन्हीं लोगों के कब्जे में है।

श्री पूरन चन्द्र—

मान्यवर, अगर उद्योग विभाग का मामला है तो....

श्री उपाध्यक्ष—

आप नहीं, मैंने माननीय मैनेजर सिंह को बुलाया है।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री नं 0 2 यह बताने की कृपा करेंगे कि 1979 के पहले कब से वे भूमिहीन काबिज थे और उस जमीन की मिलकियत किसकी थी?

श्री नारायण सिंह—

1961 में जमींदारी एबोलिशन के बाद यह भूमि गांव सभा की थी। कुछ लोगों ने देखा कि यह पड़ी हुई है और उस पर कब्जा कर लिया तो 1969 में उस कब्जे को हटाया गया और फिर यह उद्योग विभाग को दे दी गयी और इस समय उन्हीं का कब्जा है

श्री पूरन चन्द्र—

जिन हरिजनों के बारे में उत्तर मिला है कि अवैध कब्जा था क्या सरकार ने उनको जेल में भेज दिया था, यदि हां तो उन हरिजनों के लिए सरकार ने आगे के लिए क्या किया है? क्या सरकार उनको भूमि देगी?

श्री नारायण सिंह—

जेल में जाने या न जाने की सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन यह जानकारी अवश्य है कि उनसे जमीन ले ली गयी थी और इन्डस्ट्रीज विभाग को दे दी गयी थी। अगर उनका कोई प्रार्थना-पत्र आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

फैजाबाद जिले के विकास खण्ड अमानीगंज में बाढ़

*5—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खण्ड, अमानीगंज, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के कितने गांव इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित थे और प्रभावित होने से 50 प्रतिशत तक के क्षतिग्रस्त गावों की रिपोर्ट भी तहसील बीकापुर ने प्रेषित की थी जिसके कारण क्षतिग्रस्त गांवों को खाद, बीज आदि की सहायतार्थ सामग्री क्षेत्रीय बीज भण्डारों पर पहुंच भी गयी थी? किन्तु उसे वापस करा दिया गया? यदि हां, तो किन कारणों से?

श्री नारायण सिंह—

वर्ष 1978 की बाढ़ में जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर के विकास खण्ड अमानीगंज के कुल 18 गांव प्रभावित हुए थे जिनमें फसलों को 50 प्रतिशत या अधिक क्षति पहुंची। उक्त प्रभावित गांवों के 217 कृषकों को 22.33 कुन्तल गेहूं का बीज तथा 3.0394 मी0 टन उर्वरक वितरित किया गया और फालतू सामग्री वापस कर दी गई।

श्री मित्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन-जिन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, उनमें खाद व बीज वितरण केन्द्रों पर गया था? यदि हां, तो उसे क्यों वापस कर दिया गया? प्रश्न पूछने के उपरान्त फिर खाद और बीज वितरण हेतु केन्द्रों पर भेजा गया तो इसके आने-जाने में सरकार को कितना खर्च वहन करना पड़ा और किस अधिकारी की लापरवाही से ऐसा हुआ?

श्री नारायण सिंह—

आपका कथन बिल्कुल सत्य है। मैं भी साफ तौर से नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने आज ही फाइल को देखा और मैंने आदेश दे दिए हैं कि इसकी रिपोर्ट तुरन्त मंगायी जाय कि जो अनाज गया वह वहां पर क्यों नहीं बांटा गया। इसकी जानकारी कराकर मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्री मित्रसेन—

अगर वहां पर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, तो क्या वहां पर राजस्व की वसूली में कोई रियायत दी जा रही है?

श्री नारायण सिंह—

अगर ऐसा होगा तो अवश्य ही रियायत दी जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि क्या आप मालगुजारी में कोई छूट देने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

जहां पर भी 50 प्रतिशत क्षति होगी, वहां पर अवश्य ही नियमानुसार सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही की जायगी ।

वाराणसी जिले के ग्राम भास्करपुर के श्री जोखन की फसल की नीलामी और श्री भग्गू द्वारा जमा की गयी नीलामी की धनराशि

*6—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव भास्करपुर, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में गांव सभा की जमीन में जोखन वगैरह की 26 बीघा 12 बिस्वा फसल ए0 डी0 एम0 (ई0), वाराणसी के आदेश से नीलाम 10,300 रु0 में परगनाधीश व तहसीलदार, चकिया ने 18 अक्तूबर, 1967 को किया था और उक्त नीलाम के भग्गू पुत्र सीताराम, गांव हरीपुर ने लेकर क्रमशः ट्रेजरी चालान नं0 12, 23 अक्तूबर, 1967 व ट्रेजरी चालान नं0 20, 31 अक्तूबर, 1967 के द्वारा 2,575 व 7,725 रु0 चकिया, वाराणसी खजाने में जमा कर दिया और जोखन वगैरह ने उक्त नीलाम के खिलाफ सिविल जज वाराणसी के यहां मुकदमा नं0 144, सन् 1967 दाखिल किया जिसमें 18 नवम्बर, 1967 को सिविल जज ने नीलाम को रद्द किया और फसल जोखन वगैरह को दे दिया ? यदि हां, तो भग्गू द्वारा जमा किया गया 10,300 रु0 उसे वापस अब तक क्यों नहीं दिया गया? क्या यह सत्य है कि रुपया वापस लेने हेतु भग्गू ने सन् 1968 से लेकर अब तक जिलाधीश व ए0डी0एम0 (ई0), वाराणसी को दसियों प्रार्थना-पत्र दिए हैं ?

श्री नारायण सिंह—

प्रश्न में कथित फसल का नीलाम श्री भग्गू पुत्र सीताराम के पक्ष में किये जाने व श्री भग्गू द्वारा धनराशि उप कोषागार में जमा करने तथा श्री जोखन आदि द्वारा सिविल जज वाराणसी के न्यायालय में मुकदमा दायर करने के तथ्य सही है । नीलामी की धनराशि वापस लेने हेतु श्री भग्गू के प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 1973 पर डी0जी0सी0 (माल) ने परामर्श दिया कि धनराशि उन्हें वापस न की जाय । उनके पुनः प्रार्थना-पत्र देने पर अब सरकारी अधिवक्ता (दीवानी) की कानूनी राय प्राप्त की जा रही है और तदनुसार कार्यवाही की जायगी ।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी हरिजन पाठशालाओं का अनावर्तक अनुदान

*7—श्री कौशल किशोर (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन सहायक मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में विभागीय अनावर्ती अनुदान से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित चल रही प्राइमरी हरिजन पाठशालाओं को आवर्ती अनुदान स्वीकृत करके स्थायी करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो हरिजनों के हितों को ध्यान में रखकर यह स्वीकृति कब तक दे दी जायगी?

हरिजन कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

स्वैच्छिक सस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी हरिजन पाठशालाओं को जो 3 वर्ष से अधिक समय से अनावर्तक अनुदान की सूची पर चल रही हैं, को आवर्तक अनुदान पर लेने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

हरिजन पाठशाला, लाल कुर्ती, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*8—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन पाठशाला, लाल कुर्ती, लखनऊ की प्रबन्ध समिति की अनियमितताओं के बाबत हरिजन तथा समाज कल्याण उप मन्त्री को दिनांक 26–9–78 को कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? किस अधिकारी ने जांच किया और कौन-कौन सी अनियमितताएं पकड़ी गयीं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी नहीं ।

किन्तु एक शिकायती पत्र दिनांक 29–9–78 का उप मंत्री को प्राप्त हुआ था । उसके पहले ही इस मामले में हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच कराई गई थी । जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रबन्धक समिति द्वारा अप्रशिक्षित व्यक्ति की तदर्थ रूप से प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति अनियमित पाई गई, इसको समाप्त कर नियमित नियुक्ति के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री श्रीनारायण—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि नियुक्ति के विरुद्ध कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या वे उस प्रार्थना-पत्र को पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगी?

श्रीमती चन्द्रावती—

जो वहां पर प्रधानाचार्य नियुक्त हुआ उसके खिलाफ ये शिकायतें आयीं कि उन्होंने फीस लेने और सार्टिफिकेट्स देने में पैसा लिया और रिकार्ड्स में कम दिखाया । जांच के उपरान्त ये बातें सही पायी गयी और उनको उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) कर दिया गया ।

श्री श्रीनारायण—

29–9–78 को जो शिकायती-पत्र मिला है माननीय मंत्री जी को उसे वे पढ़कर सुना दें ।

श्रीमती चन्द्रावती—

दरख्वास्त में जो शिकायतें थीं वह तो मैंने बता दीं ।

श्री श्रीनारायण—

उसे पढ़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

मैनपुरी जिले की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहाना की पट्टा बही एवं भूमि का आवंटन

*9—श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहाना की भूमि प्रबन्धक समिति का अभिलेख 57-क व 57-ख प्रपत्र ज0 वि0 व पट्टा बही जिसमें से दिनांक 26—6—70 के अनुसार पट्टा लिखकर दिए गए हैं, अब उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? अभिलेख उपलब्ध न होने के लिए कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। प्रश्नगत अभिलेख तथा पट्टा बही इस समय उपलब्ध नहीं हो रही है। प्रपत्र ज0 वि0 57 क व 57-ख के अनुरक्षण का दायित्व तत्कालीन प्रधान व लेखपाल का है। अभिलेख खोने तथा अभिलेखों में-जालसाजी की जांच की जारही है तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही की जायगी। परगनाधिकारी की जांच में दिनांक 26 जून, 1970 की बैक में की गई भूमि आवंटन की कार्यवाही अनियमित पाये जाने के कारण सभी पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री जसवीर सिंह—

उत्तर में बताया है कि पट्टा बही उपलब्ध नहीं थी, तो जब वह उपलब्ध नहीं थी, तो जांच किस आधार पर की गयी और जांच में जांच के केन्द्र बिन्दु क्या-क्या थे, जिनकी जांच हुई ?

श्री नारायण सिंह—

पट्टा बही उपलब्ध नहीं थी मगर और कागजात तो उपलब्ध थे, उनके आधार पर ही जांच करायी जा रही है।

श्री जसवीर सिंह—

बिना पट्टा बही के एस0 डी0 एम0 ने जांच किस आधार पर की ? उस जांच का तो कोई तात्पर्य है ही नहीं?

श्री नारायण सिंह—

भूमि आवंटन के सम्बन्ध में शिकायतों की जो दरख्वास्तें मिलीं उन्हीं के आधार पर जांच करायी गयी।

श्री जसवीर सिंह—

26—6—70 को किन-किन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी थी ?

श्री नारायण सिंह—

13 व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई थी, नाम इस समय नहीं हैं।

(अगला प्रश्न लिये जाने पर।)

श्री जसवीर सिंह—

इसमें बड़ी जालसाजी हुई है और शासन की ओर से अब तक कोई कार्यवाही दोषी अधिकारियों के खिलाफ नहीं की गयी। तो मेरी सूचना को आधार मान कर क्या मंत्री जी परगनाधिकारी, लेखपाल, तत्कालीन प्रधान आदि के विरुद्ध जांच करायेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

एटा जिले के ग्राम नगरिया बिगोई में भूमि का आवंटन

*10—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिला की कासगंज तहसील के फैजपुर बदरिया परगना के ग्राम नगरिया बिगोई की ग्राम समाज की कितनी भूमि का आवंटन किस-किस व्यक्ति को किया गया ? क्या यह सच है कि पट्टा का आवंटन नियम अनुसार भूमि-हीन मजदूरों, अनुसूचित जाति के लोगों को न दे कर अनियमित रूप से कृषकों, बाहरी व्यक्तियों को दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यह खारिज किए गए अथवा नहीं ? पट्टे करने वाले अधिकारियों के विरोध में क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण सिंह—

जिला एटा, तहसील कासगंज, परगना फैजपुर बदरिया के ग्राम नगरिया बिगोई की 382-77 एकड़ गांव सभा भूमि 127 व्यक्तियों को आवंटित की गई थी। आवंटियों की सूची† सदन के पटल पर रखी जा रही है। ग्राम नगरिया बिगोई के गैर आबाद होने के कारण सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र, मंडावली भसावली में सम्मिलित अन्य ग्राम भसावली, मंडावली व ढेला सराय के निवासियों को आवंटन किया गया है। आवंटन में अनियमिताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा जांच करके पट्टों के निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई किन्तु उक्त की रिपोर्ट में कुछ कमियां पाई गईं जिन्हें पूरा कराने के लिये पुनः जांच कराई जा रही है। जांच के बाद अनियमित पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही पूरी हो जाने के पश्चात् दोषी पाये गये अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री नेतराम सिंह—

उत्तर में कहा गया है कि सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है, पर वह मुझे नहीं मिली है, क्या मंत्री जी उसे पढ़ने की कृपा करेंगे ताकि मुझे उसकी सूचना मिल सके ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह सदन के पटल पर रख दी गयी है, आप देख लें।

श्री नेतराम सिंह—

सूची मुझे समय से मिलना चाहिये, मैं फिर प्रश्न किस आधार पर करूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित किये देता हूं। माननीय सदस्य के पास सूची भेज दी जायेगी ताकि वे अनुपूरक प्रश्न कर सकें।

हरिजन पाठशाला, लालकुर्ती लखनऊ की अप्रशिक्षित प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध शिकायती-पत्र

11—श्री श्रीनारायण—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को यह जानकारी है कि हरिजन पाठशाला लालकुर्ती, लखनऊ की प्रशिक्षित प्रधानाध्यापिका की पदावनति करके एक अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक को प्रधानाध्यापक का चार्ज जुलाई, 78 में ताला तोड़कर दिलाया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में लिखित शिकायत हरिजन तथा समाज कल्याण उप मन्त्री को दिनांक 26-9-78 को दी गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्रीमती चन्द्रावती—

जी जहां ।

चूंकि श्रीमती सक्सेना के विरूद्ध अनेक प्रकार की शिकायतें थी इसलिये संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा उनको सहायक अध्यापिका के मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया गया और उनके स्थान पर एक अप्रशिक्षित प्रधानाध्यापक की तदर्थ रूप से नियुक्ति की गयी ।

उक्त घटना के सम्बन्ध में उपमंत्री जी को 29–9–78 को एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । उसके पूर्व ही इस मामले में जांच कराई गई थी जिसके अनुसार अप्रशिक्षित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति अनियमित पाई गई । इस अनियमित नियुक्ति को समाप्त कर नियमित नियुक्ति कियेजाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री श्रीनारायण—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक को प्रधानाध्यापक के पद पर क्यों नियुक्त किया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जो प्रधानाचार्या थीं उनके खिलाफ कई शिकायतें थी, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया,इसलिये उनको हटाकर नियुक्ति की गयी दूसरे की । उनको रिवर्ट कर दिया गया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

वह कौन से कारण थे जिनकी वजह से एक अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति की गयी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो सही पायी गयी, इसलिये उनको रिवर्ट किया गया और दूसरी नियुक्ति हुई थी । शिकायतें थीं इसलिये हटाया गया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं यह पूछ रहा हू कि अप्रशिक्षित की नियुक्ति क्यों की गयी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

इसका जबाव दे चुकी हूं कि शिकायतें थीं उनकी जांच हुई, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया उसका जबाव भी नहीं दिया, इसलिये हटाना पड़ा और दूसरी नियुक्ति हुई ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, उप प्रधानाचार्य जो थीं, उनको आपने अलग कर दिया, यह तो सही बात है कि उनके खिलाफ शिकायत थी । कौन सा कारण है जो अप्रशिक्षित को नियुक्त किया गया और प्रशिक्षित को नियुक्त नहीं किया गया जब कि प्रशिक्षित अध्यापिका उपलब्ध थीं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

विभाग के द्वारा यह नियुक्ति नहीं हुई है । समिति द्वारा यह नियुक्ति हुई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहो हैं । मान्यवर, शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति जो होती है, जो एप्वाईन्मेन्ट सेलेक्शन कमेटी होती है, उसमें भी विभाग का एक आदमी होता है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य जिनके खिलाफ आरोप थे, उनको हटाने के लिए विभाग का एप्रूवल लिया गया था और अनट्रेन्ड टीचर को प्रधानाचार्य बना दिया गया था और उनके लिए विभाग का अनुमोदन लिया गया था ?

श्रीमती चन्द्रावती—

उसके लिए आदेश दे दिये गये हैं कि यह इल्लीगल हुआ है और इसकी नियुक्ति दुबारा होनी चाहिए। इसके लिए विभाग का ज्यादा कंसर्न नहीं है। विभाग द्वारा जांच भी हो गयी है और आदेश दे दिये गये हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप अपने सहयोगी की मदद करें। किसी भी प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं आ रहा है।

श्रीमती चन्द्रावती—

इनका प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक प्रश्न हमें भी करने की इजाजत दे दें।

बांदा जिले के ग्राम कोर्रा खुर्द के श्री भइयादीन व श्री चुन्ना का चकबन्दी से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

*12—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की बबेरू तहसील के गांव कोर्रा खुर्द के भइयादीन व चुन्ना चमार (हरिजनों) ने 22-7-78 को उप निदेशक, चकबन्दी, झांसी को बांदा कैम्प के समय एक प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की थी कि गांव प्रधान आदि असरदार व्यक्तियों द्वारा उनके पट्टे की अच्छी जमीनों पर अपने चक बनवाने के षड़यंत्र को रोका जाय? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण सिंह—

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र 22 जुलाई, 1978 को नहीं दिया गया था। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र तो उनको नहीं मिला लेकिन इस प्रश्न की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में उन्होंने कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की?

श्री नारायण सिंह—

जानकारी की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जूडिशियल प्रोसीडिंग है। कंसालिडेशन अधिकारी के यहां प्रार्थना-पत्र दिया गया होगा। अगर आप कहें तो दुबारा जांच करा ली जायगी।

श्री राम सजीवन—

माननीय मंत्री जी को जब मैंने यह सवाल भेजा था, तो उसमें 22 जुलाई मैंने लिखा था। उपायुक्त, झांसी को 22 तारीख को हरिजन पट्टेदारी का प्रार्थना-पत्र दिया गया, अब हो सकता है कि वह 22 के पहले 21-20 ऐसा कुछ हो, तो उस 22 के आस-पास उनको कोई पत्र मिला है, उसमें कोई कार्यवाही हुई कि नहीं हुई? दूसरा प्रश्न यह है कि ये उपायुक्त महोदय और चकबन्दी आयुक्त और जिला अधिकारी को हरिजन पट्टेदारों ने कई-कई बार, पचासों प्रार्थना-पत्र दिया है

और प्रार्थना-पत्रों को पता नहीं कहां फेंक दिया जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि 22 के आसपास किसी तारीख को क्या कोई शिकायत या प्रार्थना-पत्र उनको मिला है और दूसरा यह है कि इसी संबंध में उपायुक्त, चकबन्दी महोदय ने हरिजन पट्टेदारों की और भी शिकायतें प्राप्त की है और कभी उनके बारे में शिकायतों की जांच किया है कि नहीं किया है ?

श्री नारायण सिंह—

22 तारीख को या 23 तारीख को कोई प्रार्थना-पत्र मेरे सामने नहीं आया है लेकिन अगर माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र दिया है और उसका कोई उनके पास प्रूफ या सबूत है तो मैं उसकी तहकीकात कराऊंगा।

श्री राम सजीवन—

मेरी जानकारी के अनुसार उन हरिजन पट्टेदारों ने जिलाधिकारी, बांदा, आयुक्त चकबन्दी लखनऊ, तत्कालीन मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री तथा अन्य कुछ अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उन लोगों ने उप युक्त, चकबन्दी को भी प्रार्थना-पत्र दिया है लेकिन जानबूझ कर वह शासन तथा सदन की जानकारी में लाने से रोकते हैं। इस मामले की, मेरी जानकारी के अनुसार मुझे जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं तथा हरिजन पट्टेदारों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या पुनः तहकीकात करायेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

अगर कोई प्रार्थना-पत्र मुझे दिया जाता है तो मैं जरूर जांच कराऊंगा।

श्री गुलाब सेंहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मेरे पूछने का आशय केवल यह है कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि गांव कोरी खुर्द में जो जमीन बांटी गई, गांव प्रधान तथा असरदार आदमियों ने उसमें से अच्छी जमीन को दूसरे लोगों को दे दी। इनके संज्ञान में यह बात आने के बाद भी क्या यह आवश्यकता है कि कोई प्रार्थना-पत्र दिया जाये ? जब पूरी डिटेल आ गयी है तो यह आश्वासन दें कि मैं तुरन्त जांच कराऊंगा।

श्री नारायण सिंह—

माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है। यह भूमि आवंटित नहीं की गयी है। यह कन्सोलीडेशन की जमीन है। जांच का कोई सवाल नहीं उठता है।

अलल औलाद स0 मजहर अब्बास, मध्यवर्ती पहाड़ी बुजुर्ग, जिला बांदा के जमींदारी विनाश के प्रतिकर के भुगतान की मांग

*13—श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या अलल औलाद स0 मजहर अब्बास मध्यवर्ती पहाड़ी बुजुर्ग, तहसील कर्वी, जिला बांदा का जमीन्दारी विनाश प्रतिकर, पुनर्वास अनुदान तथा वार्षिक वृत्ति का भुगतान अब तक नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त वक्फ के मुतवल्ली स0 अली मेंहदी के प्रार्थना-पत्रों के परिणामस्वरूप राजस्व परिषद् के प्रतिकर आयुक्त द्वारा अर्ध0 शा0 पत्र सं0 135/ए0सी0 सी0 186, दिनांक 17 अगस्त सन् 1977 एवं अर्ध शा0 पत्र सं0 366/ए0सी0सी0सी0-186, दिनांक 3 मार्च, 1978 जिला अधिकारी, बांदा को उक्त मत लवे के भुगतान के सम्बन्ध में लिखे गए थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, यह सवाल तो बहुत पुराना है। इसकी सूचना कब तक आ जायेगी मैं केवल यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह प्रश्न 18-11-78 का है और उसके बाद यह प्रश्न आया। प्रश्न केवल यह है कि कम्पेन्सेशन का भुगतान हुआ है या नहीं। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अभी तक यह सूचना एकत्र की जा रही है इसमें और कितना समय लगेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें विलम्ब हुआ है। माननीय मंत्री जी इसको देख लें और इसका उत्तर 15 दिन के अन्दर दे दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी इसका कारण बतायें कि विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री नारायण सिंह—

मैं किसी काम में देरी करने की इजाजत नहीं दूंगा। प्रश्न कई चरणों में जाता है इसमें कुछ समय लग ही जाता है।

[शुक्रवार, 9 मार्च, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मिर्जापुर जिले में दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज में वर्ग चार की जमीन के काश्तकारों को सीरदार बनाये जाने की योजना

*1—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज में वर्ग 4 की जमीन के काश्तकारों को सीरदार बताने की योजना का कार्यान्वियन हुआ कि नहीं? यदि हां, तो इसकी क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद मिर्जापुर में दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज में वर्ग 4 की जमीन के काश्तकारों को सीरदार बनाने की कोई योजना नहीं थी। इसलिए प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर की तहसील दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज के क्रमशः 125 तथा 129 गांव में सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख क्रियाएं चल रही हैं। अभिलेख क्रियाओं के दौरान अधिकार के मामले तय करने का अधिकार सम्बन्धित अधिकारियों को है।

नोट :—नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अनधिकृत रूप से भूमि पर गृह निर्माण संबंधी स्वामित्व के सम्बन्ध में गैर सरकारी संकल्प

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा सत्र 1969-74 के दौरान गठित भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार के राजस्व मंत्री ने तत्कालीन विधान सभा के सदस्य श्रीकृष्ण बाजपेयी तथा अन्य सदस्यों के नाम से विधान सभा में स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प के चर्चा के दौरान सदन को आश्वासन दिया था कि सम्बन्धित संकल्प के मुताबिक भूमि पर आबादी के रूप में अध्यासीन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश में स्वामित्व प्रदान करने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ? यदि हां, तो अब तक आबादी के रूप में बसे हुए व्यक्तियों को स्वामित्व प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो वर्तमान सरकार इस प्रकार स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में कौन सा कदम उठा रही है ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122-ग में उल्लिखित वर्ग के व्यक्तियों द्वारा यदि दूसरे खातेदारों की जोत भूमि पर गृह निर्माण किया गया था और ऐसा गृह दिनांक 15 मार्च, 1974 को विद्यमान था तो ऐसे गृह के स्थान पर उन्हें स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 123 को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1974 के द्वारा संशोधित किया जा चुका है ।

देवरिया जिले के राजस्व अभिलेखागार के अभिलेखों में जालसाजी संबंधी प्रार्थना-पत्र

*3—श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया) तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के राजस्व अभिलेखागार में अभिलेख के रख-रखाव एवं उनमें नित्य प्रति हो रहे परिवर्तन तथा व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माह दिसम्बर, 1978 में श्री अनिरुद्ध तिवारी, एडवोकेट, देवरिया का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? क्या यह भी सही है कि उक्त अभिलेखागार में नित्य प्रति हो रहे जालसाजी धोखाधड़ी के सम्बन्ध में जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, देवरिया का पारित प्रस्ताव शासन को जनवरी, 1979 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह—

श्री अनिरुद्ध तिवारी तथा अन्य अधिवक्त गण का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 तथा कलेक्ट्रेट बार एशोसियेशन का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

श्री अनिरुद्ध तिवारी ने जिन अभिलेखों की नकलें प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था उसे अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वांछित अभिलेखों के कुछ स्थलों पर मूल लिखावट से भिन्न लिखावट पाई गई । अभिलेखागार म अभिलेखों का रख-रखाव सावधानी पूर्वक किया जाता है फिर भी बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव, जोकि हाल ही में प्राप्त हुआ है, के आधार पर जिले के अभिलेखागार में धांधली व जालसाजी के आरोपों की जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई जा रही है ।

पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षा के छात्रों की छात्रवृत्ति

*4—श्री रघुवर दयाल वर्मा —

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री की जानकारी है कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के दशमोत्तर कक्षा के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति वर्ष 1977-78 व वर्ष 1978-79 में नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी नहीं। दोनों वर्षों में भी छात्रवृत्ति दी गई है।

विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन

*5—श्री रामदत्त जोशी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि असहाय विधवाओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब और ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठाते।

राजकीय कोषागार के कैश शाखा के कर्मचारियों को राज्य सेवक होने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

*6—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय कोषागार कर्मचारियों को 1960 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने और 9 मार्च, 1964 में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी कर्मचारी होने की मान्यता दी ? साथ ही 30 अगस्त, 1970 को लोक सेवा अधिकरण ने भी कैश विभाग को सरकारी कर्मचारी मानते हुए सरकार पर डिग्री दी ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णयों को शासन ने क्रियान्वित रूप दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

सर्वोच्च न्यायालय ने कोषागारों के कैश शाखा के कर्मचारियों को "राज्य के सेवक" होने का निर्णय दिया था तथा लोक सेवा अधिकरण नं 02 ने दिनांक 30 अगस्त, 1977 को यह आदेश दिया था कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार कैश शाखा के कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जाये। उपर्युक्त निर्णय कार्यान्वित किये जा चुके हैं जिसके फलस्वरूप कैश शाखा के कर्मचारी "राज्य के सेवक" हो गये हैं तथा उन्हें नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता अनुमन्य हो गया है।

देवरिया जिले में आंधी व तूफान तथा वर्षा से क्षति

*7—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जनपद आदि जिले में अक्टूबर, 1978 में कोई तूफान आया था ? क्या इस तूफान के कारण कई हजार लोगों के बेघर होने व करोड़ों की क्षति होने की भी सूचना व शिकायत सरकार को मिली है ? यदि हां, तो पीड़ितों को अब तक कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि हां, तो क्या और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने भी अपनी ओर से तूफान से होने वाली क्षति की जांच करली है ? यदि हां, तो कितने धन व जन की हानि हुई ?

श्री नारायण सिंह—

जिला देवरिया की केवल तहसील सलेमपुर में दिनांक 5-10-78 को तेज आंधी व तूफान के साथ वर्षा हुई थी। इसके फलस्वरूप 5669 पेड़ गिरे, 9 व्यक्तियों एवं 30 पशुओं की मृत्यु हुई तथा 8 व्यक्ति एवं 3 पशु घायल हुए। लगभग 22,569 मकानों को क्षति पहुंची जिनमें से 2190 मकान पूर्णतः नष्ट हो गये। मकानों की इस क्षति का मूल्यांकन अनुमानतः एक करोड़ बीस लाख रुपये है।

प्रभावित लोगों में सहायता के लिये पात्र व्यक्तियों को अब तक कुल रुपया 1200 नकद अहेतुक सहायता एवं रुपया 28,900 गृह निर्माण अनुदान के रूप में वितरित किये जा चुके हैं। सहायता देने का कार्य अभी जारी है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति

*8—श्री गनेशीलाल चौधरी—

क्या समाज कल्याण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि पिछले शैक्षिक वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय में मार्च, 1978 तक भरती होती रही जिससे लगभग 100 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों ने अपनी छात्रवृत्ति का प्रार्थना-पत्र देर से प्रेषित किया जिसके फलस्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति न मिल सकी ? छात्रवृत्ति न मिलने के कारण उनका भविष्य अन्धकारमय हो गया ? यदि हां, तो इन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां, जिन विद्यार्थियों ने पिछले सत्र में एडमिशन प्राप्त कर लिये हैं उन्हें छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

बिक्रीकर समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यापारियों का प्रत्यावेदन

*9—श्री ऊदल—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बिक्री-कर की समाप्ति मार्च, 1979 तक कर दी जायगी और उसकी जगह पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या यह सत्य है कि प्रदेश के व्यापारियों ने बिक्री-कर समाप्त कराने हेतु वादा निभाओ सप्ताह बनाया है और सर्वे का विरोध करते हुए यह भी मांग की है कि बिक्री-कर अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच करायी जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मधुकर दिघे—

बिक्री-कर के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। इसमें अन्तर्ग्रस्त विभिन्न पहलुओं को देखते हुए वकल्पिक व्यवस्था के लागू करने या इस संबंध में किसी निश्चित तिथि की घोषणा करना संभव नहीं है।

बिक्रीकर समाप्त कराने हेतु व्यापार वर्ग से अनेकों प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें बिक्रीकर अधिकारियों व उनके संबंधियों की सम्पत्ति एवं रहन-सहन और आय तथा व्यय की जांच कराने की मांग भी की गई है। इस प्रकार की सामान्य जांच कराना व्यवहारिक नहीं है। यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत पाई जाय तो उसकी जांच कराई जा सकती है।

*10—श्री मित्रसेन—

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

*11—श्री दुखी प्रसाद—

[3 रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

रिग्स डिवीजन, गोरखपुर को सामान की आपूर्ति और बिक्रीकर के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

*12—श्री मैनेजर सिंह—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महा मंत्री जिला जनता पार्टी, गोरखपुर (श्री गांधी सिंह) का कोई शिकायती-पत्र 78/79 में रिग्स डिवीजन, गोरखपुर में सामानों की आपूर्ति संबंधी बिक्रीकर चोरी का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायत क्या है और क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मधुकर दिघे—

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं प्रतीत होती । सामान की आपूर्ति किसने और कब की इसके जानकारी के अभाव में बिक्रीकर चोरी के विषय में कुछ कहने अथवा कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*13—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

अनुसूचित जाति के सहायक लेखाधिकारियों की ज्येष्ठता

*14—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर में कार्यरत सहायक लेखाधिकारियों के सेवाओं का एकीकरण होने के पश्चात् 1975-76 से सहायक लेखाधिकारी की सम्मिलित सूची में कितने अनुसूचित जाति के अधिकारी किस ज्येष्ठताक्रम में रखे गये हैं ? क्या यह सही है कि लेखाधिकारी के पदोन्नति कोटे में अब तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री मधुकर दिघे—

"सहायक लेखाधिकारी सेवा" में 174 पद सम्मिलित किये गये थे जिनमें से 147 पदों पर सहायक लेखाधिकारी नियुक्त थे और उनमें 6 अधिकारी अनुसूचित जाति के थे । अधिकारियों की अंतिम ज्येष्ठता नियमित चयन के उपरान्त निर्धारित की जायेगी । अतः अस्थायी अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सहायक लेखाधिकारी के पद पर उनकी निरन्तर नियुक्ति के आधार पर मानी गयी है । लेखाधिकारी के पदों पर अनुसूचित जाति के 3 सहायक लेखाधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की गई है । अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तथा उपयुक्त न पाये जाने के कारण निर्धारित आरक्षण के अनुसार पदोन्नति नहीं दी जा सकी । उनके लिये पद आरक्षित है और पात्रता एवं उपयुक्ता के आधार पर आरक्षण के अनुसार उन्हें पदोन्नति देने पर नियमानुसार विचार कर लिया जायेगा ।

*15—श्री राम लखन—

[2रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

* * *

*21—श्री मित्रसेन —

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

*22—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुखी प्रसाद—

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

अनुसूचित जाति के लेखपालों का आरक्षण कोटा

1—श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग में कुल कितने लेखपाल हैं ? इनमें अनुसूचित जाति के कितने हैं ? आरक्षण कोटे की पूर्ति न होने का मूलभूत कारण क्या है ? सरकार उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री नारायण सिंह—

प्रदेश में लेखपालों के 20,147 पद स्वीकृत हैं । जनपद जालौन, गोरखपुर तथा आजमगढ़ को छोड़कर शेष जिलों में अनुसूचित जाति के लेखपालों की संख्या 1,694 है । इन तीन जिलों की सूचना अपेक्षित है ।

चकबन्दी विभाग के छटनीशुदा लेखपालों को लेखपाल संवर्ग में खपाये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिये जाने के फलस्वरूप लेखपाल स्कूल बन्द कर दिये गये थे जिस कारण अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का कोटा पूरा नहीं हो पाया । शासन द्वारा अब लेखपाल स्कूल खोल दिये गये हैं और लेखपाल स्कूल में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित कोटे के आधार पर किया जा रहा है ।

बहराइच जिले की गांव सभा मोतीपुर मसहाकलां व बेचुआ विलासपुर की भूमि का आवंटन

2—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गांव सभा मोतीपुर, मसहा कलां कटकुइयां व बेचुआ, परगना तुलसीपुर, तहसील भिनगा, जिला बहराइच में थारू जन-जाति की आबादी है और उक्त गांवों में हजारों एकड़ भूमि गांव समाज की है जिस पर दूसरे जिले के लोगों के अवैधानिक पट्टे बना दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त गांव सभा की भूमि पर दूसरे जिले के पट्टेदार कौन-कौन हैं और अब तक अवैधानिक पट्टे को निरस्त करके दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां । जिला बहराइच की तहसील भिनगा की गांव सभा, मोतीपुर, मसहाकलां व बेचुआ विलासपुर (जिसमें कटकुइयां कलां ग्राम भी सम्मिलित है) में थारू जनजाति की आबादी है । इनमें क्रमशः 437–937 एकड़ व 256–359 एकड़ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी ।

गांव सभा मोतीपुर, मसहाकलां में भूमि का आवंटन दिनांक 9 फरवरी, 1976 को 245 व्यक्तियों को स्वीकृत किया गया था । इस गांव सभा की भूमि दूसरे जिले के लोगों को आवंटित किये जाने के संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । आवंटन सूची का सत्यापन कराया जा रहा है ।

ग्राम सभा बेचुआ बिलासपुर (जिसमें ग्राम कटकुइयां भी सम्मिलित है) में 256–359 एकड़ भूमि की 109 व्यक्तियों को आवंटित करने का प्रस्ताव हुआ था परन्तु प्रस्ताव नियमानुसार न होने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया है । सूची का सत्यापन कराया जा रहा है और उसके नियमानुसार होने पर ही अनुमोदन किया जायगा ।

जब तक पट्टों का सत्यापन न हो जाय तब तक दूसरे जिले के पट्टेदारों का विवरण देने, अवैधानिक पट्टों को निरस्त करने अथवा दोषी व्यक्तियों को दंड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जिले की गांव सभा लक्ष्मनपुर कोडरी की भूमि के आवंटन की मांग

3—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि ग्राम सभा लक्ष्मनपुर, कोड़री परगना, व तहसील भिनगा जिला बहराइच की तीन सौ एकड़ भूमि हरिजन एवं भूमिहीनों में अब तक न वितरित करके कब्जा दखल नहीं दिया जिसके संबंध में जुलाई, 1978 में रजिस्ट्री डाक द्वारा शिकायती पत्र उक्त गांव के 25 असामियों ने श्रीमान् जिलाधीश, बहराइच व माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को दिया और प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मुख्य शिकायत क्या है और उक्त तीन सौ एकड़ ग्राम समाज भूमि किसके कब्जे में कब से है तथा कब तक उक्त भूमि का आवंटन करके कब्जा व दखल दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां । यह सही है कि ग्राम सभा लक्ष्मनपुर कोड़री, परगना व तहसील भिनगा, जिला बहराइच के 25 असामियों ने जिलाधिकारी, बहराइच को माह जुलाई, 1978 में तथा राजस्व मंत्री को श्री कमला प्रसाद वर्मा विधायक के पत्र के साथ मास अगस्त, 1978 में शिकायती पत्र दिया गया था जिसमें कहा गया था कि "प्रार्थीगण ग्राम सभा लक्ष्मनपुर कोड़री के भूमिहीन व्यक्ति हैं और उन लोगों को अभी तक ग्राम सभा की भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है । अतः मौके की जांच कराकर पट्टा बनाये जाने की कृपा की जाय।"

दिनांक 3–1–76 को जब भूमि आवंटन करने के लिये लेखपाल द्वारा पड़ताल कराई गई थी उस समय ग्राम लक्ष्मनपुर, भगवानपुर में केवल 49-865 एकड़ तथा ग्राम कोड़री में 38-827 एकड़ अर्थात् कुल 88-692 एकड़ भूमि उपलब्ध थी इसमें से उस समय 45-375 एकड़ भूमि अनाधिकृत कब्जे में थी और 43-317 एकड़ भूमि खाली थी, किन्तु राप्ती नदी के कटाव के कारण ग्राम लक्ष्मनपुर का तीन चौथाई क्षेत्रफल कट कर नदी के पेटे में चला गया है तथा खातेदारों व ग्राम समाज की भूमि की मेड़ें टूट कर एक में मिल गई हैं । अतः जब तक खातेदारों एवं ग्राम समाज की भूमि का सीमांकन करके अलग नहीं कर दिया जायगा तब तक आवंटन करके कब्जा व दखल देना संभव नहीं है ।

4—श्री रियासत हुसैन—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

पडरौना तहसील के कतिपय ग्रामों में अग्निकाण्ड ।

5—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी, फरवरी, मार्च, 1978 में पडरौना तहसील के अन्तर्गत ग्राम वेतवा बाबूराम, खजरिया (पोखरह टोला) जिगना, खोसिया, मिश्रौली, मनिकौरा, खरसाल, कोटिलवा, विशनपुरा, राम धाम आदि गांवों में भयंकर अग्निकांड में गरीब ग्रामीणों का सर्वस्व स्वाहा हो गया तथा अग्नि पीड़ित दाने-दाने को मोहताज हो गये हैं जिनमें नब्बे प्रतिशत हरिजन व पिछड़ी जाति के हैं ? यदि हां, तो तत्काल आपात सहायता कोष से विशेष अनुदान दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

माह दिसम्बर, 1977 में प्रश्नगत ग्रामों में कोई अग्निकांड नहीं हुआ। माह जनवरी, 1978 में ग्राम बेतवा बाबूराम, खजुरिया, खोसिया, कोठिलवा एवं बिसुनपुरा, रामधाम के कुल 53 परिवार अग्निकांड से प्रभावित हुए जो सभी पिछड़ी जाति के थे। माह फरवरी, 1978 में ग्राम मिश्रौली, मनिकौरा (खरसाल) के 26 परिवार अग्निकांड से प्रभावित हुए थे जिसमें से 21 परिवार पिछड़ी जाति के थे। माह मार्च, 1978 में ग्राम बिसुनपुरा के 4 परिवार प्रभावित हुए जो पिछड़ी जाति के थे। अग्निकांड से प्रभावित पीड़ित परिवारों को ऐसी क्षति नहीं हुई जिसके कारण वे दाने दाने को मोहताज हो गये हैं। पीड़ित परिवारों को तत्काल नियमानुसार अहेतुक सहायता दी गई अतः उन्हें आपात सहायता कोष से कोई विशेष अनुदान देने की आवश्यकता नहीं पायी गई।

हमीरपुर जिले के ग्राम गोरखा के कतिपय हरिजनों का भूमि आवंटन संबंधी प्रार्थना-पत्र

6—श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला हमीरपुर में चरखारी तहसील के ग्राम गोरखा के भूमिहीन हरिजन श्री मुनीम श्रीपत, श्री राम दास अहिरवार, श्री दसइयां व कुन्जी आदि का पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ संलग्न पट्टों की भूमि के जांच के सम्बन्ध में 8 सितम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। ग्राम सभा गोरखा की 54 एकड़ सीलिंग भूमि के 26 पट्टे किये गये थे। जांच में यह पाया गया कि 7 पट्टेदारों को पूर्व धृत भूमि होने के बावजूद भमि आवंटित कर दी गई है। अतः इन के पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

बांदा जिले के ग्राम भभई में भूमि का आवंटन और भूमि का पुनर्ग्रहण

7—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बांदा जिले में करवी तहसील के भभई गांव में मंगल, भूरा चुन्ना आदि कुल 14 हरिजनों को गाटा संख्या 358 (कुल क्षेत्रफल 82 बीघा 19 बिस्वा) की 70 बीघा जमीन के सीरदार के पट्टे 14 सितम्बर, 1964 को दिये गये थे जिसे शासन ने विज्ञप्ति 26, फरवरी, 1966 द्वारा पुनर्ग्रहण कर लिया था ? यदि हां, तो क्यों ? तथा वन विभाग को उक्त जमीने कैसे और क्यों दी गयीं ? इसक लिए कौन दोषी है ? क्या प्रश्नगत जमीनें हरिजन पट्टेदारों को वापस करने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। बांदा जनपद के भभई गांव में गाटा संख्या 358 (क्षेत्रफल 82 बीघा 19 बिस्वा) में से 70 बीघा जमीन के सीरदार पट्टे 14 सितम्बर, 1978 को 13 हरिजनों को किये गये थे किन्तु पूरी 82 बीघा 19 बिस्वा भूमि 26 फरवरी, 1966 की विज्ञप्ति द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली गई।

प्रभागीय वन अधिकारी ने प्रश्नगत भूमि को सुरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया था क्योंकि यह भूमि कृषि योग्य नहीं है तथा आच्छादित वन भूमि है। विज्ञप्ति दिनांक 26 फरवरी, 1966 जारी होने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 15 अप्रैल, 1967 को प्रकाशित की गई और अन्ततः राजाज्ञा दिनांक 7 अगस्त, 1973 को यह सुरक्षित वन भूमि घोषित कर दी गई। अतः इसे हरिजनों को वापस करने की कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

वीमेन आफ इण्डिया सोसाइटी, शाहजहांपुर का अनुदान

8—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि वुमेन आफ इण्डिया सोसाइटी, शाहजहांपुर की स्थापना कब हुई और तब से अब तक सरकार द्वारा इस सोसाइटी को कितनी रकम बतौर कर्ज व बतौर अनुदान के दी गयी ? इस सोसाइटी के मुख्य कार्य क्या हैं और इसको जो लोग चला रहे हैं उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

वीमेन आफ इण्डिया सोसाइटी शाहजहांपुर की स्थापना जून, 1975 में हुई थी और यह सुसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है ।

संस्था की स्थापना से अब तक सरकार द्वारा इस संस्था को मात्र चालू वित्तीय वर्ष 1000 रु0 की धनराशि अनुदान के रुप में दी गई । यह धनराशि शिशु एवं नारी कल्याण केन्द्र के लिये दी गई है ।

इस संस्था के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है:—

(1) शिशु कल्याण केन्द्र ।
(2) प्रौढ़ शिक्षा का कार्य ।
(3) मद्यय निषेध के प्रचार का कार्य ।

इस संस्था के मुख्य कार्यकर्त्ताओं के नाम निम्न प्रकार से है:—

(1) श्रीमती मंजूरानी, धरम निवास महमन्द, जलालनगर ।
(2) कुमारी सरस्वती देवी, मोहल्ला बकसरिया ।
(3) कुमारी ज्ञानेश्वरी शर्मा, लाला तेली की बजरिया ।
(4) श्रीमती शांन्ती देवी, रामनगर कालोनी ।
(5) कुमारी मुन्नी देवी, कटिया टोला ।

इस संस्था का कार्यालय धर्म निवास, महमन्द जलालनगर, शाहजहांपुर में है ।

वर्षा एवं बाढ़ से मृतकों की संख्या तथा आश्रितों को दी गयी सहायता

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून तथा जुलाई, 1978 में वर्षा तथा बाढ़ के कारण प्रदेश में किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? क्या उनके आश्रितों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है ? यदि हां, तो प्रत्येक की धनराशि क्या है ?

श्री नारायण सिंह—

माह जून तथा जुलाई, 1978 में वर्षा तथा बाढ़ के कारण कुल 105 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृतकों के आश्रितों को सहायता के रुप में दी गई धनराशि का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 169 पर)

आजमगढ़ जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से जलोत्सारण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

10—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि आजमगढ़ में बाढ़ पीड़ित एरिया तहसील सगड़ी, फूलपुर, घोसी, सदर आजमगढ़ के बारे में दिनांक 16-8-78 को जिला अधिकारी, आजमगढ़

को तथा राजस्व मन्त्री, मुख्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री को राहत पहुंचाने हेतु जांच के लिये आवेदन-पत्र अगस्त-सितम्बर, 1978 में दिया गया है ? उस पर किस-किस अधिकारी ने जांच किया है तथा शासन को क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

11—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रश्नकर्त्ता ने प्रभावित भूक्षेत्र का सर्वे कराकर पानी निकास हेतु ड्रेन नीची आबादी की पटाई करा कर बाढ़ से बचाने, किसानों का लगान माफ करने तथा उनके बच्चों की फीस माफ करने, पानी निकास हेतु सड़कों पर पुलिया बनवाने, फसलों को बचाने के बारे में आवेदन-पत्र में मांग किया है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखीमपुर जिले के वकील, श्री रामेश्वर दयाल गुप्त के बिलों का भुगतान

12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर के पैनेल वकील (माल) (श्री रामेश्वर दयाल) को उनके द्वारा सरकारी वकील के नाते माल विभाग के मुकदमे किये जान के बिलों का भुगतान वर्ष 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 का अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान में विलम्ब का कारण क्या है तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नारायण सिंह—

श्री रामेश्वर दयाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये फीस के बिलों का भुगतान किया जा चुका है । उनके यात्रा भत्ते के बिलों का भुगतान करने हेतु जिलाधिकारी ने शासन से अनुमति मांगी है । मामले में न्याय विभाग की राय प्राप्त कर ली गई है एवं इस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे ।

निबन्धन विभाग के अस्थायी उप-निबन्धक और उप निबन्धकों का अस्थायीकरण एवं स्थानान्तरण

13—श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धन विभाग में कितने उप निबन्धक ऐसे हैं जो अभी तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् भी स्थायी नहीं किए गए ?

श्री मधुकर दिघे—

सात ।

14—श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बतायेंगे कि कितने उप निबन्धक ऐसे हैं जो एक स्थान पर तीन वर्ष या पांच वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं और पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया और क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

30 जून 1978 को 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाला कोई उप निबंधक ऐसा नहीं है जिसका स्थानान्तरण न कर दिया गया हो ।

30 जून, 1978 को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले केवल चार उप निबंधकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से नहीं किया गया ।

बांदा जिले के ग्राम भभई के हरिजनों को भूमि का पट्टा एवं वन विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण

15—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी तहसील के भभई गांव में मंगल भूरा, चुन्नी आदि कुल 14 हरिजनों को गाटा संख्या 358 (कुल क्षेत्रफल 82 बीघा 19 बिस्वा) की 70 बीघा जमीन के सीरदारी के पट्टे 14-9-64 को कर दिये गये थे जिसे शासन ने विज्ञप्ति दिनांक 26-2-66 द्वारा पुर्नग्रहण कर लिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पुनर्ग्रहण के समय प्रश्नगत जमीनों के असली मालिक उक्त पट्टेदार हरिजन थे, गांव सभा नहीं ? क्या हरिजनों से जमीन प्राप्त करने के लिये जिलाधिकारी की ओर से अधिग्रहण या पुनर्ग्रहण की कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो वन विभाग को उक्त जमीनें कैसे और क्यों दे दी गयीं ? क्या प्रश्नगत जमीन हरिजन पट्टेदारों को पुनः दिलाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। पट्टे 14 के बजाय केवल 13 व्यक्तियों को ही 70 बीघा जमीन के किये गये थे। गाटा संख्या 358 की पूरी 82 बीघा 19 बिस्वा भूमि सुरक्षित वन बनाने हेतु राजकीय विज्ञप्ति दिनांक 26 फरवरी, 1966 द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली गई जिसके विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण या पुर्नग्रहण सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा नहीं की गई। तत्पश्चात उक्त भूमि को आरक्षित वन बनान का प्रस्ताव भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 7-4-67 को प्रकाशित किया गया किन्तु फिर भी वन बन्दोवस्त अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की गई जिस पर विज्ञप्ति दिनांक 7-8-73 द्वारा वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत इसे आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। इस समय समस्त भूमि वन विभाग के अधीन है तथा कृषि योग्य नहीं है और सघन वृक्षों से आच्छादित है। अतः जब तक भूमि बन विभाग द्वारा मुक्त नहीं कर दी जाती इसे हरिजन पट्टेदारों को पुनः दिया जाना सम्भव नहीं है।

16—श्री देव राम—

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया]

गोण्डा जिले के बेसिक विद्यालयों के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्र-वृत्ति

17—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री त्रिवेनी सिंह (जिला गोंडा-)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो गोण्डा जनपद में वर्ष 1972-73, 1973-74, 1974-75 एवं 1975-76 हेतु बेसिक विद्यालयों के लिए हरिजन एवं पिछड़ी जाति की कितनी छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी ? स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि वितरित की गयी और अब तक कितनी धनराशि शेष है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूखे एवं बाढ़ के संबंध में व्यय की गयी धनराशि एवं लागू की गयी योजनायें

18—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में सूखा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के नाम पर सरकार द्वारा नकद और सामान के रूप में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है और हर वर्ष के इस

भारी खर्च को देखते हुए क्या सरकार विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर सूखा और बाढ़ की समस्या के स्थायी निराकरण की योजना बनाने और उक्त योजना को शीघ्र लागू करने की दिशा में अवि लम्ब कदम उठाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री नारायण सिंह--

शासन द्वारा पिछले पांच वर्षों में (वर्ष 1973-74 से1977-78तक) प्रदेश में सूखा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में नकद और सामान के रुप में लगभग 33.97 करोड़ रु0 की धनराशि व्यय की गयी है। यह धनराशि विभिन्न मदों जैसे अहेतुक सहायता, गृह निर्माण अनुदान, विशेष सहायता, टेस्ट वर्क चलाने के लिये, शिक्षा शुल्क पर माफी नि:शुल्क बीज वितरण आदि पर व्यय की गयी है। इसी धनराशि से दैवी आपदा क समय पीड़ित लोगों को तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हेतु दैनिक उपभोग की वस्तुओं का भी वितरण किया गया।

सूखा और बाढ़ जैसी दैवी आपदा की समस्या के स्थाई निराकरण के लिए कुछ योजनायें बनी हैं। जहां तक सूखे का विषय है सूखोन्मुख कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास योजनाये हैं जो इस समय प्रदेश के 6 जिलों के चुने हुए क्षेत्रों में लागू है। बाढ़ के विषय में शीघ्र प्रभावकारी निराकरण हेतु पांच-सात साल की कार्यान्वियन योजना (ऐक्शन प्लान) बनाने हेतु एक समिति भारत सरकार ने गठित की थी और 253.51 करोड़ रु0 की एक कार्यान्वियन योजना (ऐक्शन प्लान) बनाकर भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है जिसमे बाढ़ की रोकथाम के लिये अभियंत्रण कार्यों के अतिरिक्त भूमि संरक्षण एवं वृक्षारोपण के कार्य भी प्रस्तावित है।

बांदा जिले के ग्राम रुपौली के हरिजनों का भूमि आवंटन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र और गांव समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

19—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के रुपौली गांव में सन् 1976 और 77 में गांव समाज अथवा सीलिंग की जमीनों में कुल कितने पट्टे हुए थे और उसमें कितने भूमिहीन हरिजन तथा कितने अन्य वर्ग के लोग हैं ? भूमिहीन हरिजनों की कुल संख्या कितनी है? क्या उनको वीरान गांव बदिका अथवा अमवा की गांव समाज की जमीनों के-आवंटन पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बांदा तथा मुख्य मन्त्री, उ0 प्र0 को 26-9-77 को कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह--

बांदा जिले की तहसील मऊ के रुपौली गांव में सन् 1976-77 में गांव सभा भूमि के कोई पट्टे नहीं हुये थे परन्तु सीलिंग भूमि का एक पट्टा दिया गया था। ग्राम सभा रुपौली में भूमिहीन हरिजनों की संख्या 62 है। ग्राम अमवा अलग मंडल में है। वहां उपलब्ध गांव सभा भूमि उक्त मण्डल के भूमिहीनों को आवंटित कर दी गई है और अब वहां कोई कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। ग्राम बढका में भी कोई गांव सभा भूमि उपलब्ध नहीं है। अत: इन ग्रामों में भूमि के आवंटन पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता। दिनांक 26-9-77 को ग्राम रुपौली के हरिजनों से मुख्य मंत्री एवं जिलाधिकारी, बांदा को जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, उन पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही न की जा सकी।

20—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि रूपौली गांव में गांव समाज के असामी के रूप में श्रेणी 3 के अन्तर्गत कितने लोगों ने कब-कब से जमीनों पर कब्जा कर रखा है ? उन असामी के पट्टों की मियाद (अवधि) कब से खत्म हो गयी तथा उनको बेदखल न करने तथा उन जमीनों को भूमिहीन हरिजनों में वितरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण सिंह—

रुपौली गांव में गांव समाज के असामी के रूप में श्रेणी 3 के अन्तर्गत 12 व्यक्तियों ने 1360 फसली के पूर्व से जमीनों पर कब्जा कर रखा है ।

असामी का कोई नया पट्टा नहीं किया गया अत: असामी के पट्टों की मियाद खत्म होने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत जो व्यक्ति असामी माने गये उनको बेदखल करने के लिये कोई मियाद निर्धारित नहीं हैं परन्तु गांव सभा किसी भी समय नियमानुसार उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही कर सकती है । चूंकि गांव सभा ने अभी तक इन असामियों की बेदखली की कार्यवाही नहीं की है, अत: भूमि भूमिहीन हरिजनों को वितरित नहीं की जा सकी ।

स्वाधीनता की रजत जयन्ती के अवसर पर हरिजनों के लिये भवन का निर्माण

21—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि स्वाधीनता की रजत जयन्ती के आयोजन से सम्बन्धित हरिजनों को उपहार देने के लिये जयन्ती ग्रामों में कितने भवन 31—3—78 तक निर्मित किए गए थे ? इनमें से कितने मकान अभी तक हरिजनों को आवंटित किए गए तथा कितने मकानों पर आवंटियों न अधिकार ले लिया ? शेष मकानों के आवंटित न किये जाने अथवा उन पर आवंटियों द्वारा अधिकार न किये जाने के क्या कारण है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

स्वाधीनता की रजत जयन्ती के आयोजन से संबंधित हरिजनों को उपहार देने के लिये प्रदेश के जयन्ती ग्रामों में 31—3—78 तक कुल 4696 भवन निर्मित किये गये थे । इन सभी भवनों को हरिजनों को आवंटित कर दिया गया तथा इनमें से 4103 भवनों पर आवंटियों ने अधिकार प्राप्त कर लिया है । शेष 493 मकानों पर आवंटियों द्वारा भवन आबादी से दूर होने के कारण, कुछ में निर्माण कार्य ठीक न होने के कारण, कुछ में पानी की व्यवस्था ठीक न होने के कारण तथा कुछ में स्थान की कमी के कारण अधिकार नहीं लिया गया है । उक्त सूचना बहराइच, टेहरी गढ़वाल, इलाहाबाद आजमगढ़, तथा बस्ती जनपदों को छोड़कर शेष 49 जनपदों से संबंधित है ।

बांदा जिले के बरुआ बांध के गांव अमीनपुर-छिउलहा के विस्थापितों के पुनर्वासन की मांग

22—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेगे कि बांदा जिले में करवी तहसील के अन्तर्गत बरुआ बांध में डूबने वाले गांव अमीनपुर-छिउलहा को करवी तहसील के दहिनी गांव में बसाने का निर्णय सन् 1972 में राजस्व अधिकारियों द्वारा ले लिया गया था और तहसीलदार कर्वी ने गांव प्रधान को एक पत्र लिखकर गांव के निवासियों को सूचित किया था कि वे लोग 3—2—72 के पश्चात किसी भी दिन आबादी की जमीनों का निरीक्षण कर लें ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि दहिनी गांव समाज की जिन जमीनों को पुर्नवासित को खेती के लिए आवंटित किए जाने का प्रस्ताव था उन्हें वन विभाग को दे दिया गया जिससे ग्रामीणों को पुर्नवासित नहीं किया जा सका ? क्या सरकार उन जमीनों को वन विभाग से वापस लेकर पीड़ित परिवारों में आवंटित करके उन्ह पुर्नवासित करेगी ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां ।

किन्तु यह सही नहीं है कि दहिनीं गांव समाज की जिन जमीनों को पुर्नवासितों को खेती के लिये आवंटित किये जाने का प्रस्ताव था उसे वन विभाग को दे दिया गया है जिससे ग्रामीणों को पुर्नवासित नहीं किया जा सका । वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूमि को, जो कागजात में बंजर दर्ज है, प्रभागीय वन अधिकारी, बांदा द्वारा सुरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने का निर्णय शासन से करा लिया गया । अब गांव सभा के प्रस्ताव दिनांक 21–10–78 के आधार पर वन विभाग से उक्त भूमि मुक्त कराकर विस्थापितों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

हमीरपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर में भूमि के पट्टे की लिस्ट

23—श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1978 को जिलाधिकारी, हमीरपुर को हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के पट्टों की लिस्ट प्राप्त करने से सम्बन्धित दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां । माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई लिस्ट अब जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा तैयार करा ली गई है तथा उसकी एक प्रतिलिपि उक्त अधिकारी द्वारा उन्हें अलग से उपलब्ध कराई जा रही है

आगरा जिले की तहसील फिरोजाबाद में बाढ़ से भूमि पर बालू का जमाव व विस्थापितों का पुनर्वासन

24—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम उसमानपुर, करीरपुर, माली पटटी, अलादीपुरा, रामदासपुर, नादन, नया बांस, गढ़ी देवहन्स, कोडरा, फरौल नगरिया आदि में जमुना नदी की बाढ़ 1978 ने उपजाऊ खेती की भूमि में आठ फुट मोटी बालू की तह जमाकर खेती की भूमि बेकार कर दी है और 60 प्रतिशत किसान इस प्रकार प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बर्बाद काश्तकारों को पुनर्वासन हेतु वन विभाग से भूमि दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

वर्ष 1978 में यमुना नदी में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के प्रश्नगत ग्रामों की कृषि योग्य 262.158 हेक्टेयर भूमि पर एक फीट से आठ फीट तक बालू की तह जमा हो गई, जिसका अधिकतर भाग कृषि योग्य नहीं रह गया है, केवल कुछ भाग पर जायद की फसल उग ई जा सकती है । प्रश्न में उल्लिखित गांवों के अतिरिक्त कई अन्य गांवों की 33.842 हेक्टेयर भूमि पर भी बालू जमा हो गई है । इस प्रकार तहसील फिरोजाबाद में कुल 12 गांवों की 296 हेक्टर भूमि पर बालू जमा हो गई है, जिसके फलस्वरूप वहां के लगभग 40 प्रतिशत तक कृषक प्रभावित हुए हैं । इन ग्रामों में वन विभाग की भूमि बीहड़ है तथा कृषि योग्य नहीं है । अतः इन प्रभावित कृषकों को वन विभाग की भूमि का आवंटन किया जाना उपयुक्त नहीं है ।

25—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

[29-12-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित]

देवरिया जिले के ग्राम खोटही में भूमि का आवंटन और कब्जा

26—श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के क्षेत्र कानूनगो सर्किल रामकोला के ग्राम खोटही में सन् 1975 से 1978 तक कितनी-कितनी सीलिंग व ग्राम सभा की भूमि किन-किन आवंटियों को कितना-कितना दिया गया है और उनमें से कितने आवंटियों को किन कारणों से अब तक कब्जा नहीं मिल पाया है ?

श्री नारायण सिंह—

देवरिया जिले के कानूनगो सर्किल रामकोला के ग्राम खोटही में अब तक गांव सभा की किसी भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। 26.60 एकड़ सीलिंग भूमि का आवंटन 28 पात्र व्यक्तियों में किया गया है। आवंटियों के नाम व भूमि का विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है। सभी आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है।

(देखिये नत्थी ख आगे पृष्ठ 175 पर)

27—श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम खोटही की खसरा नं0 1988 की कितनी-कितनी भूमि 1976 में किन-किन आवंटियों को दी गयी तथा उन आवंटियों को कब्जा दिलाने में सरकार के सामने कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं तथा सरकार उन कठिनाइयों को दूर करके आवंटियों को कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

वर्ष 1976 में ग्राम खोटही के खसरा नम्बर 1988 की 8.48 एकड़ भूमि 9 पात्र व्यक्तियों को आवंटित की गई है। 2 व्यक्तियों को 0.95 एकड़ प्रति व्यक्ति तथा 7 व्यक्तियों को 0.94 एकड़ प्रति व्यक्ति की दर से भूमि दी गई है जिसका पूर्ण विवरण संलग्न अनुसूची के क्रमांक 13 से 21 तक उल्लिखित है। सभी आवंटियों को कब्जा दिलाया जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 175 पर)

28-29—श्री श्री नारायण—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

देवरिया जिले के ग्राम छितौनी तथा बिहुली सुमाली में अग्निकाण्ड

30—श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम छितौनी में 30 जुलाई, 1978 के अग्निकाण्ड में कितने घर जले, कितने रुपये की अनुमानित क्षति हुई और किन-किन लोगों को कितनी-कितनी धनराशि की सहायता दी गयी ?

श्री नारायण सिंह—

देवरिया जनपद के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम छितौनी में दिनांक 29-7-78 को अग्निकाण्ड की घटना हुई थी न कि दिनांक 30-7-78 को। इस अग्निकाण्ड में 11 परिवारों के घर जल गये थे। क्षति का अनुमानित मूल्यांकन 6,700 रु0 था। इन 11

परिवारों में से 10 परिवारों, जो अहेतुक सहायता के पात्र थे, को 530 रु0 अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किए गए जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

	रु0
1—श्री श्रीताज	100
2—श्री अमीर हुसेन	50
3—श्री भपसी	50
4—श्री जगदीश	50
5—श्री लखन	50
6—श्री राम पति	50
7—श्री शंकर	50
8—श्री लखू	50
9—श्री वृजराज	50
10—श्री केश्वर	30

31—श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर–अक्तूबर, 78 में देवरिया जिले के विकास खण्ड रामकोला के ग्राम बिहुली सुमाली उर्फ अनुमानगंज में अग्नि दुर्घटना से किन-किन लोगों के घर जले और उनकी अनुमानित क्षति क्या है और उनको क्या सहायता दी गयी ?

श्री नारायण सिंह—

देवरिया जनपद के विकास खण्ड रामकोला के ग्राम बिहुली, सुमाली उर्फ अनुमानगंज में दिनांक 21-10-78 को अग्निकांड की घटना घटी थी, जिसमें सर्वश्री रामदहन, रामजीत तथा अलगू के घर जल गये थे, जिसकी अनुमानित क्षति क्रमशः 4,900 रु0, 4,400 रु0 तथा 450 रु0 थी। सर्वश्री रामदहन एवं रामजीत जो अहेतुक सहायता के पात्र थे, को क्रमशः 100 रु0, 100 रु0 की अहेतुक सहायता दी गई।

32–33—श्री श्रीनारायण—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

34—श्री श्रीनारायण—

[3रे शुक्रवार लिए स्थगित]

35—श्री श्री नारायण—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मिर्जापुर जिले के ग्राम जुगैल व तहसील दुद्धी में भूमि का आवंटन

36—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, तहसील राबर्ट्सगंज ग्राम सभा जुगैल (पचपेडिया टोला) में कितनी जमीन सीलिंग में निकाली गयी है तथा कितने भूमिहीनों को जमीन आवंटित की गयी और कितने भूमिहीनों को कब्जा मिला ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

37—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, तहसील दुद्धी में कुल कितने भूमिहीनों को पट्टा दिया गया है तथा कितने भूमिहीनों को कब्जा मिला ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा जिले के निबन्धन विभाग के लिपिक श्री राम लोलारक पाण्डेय एवं श्री गिरजा शंकर सिंह के विरुद्ध चलाया गया मुकदमा एवं श्री श्रीराम वर्मा की सेवा समाप्ति

38—श्री राम सजीवन—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले मे निबन्धन विभाग में लिपिकों के कुल कितने स्थान स्वीकृत हैं और कितने अस्थायी व स्थायी लिपिक कार्यरत हैं ? इनमें से हरिजनों की संख्या कितनी है ? क्या दो अस्थायी लिपिकों के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों के आधार पर सत्र न्यायालय, बांदा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 120-बी/466–467 के अन्तर्गत मुकदमे चले थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? क्या यह सही है कि 1 मार्च, 1978 को एक हरिजन लिपिक को छटनी या सेवा मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

बांदा जिले के निबन्धन विभाग में निबन्धन लपिकों के कुल 10 पद स्वीकृत हैं जिनमे से 8 पदों पर स्थायी और 2 पदों पर अस्थायी निबन्धन लिपिक कार्यरत हैं । इन पदों के पदधारकों में हरिजनों की संख्या इस समय शून्य है । सन् 1965 में कार्यालय उप निबन्धक बांदा में हुए कथित जालसाजी के आरोप के सम्बन्ध में कार्यरत 2 अस्थायी निबन्धन लिपिकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 120/बी/466–467 के अन्तर्गत मुकदमा सत्र न्यायालय में चलाया गया था । सत्र न्यायालय बांदा द्वारा इन लिपिकों को 4–4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गयी थी । फलस्वरूप इन दोनों लिपिकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था । इन दोनों लिपिकों ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील दायर की जो वर्ष 1977 में स्वीकार कर ली गयी तथा दोनों ही लिपिक सम्मानपूर्वक बरी कर दिये गये । तत्पश्चात् विधिक राय लेकर इन दोनों लिपिकों को सेवा में पुर्नस्थापित किया गया । चूंकि दोनों लिपिक सम्मानपूर्वक बरी किये गये थे, अतः उन्हीं आरोपों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । यह सही है कि एक अस्थायी निबन्धन लिपिक, श्री श्रीराम वर्मा (अनुसूचित जाति) को सर्वश्री राम लोलारक पाण्डे तथा गिरजा शंकर सिंह, जो उच्च न्यायालय द्वारा ससम्मान बरी कर दिये गये थे, के कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप निबन्धन लिपिक के पद से सेवा मुक्त किया गया था, परन्तु कुछ दिन बाद कलेक्टर, बांदा ने उन्हें निबन्धन लिपिक के पद के समान वेतनमान वाले स्टाम्प लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया, जिस पर वे अभी कार्यरत हैं ।

जहां तक अनुसूचित जाति के अस्थायी लिपिक श्री श्रीराम वर्मा को सेवा मुक्त किये जाने सम्बन्धी कारणों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जा रही है और स्थिति स्पष्ट होने पर विधिक राय लेकर समुचित निर्णय लिया जायेगा ।

फैजाबाद जिले की तहसील टाण्डा में बाढ़ पीड़ितों को दी गयी सहायता

39—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि फैजाबाद जनपद की टांडा तहसील के बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता हेतु क्या और किन-किन वस्तुओं का वितरण हेतु वर्ष 1978 में प्रबन्ध था और अब तक कितनी वस्तुओं का वितरण हो चुका और शेष कब तक बांटी जायेगी ?

श्री नारायण सिंह—

प्रश्नगत टाण्डा तहसील के बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता हेतु वर्ष 1978 में निःशुल्क सहायता 30,500 रु0, गृह निर्माण अनुदान 25,000 रु0, विशेष सहायता 18,500 रु0, कम्बल 250, धोती 50, साड़ी 50, निःशुल्क गेहूं 50 मी0 टन, आपदा तकावी 10,000 रु0, आवास ऋण 1,000 रु0 मोटा अनाज तकावी 50,000 रु0, बीज-खाद तकावी 4,25,000 रु0 के वितरण का प्रबन्ध किया गया था। अब तक निःशुल्क सहायता मद से 29,050 रु0, गृह निर्माण अनुदान से 3,440 रु0, विशेष सहायता मद से 17,043 रु0 के वितरण के अतिरिक्त 250 कम्बल, 50 धोती, 50 साड़ी तथा 50 मी0 टन निःशुल्क गेहूं का भी वितरण किया जा चुका है। शेष सहायता का वितरण प्रगति पर है।

40—श्री मुहम्मद रफी खां—

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

41—श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा नियमावली कितने समय से शासन में लम्बित है और उसकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? क्या प्रस्तावित सेवा नियमावली के अनुरूप पदोन्नतियां की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां। हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां एक वर्ष से शासन के विचाराधीन हैं। शासन स्तर पर विभागीय एवं नियमावली सेल के अधिकारियों के बीच इन नियमावलियों के परीक्षण के लिये बैठकें हो रही हैं जिनके अन्तिम परीक्षण के बाद यथावश्यक निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद ही अन्तिम रूप दिया जा सकेगा। अभी इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है। प्रस्तावित नियमावलियों की स्वीकृति के अभाव में पदोन्नति के निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों जैसे शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता तथा चरित्र पंजिकाओं के आधार पर तदर्थ रूप में पदोन्नतियां की जाती हैं।

गोण्डा जिले के बलरामपुर चकबन्दी विभाग में नियुक्तियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

42—श्री दीपनरायन (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोंडा जनपद के बलरामपुर चकबन्दी इकाई में रामनगर चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र 15 जुलाई, 1978 में खोला गया है ? यदि हां, तो क्या 15 जुलाई, 1978 से आज तक जिलाधिकारी महोदय, गोंडा को इस आशय का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है कि ब0 अ0 च0 ने नियुक्तियों में धांधली बर्ती है ? यदि हां, तो शिकायत के उपरान्त किन-किन लेखपालों, चकबन्दी कर्ताओं, सहायक चकबन्दी अधिकारियों एवं लिपिकों की नियुक्ति की गयी है और शिकायत के आधार पर कौन-कौन लोग हटाये गये ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

निदेशक, कोषागार के विरुद्ध श्रीमती सरोजनी का शिकायती-पत्र

43—श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश के पक्षपातपूर्ण नीतियों और तानाशाही रवैये के सम्बन्ध में जून-जुलाई, 1978 में श्रीमती सरोजनी पत्नी श्री त्रिवेणी सहाय वर्मा का शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में मुख्य आरोप क्या था, उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और परिणाम क्या हुआ ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हां, श्रीमती सरोजनी का एक शिकायती-पत्र दिनांक 24-6-78 प्राप्त हुआ था जिसमें यह उल्लेख था कि कोषागार निदेशालय में उनके पति श्री त्रिवेणी सहाय वर्मा को श्री नरेश चन्द्र सक्सेना से वरिष्ठ घोषित किये जाने के शासनादेश का निदेशक कोषागार द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायती-पत्र पर शासन द्वारा निदेशक कोषागार की आख्या मांगी गई और उन्होंने श्री सक्सेना के मैनपुरी कोषागार में स्थायी हो जाने, मिनिस्ट्रीयल रेक्रूटमेन्ट परीक्षा, 1950 के नियुक्ति के समय लागू न होने तथा कोषागार निदेशालय में श्री सक्सेना को श्री वर्मा से पहले नियुक्त किये जाने का आधार लेकर शासन को निर्णय पर पुनर्विचार हेतु सन्दर्भित किया। श्री सक्सेना की नियुक्ति एवं स्थायीकरण को नियमित नहीं माना गया है और आदेश निरस्त करने के हेतु राजस्व परिषद् को लिखा गया है। अतएव श्री त्रिवेणी-सहाय की वरिष्ठता के मामले में पुनः विचारोपरान्त निदेशक कोषागार को शासन के निर्णय से अवगत करा दिया जायगा।

कोषागार निदेशालय, आधार सामग्री केन्द्र व कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

44—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी) तथा श्री राम फेर (जिला सुल्तानपुर)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कोषागारों के कार्य पर नियंत्रण रखने हेतु कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ आधार सामग्री विधायन केन्द्र, उत्तर प्रदेश और प्रधानाचार्य कोषागार कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ की स्थापना की गयी है? यदि हां, तो उक्त तीनों कार्यालय में से कोषागारों का विभागाध्यक्ष कौन है? क्या यह सही है कि इन कार्यालयों के कारण कोषागारों के कार्य में पर्याप्त और अनावश्यक वृद्धि हुई है?

श्री मधुकर दिघे—

कोषागार निदेशालय की स्थापना कोषागारों की तकनीकी देख-रेख हेतु आधार सामग्री केन्द्र की स्थापना राज्य की प्राप्ति व व्यय में सामयिक नियंत्रण व निगरानी रखने हेतु तथा कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कोषागार कर्मचारियों व विभागों के लेखाकारों को प्रशिक्षण देने हेतु की गई है। कोषागारों का विभागाध्यक्ष अध्यक्ष, राजस्व परिषद् है। केवल आधार सामग्री विधायन केन्द्र को आंकड़े भेजे जाने की व्यवस्था से कोषागारों के कार्य में वृद्धि हुई है जिसके लिए प्रत्येक कोषागार में डाटा लिपिक का पद सृजित किया गया है। अन्य दो कार्यालयों की स्थापना से कोषागारों के कार्य में वृद्धि नहीं हुई है।

45–46—श्री त्रिलोक चन्द्र—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया]

गाजियाबाद, आगरा व कानपुर के व्यापारियों द्वारा पाम आयल व रेपसीड आयल का कथित आयात एवं बिक्री-कर की चोरी

47—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि राज्य के गाजियाबाद, आगरा और कानपुर के कुछ व्यापारिक संस्थानों ने करोड़ों रुपए का पाम आयल और रेपसीड बाहर से वर्ष 1977 और 1978 में मंगाकर बिक्री किया है किन्तु बिक्री धनराशि पर बिक्री-कर अदा न करके, बिक्री-कर का अधिकांश भाग स्वयं हड़प गए हैं? यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री मधुकर दिघे—

शासन को ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत किसी स्थान के विशिष्ट व्यापारिक संस्थान के विषय में प्राप्त नहीं हुई है कि उन्होंने पाम आयल तथा रेपसीड बाहर से मंगाकर उसकी बिक्री

पर करार्वचन किया। ऐसी स्थिति में किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। वैसे विभाग द्वारा प्रश्नगत स्थानों पर इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

मिर्जापुर के सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी स्वर्गीय श्री गौरीशंकर श्रीवास्तव के पुत्र को सर्विस में लिये जाने की मांग

48—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्व0 गौरी शंकर श्रीवास्तव, भूतपूर्व कर्मचारी सर्वेक्षण इकाई, मिर्जापुर के बकाए व उनके पुत्र को नौकरी देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से दिसम्बर, 1978 में कोई आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो आख्या कब और क्या प्राप्त हुई ? क्या उन्हें आख्या से प्रश्नकर्ता को भी अवगत कराने के लिए कहा गया था? यदि हां, तो क्या वे अवगत कराये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आगरा जिले में बाढ़ से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वासन की मांग

49—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आगरा में 1978 की जमुना नदी की प्रलयंकारी बाढ़ से नष्ट व बर्बाद हुए गांवों की ऊंचे स्थानों पर आबादी हेतु भूमि दे दी गयी है और क्या उन्हें पानी पीने के कुंए बनवाने को अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार का उन बर्बाद गांवों की आबादी को ऊंचे स्थानों पर बसाने का विचार है ?

श्री नारायण सिंह—

अभी कोई भूमि नहीं दी गयी है। नवीन आबादी स्थल अभी नहीं बसे हैं, इसलिए पानी के कुंए बनाने का भी अनुदान नहीं दिया गया है। ऐसे गांवों जो बाढ़ से बर्बाद हुए हैं, की आबादी को ऊंचे स्थानों पर बसाने का विषय शासन के विचाराधीन है।

इटावा जिले के परगनाधिकारी न्यायालय कक्ष का निर्माण

50—श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि तहसील विधूना, जिला इटावा में परगनाधिकारी न्यायालय कक्ष निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री नारायण सिंह—

परगनाधिकारी के न्यायालय के दो कक्ष निर्माणाधीन हैं। यह निर्माण कार्य 30 अप्रैल, 1979 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

लखनऊ के चकबन्दी अधिकारी, श्री शान्ति स्वरूप का कार्यकाल

51—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लखनऊ इकाई में कार्यरत चकबन्दी अधिकारी श्री शान्ति स्वरूप अपनी नौकरी के दौरान सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी अधिकारी पदों पर विगत 15 वर्षों की अवधि में कुछ अवधि छोड़कर लखनऊ में ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो ऐसी सुविधा इन्हीं को क्यों प्राप्त है ?

श्री नारायण सिंह—
सूचना एकत्रित की जा रही है ।

52—श्री नरेश चन्द्र—
[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

53—श्री रवीन्द्र सिंह—
[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भविष्य निधि के खाते के सम्बन्ध में कथित राजाज्ञा

54—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या यह सत्य है कि कोई ऐसी राजाज्ञा जारी हुई है कि जिसके द्वारा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के भविष्य निधि के खातों का लेखा जोखा जिले के मुख्यालय पर रक्खा जायगा ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही की है ?

श्री मधुकर दिघे—
जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक बिक्री-कर अधिकारियों की प्रोन्नति में पिछड़ी जाति का आरक्षण

55—श्री नरेश चन्द्र—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 1978 तक कितने सहायक बिक्री-कर अधिकारियों को प्रोन्नत करके बिक्री-कर अधिकारी बनाया गया है और इनमें से पिछड़ी जाति के स0 बि0 कर अधिकारियों को 15 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर क्यों नहीं प्रोन्नत किया गया है ? इसके अतिरिक्त कितनी और प्रोन्नतियां स0 बि0 कर अधिकारियों की बाकी हैं ? क्या इन अवशेष प्रोन्नतियों में 15 प्रतिशत आरक्षण को किया जायगा ?

श्री मधुकर दिघे—

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा जारी की गई राजाज्ञा-3774—चालीस—एए 6(13)-77, दिनांक 13 जनवरी, 1978 में पिछड़ी जातियों के अधिकारियों को पदोन्नति में 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है । 20 मार्च, 1978 के बिक्री कर आयुक्त के आदेश द्वारा 59 सहायक बिक्री कर अधिकारियों की बिक्री-कर अधिकारी के पद पर पदोन्नतियां की गई थीं । चयन समिति द्वारा पदोन्नतियों पर विचार करते समय पिछड़े वर्ग के अधिकारियों से उक्त वर्ग के सदस्य होने के दावे के अपेक्षित प्रमाण-पत्र न प्राप्त होने के कारण दिनांक 13-1-78 की राजाज्ञा के अनुसार पिछड़ वर्ग के अभ्यर्थियों को वांछित पदोन्नति न दी जा सकी । उक्त राजाज्ञा के अनुसार पिछड़े वर्ग के 9 अधिकारियों को तब पदोन्नत किया जाना था । राजाज्ञा दिनांक 13-1-78 द्वारा निर्धारित पिछड़े वर्ग के कोटे क अनुसार अब पदोन्नतियां कर दी गई हैं ।

56—श्री भीषम तथा श्री सुखपाल पाण्डेय—
[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

इटावा जिले के ग्राम बराखेड़ा में चकबन्दी किये जाने सम्बन्धी आवेदन-पत्र

57—श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के ग्राम बराखेड़ा के किसानों ने जनवरी, 1975 में चकबन्दी आयुक्त को इस गांव में चकबन्दी कराने के लिए आवेदन-पत्र दिया था जिसके

आधार पर विभागीय सर्वे हुआ था और 47 प्रतिशत भूमि चकबन्दी के योग्य साबित हुई और तत्कालीन बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी, कानपुर ने चकबन्दी कराने के लिए संस्तुति की थी? यदि हां, तो अब तक उक्त ग्राम की चकबन्दी न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद इटावा के ग्राम बराखेड़ा के काश्तकारों का इस गांव में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में जनवरी, 1975 में तत्कालीन चकबन्दी आयुक्त को कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु उपरोक्त अधिकारी को इस ग्राम के काश्तकारों का इस आशय का वर्ष 1974 में एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र दिनांक 9 अक्तूबर, 1974 को प्राप्त हुआ था। उस पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, इटावा ने स्थल निरीक्षण के पश्चात् उपरोक्त ग्राम को चकबन्दी योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु अपनी संस्तुति चकबन्दी आयुक्त को भेजी। शासन ने अब इस गांव में चकबन्दी कराने हेतु औपचारिक स्वीकृति दे दी है।

58—श्री राज किशोर तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के ग्राम बराखेड़ा में चकबन्दी किए जाने के सम्बन्ध में वहां के किसानों का प्रार्थना-पत्र जिसमें चार विधायकों ने संस्तुति की थी उस पर माननीय राजस्व मंत्री जी ने चकबन्दी आयुक्त को 30 मार्च, 1978 को आदेश दिया था कि सम्बन्धित ग्राम को चकबन्दी में शामिल कर लें ? यदि हां, तो उक्त ग्राम बराखेड़ा, जिला इटावा में चकबन्दी का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां, इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। उपरोक्त ग्राम में चकबन्दी कराने की स्वीकृति शासन ने दे दी है। चकबन्दी कार्य का प्रारम्भ अधिसूचना प्रकाशित हो जाने के बाद किया जावेगा।

देवरिया जिले के ग्राम नोनापार के तालाब की चकबन्दी

59—श्री राम आसरे (जिला बस्ती) तथा श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तालाब एवं पोखरे जैसे सार्वजनिक संपत्ति को व्यक्ति विशेष के चक में सम्मिलित कराने हेतु उसकी मालियत लगाने का प्राविधान चकबन्दी विभाग को प्राप्त है? यदि नहीं,तो देवरिया जनपद के ग्राम नोनापार के तालाब गाटा सं0 2332 रकबा 1.65 एकड़ की मालियत तेरह आना क्यों और किन परिस्थितियों में लगाई गई है ?

श्री नारायण सिंह—

तालाब की मालियत लगाने का प्राविधान चकबन्दी अधिनियम में नहीं है। ग्राम नोनापार का गाटा संख्या 2332 रकबा 1.65 एकड़ श्री वीरन नाथ, पुत्र श्री श्याम लाल के नाम से सीरदारी वर्ग में दर्ज था इस कारण सहायक चकबन्दी अधिकारी ने इस गाटे का विनिमय अनुपात निर्धारित करके इसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सुरक्षित किया है।

गोरखपुर जिले के सिसवा निचलौल मिठौरा क्षेत्र में चकबन्दी

60—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सिसवा निचलौल, मिठौरा क्षेत्र में अब चकबन्दी कार्य पूरा हो गया है ? चकबन्दी विभाग द्वारा एक गांव से दूसरे गांव

तथा एक खेत से दूसरे खेत में काश्तकारों के आने-जाने के लिए जो भी चकरोड छोड़ा गया है उपयुक्त नहीं है और बहुत से गांव में रास्ता भी नहीं छोड़ा गया है ? क्या सरकार रिफरेंस बनाते समय ग्रामीणों के आने-जाने की सुविधा हेतु चकरोड देने के आदेश देगी ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद गोरखपुर के सिसवा, निचलौल, मिठौरा, क्षेत्र में चक निर्माण का कार्य समाप्त हो चुका है और नये अभिलेख बनाने का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव तथा एक चक से दूसरे चक में आने-जाने के लिए समुचित चक मार्ग की व्यवस्था की गई है। यह कहना ठीक नहीं है कि बहुत से ग्रामों में रास्ता भी नहीं छोड़ा गया है। फिर भी जहां कोई कमी पायी जाती है, धारा 52 चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाशन के पूर्व चक-मार्ग दिया जाता है।

61—श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री राम आसरे वर्मा—

[5वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर बिक्री कर विभाग में लिपिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र

62—श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जनवरी, 1978 में गोरखपुर बिक्री-कर विभाग में तृतीय वर्गीय चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के विषय में प्राप्त हुआ था ? क्या आरोपों की जांच कराई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हां। आरोपों की जांच कराये जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी गई कि अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती नियमावली, 1975) के नियम 21 के अनुसार छः माह से अनधिक अवधि के लिये ही जिला चयन समिति के अभ्यर्थियों के न उपलब्ध होने की स्थिति में सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगा कर नियुक्तियां करने की व्यवस्था है।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम कटघरा पट्टी में चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

63—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कटघरा पट्टी, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के किसानों ने 17 जनवरी, 1978 को चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को 12 शिकायतों का एक ज्ञापन चकबन्दी के संबंध में दिया था जिसकी जांच संयुक्त संचालक, चकबन्दी (श्री हरि माधव शरण) ने 8/9 फरवरी, 1978 को मौके पर जाकर की ? यदि हां, तो उन्होंने उन शिकायतों के बारे में क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां, ग्राम कटघरा पट्टी तहसील कादीपुर जनपद सुल्तानपुर के किसानों के ज्ञापन में उल्लिखित शिकायतों की जांच संयुक्त संचालक चकबन्दी (श्री हरि माधव शरण) ने मौके पर जाकर की थी और जांचोपरान्त यह पाया गया कि उक्त ग्राम के जलमग्न गाटा संख्या 251,3864,3 व 4 का विनिमय अनुपात नियमों के विरुद्ध निर्धारित किया गया है। चक निर्माण में क्षेत्र के कमी वेशी करने में भी निर्धारित प्रतिशत से अधिक अन्तर किया गया है।

64—श्री मोती लाल देहलवी—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बांदा जिले के कस्बा अतर्रा में अतिवृष्टि से मकान गिरने एवं मृत्यु होने की घटना

65—श्री सुरेन्द्र पाल—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे के लोधू थोक वार्ड नं0 8, म0 नं0 124, श्री दशरथ का अतिवृष्टि से घर के गिरने से उसके लड़के की मृत्यु के संबंध में पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र 8 सितम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी उपरोक्त परिवार के लिए क्या आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां, दिनांक 1-9-78/2-9-78 की रात्रि में श्री दशरथ का मकान पुराना होने के कारण अचानक गिर पड़ा जिसके फलस्वरूप उसके लड़के की मृत्यु हो गई । श्री दशरथ प्रसाद को सहायता के रूप में 70 रु0 अहेतुक सहायता, 100 रु0 गृह निर्माण अनुदान एक धोती तथा 20 किलोग्राम गेहूं दिया गया था ।

मिर्जापुर जिले की तहसील दुद्धी व राबर्ट्सगंज में भूमि अभिलेख क्रिया

66—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, तहसील राबर्ट्सगंज और दुद्धी में चल रही रिकार्ड आपरेशन की अभिलेख क्रियाएं कब प्रारम्भ हुयीं तथा कब तक क्रियायें समाप्त होने की सम्भावनायें हैं ? कितना व्यय हो चुका तथा कितना होने की सम्भावना है ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

विविध विषय

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ....

एक अन्य सदस्य—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

जिस कार्य सूची के बल पर आप सदन चला रहे हैं उस कार्य सूची में महत्वपूर्ण गल्तियां हैं । उसके संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह शून्य प्रहर चल रहा है । मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें ।

बाजार में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव तथा अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन क संज्ञान में लाना

बाजार में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव तथा अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि बाजार में आजकल आवश्यक आवश्यकता की उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव होकर अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि हो गयी है, जिसके कारण समाज के कमजोरवर्ग तथा मुख्य रूप से सीमित आय वाले वर्ग का जनजीवन संकट ग्रस्त हो गया है।

इस सप्ताह साबुन, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, टाफी बिस्कुट तथा किराना के सामान के मूल्यों में मनमानी वृद्धि हो गयी है । एक सर्वेक्षण के अनुसार सिगरेटों में 25 पैसे से एक रुपया प्रति पैकेट वृद्धि, माचिस की डिब्बिया 13 पैसे से 25 पैसे में बिक रही है । साबुन की एक टिकिया में 25 से 50 पैसे तक की वृद्धि हुयी है । मिट्टी का तेल बाजार से गायब हो गया और पेट्रोल में 55 पैसे प्रति लीटर वृद्धि हुई है । इसी प्रकार किराना में काली मिर्च में 20 रुपया प्रति 50 किलो, धनिया में 15 रुपया, जीरा में 50 रुपया तथा कलौंजी में 40 रुपया की तेजी आ गयी है। डीजल तथा पैट्रोल में मूल्य वृद्धि से आवागमन के साधनों में किराया वृद्धि से तथा लदान की दरों में वृद्धि से खाद्यान्नों गेहूं, चावल तथा दालों के दामों में लगभग 15.20 पैसा प्रति किलो की तेजी आई है । चाय तथा काफी में भी तेजी है ।

इस प्रकार पारिवारिक बजट में 6 व्यक्तियों के एक परिवार के सामान्य जीवन-स्तर जीने के लिये लगभग 125 से 150 रुपया तक व्यय-भार बढ़ गया है।

सरकार मूल्य वृद्धि रोकने तथा आवश्यक आवश्यकता की उपभोक्ता वस्तु की आपूर्ति सुलभ कराने में सफल नहीं हो रही है । समुचित प्रयासों की भी जानकारी नहीं है।

अतएव मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री से आशा करूंगा कि वह इस विषय एवं विस्फोटक परिस्थिति के निवारणार्थ उठाये जाने वाले शासकीय कदमों से माननीय सदन को अवगत कराने की कृपा करें ।

मान्यवर, इस विषय में आप खाद्य मंत्री जी से जो शासकीय कार्य किये गये हैं, उनकी जानकारी दिलवाने की कृपा करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है । वह बहुत गंभीर प्रश्न है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बजाय इसके कि खाद्य मंत्री जी से कहें, माननीय राजेंद्र कुमार जी अपने केन्द्रीय मंत्रि-मंडल से कहें कि यह बजट प्रोपोजल कैसे रखा है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

इस पर चर्चा करने का मौका दे दे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बस्ती जिले में कतिपय पिस्तौल धारी गुंडों द्वारा नर्सों के साथ सामूहिक बलात्कार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, दिनांक 25 फरवरी की रात्रि को बस्ती नगर के नर्सेज हास्टल के प्रांगण में कतिपय पिस्तौलधारी गुंडों ने प्रार्थनारत नर्सों को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाकर एक शर्मनाक वीभत्स एवं घृणित कुकृत्य का सृजन किया है । हास्टल की बत्तियां गुल कर दी गयीं । प्रशासन की ठीक नाक के नीचे आधे घंटे तक असहाय चीखती चिल्लाती नर्सों की अस्मत लुटती रही और चौकीदार द्वारा अधिकारियों को तत्काल लोमहर्षक दुर्घटना की सूचना दिये जाने के बावजूद किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी । राहत के लिये नर्सों द्वारा उठायी गयी चीख पुकार अधिकारियों की निष्क्रियता को न हिला सकी ।

दुर्घटना की विधिवत् रपट अगले दिन अर्थात् 26–2–79 को विधिवत् पुलिस को दी गयी । आश्चर्य की बात यह है कि इस अमानवीय लोमहर्षक एवं हृदय विदारक दुर्घटना पर पूरे चार दिनों तक मौन साधी रही । यह शर्मनाक घटना पूरे नगर में बिजली की तरह फैल चुकी है। अधिकारियों द्वारा घटना को नकारना अपनी अकर्मण्यता को छिपाना है ।

इस लज्जाजनक घटना के विरोध में गोरखपुर, बस्ती एवं देवरिया की नर्सेस यूनियन एवं अन्य राजकीय कर्मचारी संगठनों ने शीघ्र हड़ताल करने की धमकी दी है । पूरे जनपद में प्रशासन के प्रति रोष एवं घृणा का वातावरण व्याप्त है । अतः शीघ्र कार्यवाही हेतु सदन के संज्ञान में उपस्थित कर रहा हूं । मान्यवर, मुझे एक घटना पिछले अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में मिली है कि बस्ती जिले में नर्सेस के साथ इसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया है । यह अत्यन्त शर्मनाक घटना है । औरतें अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं । इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य मंत्री को निर्देश दें कि इस वस्तुस्थिति के संदर्भ में शासन द्वारा की गयी कृत्य कार्यवाही से सदन को अवगत करायें और इसको टालने की शासन कोशिश न करे तथा इस पर शासन गौर करे ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मुख्य मंत्री जी देख लेंगे और तत्काल जो कार्यवाही संभव हो सके, वह करेंगे ।

राज्य सरकार के अधीन सेवारत मोटर चालकों द्वारा चलाये जा रहे शान्तिपूर्ण संघर्ष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के अधीन सेवारत समस्त विभागों के दस हजार मोटर चालकों द्वारा चलाये जा रहे शांतिपूर्ण संघर्ष की तरफ इस माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इन मोटर चालकों के पदों के सृजन से लेकर आजतक कार्य करने का समय निर्धारित नहीं है । वस्तुतः इन चालकों से दिन रात कार्य लिया जाता है ।

प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यरत मोटर चालक 20 फरवरी, 1979 से दाढ़ी बाल बढ़ाकर तथा काला फीता धारण करके संघर्ष के पथ पर हैं । इन्होंने खाली पेट रह कर भी कार्य करने का निश्चय किया है इससे स्थिति और बिगड़ने वाली है । इन चालकों के संघर्ष से राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि मोटर चालकों की न्यायोचित मांगों को अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिये ।

सेक्सरिया चीनी मिल, बभनान जिला गोंडा में श्रमिकों का बकाया तथा हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ।

***श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सेक्सरिया चीनी मिल बभनान जिला गोंडा की तरफ माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सेक्सरिया चीनी मिल मजदूरों का बकाया अक्तूबर, 1978 से फरवरी, 1979 तक करीब 32 लाख रुपया बाकी है । बकाया वेतन भुगतान करने के लिये 17 फरवरी, 1979 से मजदूरों ने अनिश्चित काल के लिये हड़ताल कर दिया इससे बस्ती तथा गोंडा के सीमा पर उस क्षेत्र में विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है, लाखों कुंतल गन्ना करोड़ों रुपये का खेतों में खड़ा है, मिल बन्द होने के कारण गन्ने के पेराई की कोई व्यवस्था अब तक न हो सकी सरकार तथा अधिकारियों, किसानों और मजदूरों के साथ मिल मालिक द्वारा घोर अन्याय करने के बावजूद भी सरकार मौन रहती है । 32 लाख रुपया मजदूरों का तथा 41 लाख रुपया पुराना गन्ना मूल्य तथा 25 लाख रुपया नया गन्ना मूल्य का बकाया है । इस प्रकार का बकाया 98 लाख रुपया है । 17 फरवरी, से सेक्सरिया चीनी मिल बभनान अबतक (मार्च) बन्द है और श्रम विभाग तथा गन्ना विभाग ने मिल चालू करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया । अनेकों बार मैंने इस प्रकार विधान सभा में प्रश्न उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त चीनी मिल बभनान के मजदूरों का वेतन तथा किसानों का गन्ने का मूल्य भुगतान कराने का आदेश, खेतों में खड़े गन्ने की पेराई की व्यवस्था और शीघ्र मिल को सरकारी नियंत्रण में लेने का आदेश देकर करोड़ों रुपये की क्षति से किसानों को बचाने के लिये मुख्य मंत्री जी ध्यान दें । उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी को आप निर्देश दें कि बभनान चीनी मिल के बारे में 2 दिन के अन्दर निर्णय करके उसको सरकारी नियंत्रण में लें और बकाये का भुगतान कराने की व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गन्ना विकास मंत्री जी, कृपया इसको तुरन्त देखें और बाकी के लिये संबंधित कार्यवाही करेंगे ।

प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर दिलाना चाहता हूं :—

यह कि इस समय प्रदेश में बढ़ती हुई असुरक्षा से प्रदेश का जन जीवन अस्त-व्यस्त सा लग रहा है । फैजाबाद में फूड कारपोरेशन के एक कर्मचारी श्री बद्री प्रसाद दुबे के घर में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

दिन दहाड़े हत्या करना । जिला आगरा में विवाह उत्सव पर कन्यादान के समय ग्राम नगला कराई में दिनांक 3–3–79 को डाकुओं द्वारा हमला और अन्धाधुन्ध फायरिंग करके लोगों को आतंकित किया और सारा सामान औरतों का जेवर आदि उड़ा ले जाना तथा दिनांक 4–3–1979 को टूंडला-एटा मार्ग पर प्रदेश परिवहन की बस जिसमें कुछ व्यापारी बैठे थे, उनके सहित बस कन्डक्टर का सारा धन लूट लेना कुछ ज्वलन्त उदाहरण है, जिससे प्रदेश के जन मानस में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है । आपके द्वारा मेरी सरकार से मांग है कि इस ला और आर्डर (कानून व्यवस्था) की समस्या को सरकार तुरन्त ठीक करे, जिससे प्रदेश के जन मानस में सरकार के प्रति सद्भावना बढ़े और लोग चैन की जिन्दगी बिता सकें ।

फतेहपुर, पैतेपुर, महमूदाबाद गन्ना क्रय केन्द्रों से खरीदे गये गन्ने का मूल्य कृषकों को भुगतान न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान फतेहपुर, पैतेंपुर, महमूदाबाद सेंटरों के गन्ना पेशा करने वाले किसानों की समस्याओं की ओर इंगित कराना चाहता हूं ।

महोदय, वर्ष 1978 से इन सेंटरों के किसानों का गन्ना केन यूनियन बिसवां के माध्यम से जरबल मिल को दिया जाता था । लगभग 30 लाख रुपया इन सेंटरों के किसानों का बकाया है अनेकों प्रयास करने के बाद आंशिक सफलता मिल सकी थी । पिछले वर्ष किसानों के बहुत अनुरोध करने पर कुछ पैसा दिलाने के लिये मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, अतः किसानों में कुछ आशा बंधी थी कि पिछले गन्ने का बकाया मिलकर हम लोगों को गरीबी में सहायक होगा । इस वर्ष लगभग 5 लाख रुपया केन यूनियन बिसवां को इस बकाया धनराशि को भुगतान करने के लिये मिल चुका है परन्तु कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कोई भी व्यक्ति किसानों को भुगतान देने के लिए तैयार नहीं है । तीनों सेंटरों के किसानों में रोष की भावना बढती जा रही है । किसान दौड़-दौड़कर बिसवां केन यूनियन जाता है परन्तु भुगतान देना दूर, बात करना भी कठिन हो रहा है ।

महोदय, यदि इस समस्या के निराकरण का कोई समुचित प्रबन्ध न किया गया तो आर्थिक दृष्टि से परेशान किसान गम्भीर समस्यायें शासन के सामने खड़ीकर सकता है जिससे शांति व्यवस्था को एक गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर अपेक्षा करता हूं कि फतेहपुर, पैंतेपुर, महमूदाबाद सेंटरों के गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों का पैसा का भुगतान कराने की अविलम्ब व्यवस्था कराने की कृपा करें।

माध्यमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान न होने से असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन में एवं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं --

1—ग्रांट के निर्गत न होने के कारण माध्यमिक शिक्षकों को फरवरी, 1979 के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, होली का त्योहार अति निकट होने के कारण उनको अत्यधिक परेशानी है ।

2—पिछले वर्ष माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल के समय का वेतन उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं सरकार के आश्वासन के बावजूद शिक्षकों को अभी तक नहीं मिला है।

मान्यवर, शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है । माध्यमिक परिषद की परीक्षायें अति निकट है । शिक्षा जगत में व्यवस्था एवं शांति कायम रखने के लिये सरकार का दायित्व है कि उपरोक्त वेतनों के भुगतान की तुरन्त व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसमें कृपया तुरन्त ध्यान दें ।

बलिया जनपद में किरोसिन आयल की चोर बाजारी तथा जनता में वितरण न होने से परेशानी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री मन्नूराम (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनपद बलिया के तीनों तहसीलों से केरोसिन तेल बाजार से पूर्णतया गायब हो गया है। इस जनपद का 98 प्रतिशत जनता के कैरोसिन तेल से अपने घर को उजाला करती है। बिजली का प्रचार व प्रसार अब तक समुचित ढंग से इस जनपद के गांवों एवं हरिजन बस्तियों में न होने से केरोसिन तेल के अभाव में पूरा गांव अन्धकारयुक्त चल रहा है । गांव में प्रकाश न रहने से किसानों, गरीब मजदूरों, मध्यम वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कठिनाइयां बढ़ गयी हैं । गरीब किसान मजदूर मजदूरी करके अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं । केरोसिन तेल के बाजार से गायब हो जाने एवं केरोसिन तेल लाइसेंसधारी विक्रेतारों द्वारा केरोसिन तेल को बाजार से कहीं दूर हटाकर छिपा देने तथा 5 रु0 प्रति लीटर के भाव करके ब्लैक में तेल बेंचने से काफी तबाही आ गयी है । भयंकर अंधेरे के साथ साथ चोर बाजारी करने वाले उन केरोसिन तेल बिक्रेताओं द्वारा वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए भयंकर भ्रष्टाचार, चोरबाजारी एवं ब्लैक मारकेटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है । बताया जाता है कि केरोसिन तेल बाजारों से हटाकर किसी गांव में तथा किसी अन्य स्थानों पर रखवा दिया जा रहा है जहां पर आम जनता उसको आसानी से पाने में असमर्थ है । केरोसिन तेल की महंगाई का ढिंढोरा पीटकर चौगुनी आमदनी के साथ यह चोर बाजारी करने वाले केरोसिन तेल के फुटकर व थोक बिक्रेता लाभ कमा रहे हैं और समय से तथा आसानी से केरोसिन तेल को गांवों के लोगों को उपलब्ध भी नहीं होने दे रहे हैं । संबंधित अधिकारियों एवं जांचकर्ताओं का उन दुकानदारों से मिला जुला हाथ बताया जाता है जिसकी वजह से केरोसिन तेल बिक्रेता भ्रष्टाचार करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं । लगभग केरोसिन तेल के सिलसिले में यही दशा इस प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों की है।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि गांवों से अंधेरा शीघ्र हटाने के लिए अविलम्ब जिलाधिकारियों को आदेश देकर व्यवस्था करायी जाय। दोषी पाये जाने वाले लाइसेंसधारी किसान तेल बिक्रेताओं का लाइसेंस रद्द किया जाय और सरकार द्वारा केरोसिन तेल की उपलब्धता की शीघ्र व्यवस्था कराई जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा तथा जनता में व्याप्त असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा के प्रति जनता को घोर कष्ट एवं आक्रोष उग्र रूप में भड़क उठने की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, इस क्षेत्र में कुछ वर्षों से निर्मित सार्वजनिक निर्माण विभाग की सारी सड़कें अधूरी व टूटी फूटी दशा में पड़ी हैं । यातायात लगभग ठप हो रहा है । भयंकर उपेक्षा व लापरवाही विभागीय अधिकारी इन्हें पूर्ण करने व सुधार करने में वरत रहे हैं । सुमेरपुर टिकरी बुजुर्ग मार्ग, कुरारा मिश्रीपुर मार्ग, कुरारा बेरी मार्ग, कुरारा मौली मार्ग, इटौनी विवार बाधुर, जलालपुर मार्ग, विवार मौदहा मार्ग अधबने व टूटे हैं । वर्षों से जनता कार्य पूर्ण नहीं हो सका । पुलिया नहीं बनी तथा रोडवेज की बसें भी इन कई मार्ग में चलना बन्द हो गयी हैं । क्षेत्र की जनता आये दिन की दुर्घटनाओं व दुर्दशा के कारण अति क्षुब्ध है और आन्दोलन का वातावरण बन रहा है । समस्या विस्फोटक होने से बचाने हेतु सरकार से इस विषय में वक्तव्य देने व शीघ्र सुधार की मांग आपके माध्यम से करता हूं ।

प्रतापगढ़ जनपद में बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

महोदय, प्रतापगढ़ जनपद में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

प्रतापगढ़ जनपद में विगत माह जनवरी तथा फरवरी में दिन दहाड़े कत्ल तथा डकैतियों का तांता लग गया है । अभी हाल में मान्धाता के पास एक अमीन को दिन दहाड़े गोलियों से उड़ा दिया गया तथा रामपुर खास विधान सभा क्षेत्र में एक साथ कई डकैतियां पड़ी तथा कई हजार की सम्पत्ति का नुकसान हुआ । इसी क्रम में गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में एक साथ कई डकैतियां पड़ी तथा कई हजार रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ । इसी क्रम में गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में बड़ा का पुरवा में डकैती डालने का प्रयास किया गया तथा ग्रामीणों के मुकाबला करने पर एक डकैत मारा गया । इसी प्रकार से प्रतापगढ़ जनपद में विगत 15 दिनों के अन्दर कई डकैतियां पड़ी जिसमें कई जानें गई तथा हजारों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ । मान्यवर, इस समय प्रतापगढ़ जनपद में लोगों के अन्दर बड़ा आतंक फैला हुआ है तथा असुरक्षा की भावना बढ़ गयी है।

अतः मान्यवर, आपके माध्यम से प्रतापगढ़ जनपद में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं तथा समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।

दैनिक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड, नवजीवन व कौमी आवाज के कार्यालयों में गैर कानूनी तालाबन्दी तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज समाचार पत्र कार्यालय में गैर कानूनी ताला बन्दी के संबन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लखनऊ से निकलने वाले समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के मैनेजमेन्ट ने दिनांक 6 मार्च, 1979 से अनिश्चित काल के लिये गैर कानूनी तालाबन्दी इन समाचार पत्रों के कार्यालय म कर दिया है जिससे 600 कर्मचारी बेकार हो गये हैं। यही नहीं प्रबन्धकों ने माह जनवरी और फरवरी, 1979 का वेतन भी कर्मचारियों को नहीं दिया है। 10 लाख रुपया प्राविडेन्ट फन्ड का जो कर्मचारियों का है उसे भी नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार 4 लाख रुपया कर्मचारी का ई0 एस0 ई0 का है। कर्मचारियों की लाइफ इन्श्योरेन्स पालिसी नहीं जमा किया जिससे 321 से ज्यादे इन्श्योरेन्स पालिसी लैप्स कर गई।

6 व्यक्तियों ने दिसम्बर, 1978 से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल 29 दिसम्बर से किया था कि समय से वेतन दिया जाय। विरोधी दल के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी की मध्यस्थता पर प्रबन्धकों ने आश्वासन दिया था कि समय से वेतन मिलेगा परन्तु उसे पूरा नहीं किया गया। प्रबन्धकों के दुर्व्यवहार से समाचार पत्रों का प्रकाशन भी समय-समय पर रुक गया।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव ने 11 जनवरी, 1978 से ले आफ को गैर कानूनी करार दिया था इसके बाद भी प्रबन्धकों ने शासन व कर्मचारियों की मागों की अवहेलना करते रहे। समाचार पत्र प्रजातंत्र का प्रहरी होता है। किसी को भी अधिकार नहीं है कि समाचार पत्र के प्रकाशन को बन्द कर दे और उससे संबन्धित कर्मचारियों को भूखों मरने दे।

महोदय, स्थिति गैर कानूनी तालाबन्दी से गंभीर हो गई है। होली नजदीक है कर्मचारी दो माह का वेतन न पाने से भुखमरी की स्थिति में आ गये हैं। ऐसी दशा में शासन से आपके माध्यम से मेरी मांग है कि वह तत्काल नवजीवन नेशनल हेराल्ड व कौमी आवाज का प्रबन्ध रिसीवर नियुक्त कर अपने हाथ में ले लें।

महोदय, इस के अतिरिक्त मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन प्रबन्ध मंडल में यशपाल कपूर जैसे लोग, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे लोगों का हाथ है। मान्यवर, जब तक शासन हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक व्यवस्था करना कर्मचारियों के बस में नहीं है क्योंकि बार बार मांगों की अवहेलना होती रही है। मान्यवर, आप के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सरकार इस में हस्तक्षेप करे और वक्तव्य दे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री इस पर ध्यान दें और इस के बारे में वक्तव्य भी होली के बाद दें।

विविध विषय (क्रमागत)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैंने आज्ञा ले ली है, व्यवस्था के लिये...

श्री उपाध्यक्ष—

अभी कुछ सूचनायें आनी हैं, यह पढ़ दूं...

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मैंने एक सूचना दी थी । तमाम कोषागार के कर्मचारी, बिक्री कर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वर्क टु रूल स्ट्राइक कर रखी है । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । सारे पे बिल रुके पड़े हैं । यह फाइनेंशियल ईयर का आखिरी माह है । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । समस्या बड़ी गम्भीर है, निर्माण कार्य सारे रुक गये हैं । इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें । आप अपनी बात कह चुके हैं । मैं सूचना पढ़ता हूं ।

प्रदेश में जेल निरीक्षकों की नियुक्तियां रद्द करके नई नियुक्तियां किये जाने पर आपत्ति

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर...;

श्री उपाध्यक्ष—

अब जो कुछ माननीय सदस्य कहेंगे वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । जब मैं सूचना देने जा रहा हूं आप को बैठना चाहिये ।

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त—

श्रीमन् यह व्यवस्था है कि शून्य प्रहर और सूचना की कार्यवाही प्रारम्भ...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसे ले लेता हूं । उस के बाद...

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय राजेंद्र कुमार गुप्त जी ने बिलकुल ठीक कहा है कि शून्य प्रहर के बाद व्यवस्था के प्रश्न उठाते हैं । यह नहीं होगा कि आप सूचना दें फिर हम खड़े हो जायं तब आप कहें व्यवस्था नहीं उठा सकते । अभी तक माननीय उपाध्यक्ष की ओर से आप की ओर से यह व्यवस्था होती थी कि 301 के बाद व्यवस्थायें उठाते थे तब आप सूचनायें देते थे...और आज आप इसके विपरीत कर रहे हैं । आप इस पर पुनर्विचार कर लें और जितनी व्यवस्थायें हैं, उठाने दें । राजेंद्र कुमार जी जो कह रहे हैं, वह सही कह रहे हैं ।

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस सदन की परम्परा रही है, आपसे पहले के माननीय अध्यक्ष जो आज मुख्य मंत्री हैं, उनकी भी व्यवस्था रही है कि हम कोई व्यवस्था शून्य प्रहर और सदन की कार्यवाही आरम्भ होने के बीच उठा सकते हैं । मैंने आपको लिखित रूप में एक विषय की जानकारी दी है उसको मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं आप अपने द्वारा दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको बाद में ले लूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आज समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि माननीय कारागार मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने समस्त जेल विजिटर्स की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। यह जानकारी आज जनमानस में आगई है। इसके पूर्ववर्ती जो कारागार मंत्री थे उन्होंने इस सदन के प्रत्येक सदस्यों को भी लिखा था और उन्होंने कहा था कि आप सब एक-एक सदस्य का नाम हमें दे दें और उनकी संस्तुति पर नियुक्तियां हुई थीं। अगर यह सही आदेश है तो इस आदेश से उत्तर प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं का घोर अपमान हुआ है और इस सदन के सदस्यों का भी अपमान हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह आदेश सही हैं ? अगर सही है तो यह नियुक्तियां रद्द करने का आधार क्या है ? इसके पहले माननीय कृषि मंत्री जी ने मंडी समितियों में बहुत सी नियुक्तियां कीं, जिला परिषद् में बहुत सी नियुक्तियां कीं, इस संबंध में मैं पूरी स्थिति जानना चाहता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो कुछ माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं माना जाएगा। अब आप बैठें। सदन की कार्यवाही चलने दें। श्री राजेंद्र कुमार जी ने जो आपत्ति की है, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी में अगर इस तरह का कोई आदेश हो तो उसके बारे में अवगत करा दें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मैं माननीय कारागार मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो इर्रेगुलरिटीज की गई, उसका वह रिव्यू करा रहे हैं।

मैं स्वागत करता हूं उनके निर्णय का और जो विवादास्पद प्रश्न था, जो पक्षपात किया गया उसका रिव्यू करा लें। यह स्वस्थ परम्परा है। जो मंत्री के कार्य की प्रणाली है उसकी जांच करा लें लेकिन 24 घंटे के अन्दर एक कलम से सारे आदेश रद्द कर दिये गये यह इस बात का प्रतीक है कि बदले की भावना से, मनमाने ढंग से, जनहित तथा सदन की भावनाओं की उपेक्षा करके आदेश दिये जा रहे हैं और इसके लिये इस असक्षम मंत्रिमंडल में होड़ लगी हुई है। यह अप्रजातांत्रिक तथा तानाशाही प्रणाली का द्योतक है। मैं स्वागत करता अगर इसकी जांच कराई जाती।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त ने यहां पर एक आपत्ति उठाई। मैंने सरकार से उसका उत्तर देने को कहा। आप उनका उत्तर तो सुन लें।

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त—

मुझे एक वाक्य और कहना है। उधर से बाबू राम वर्मा ने आर0एस0एस0 का नाम लिया—

श्री उपाध्यक्ष—

इसीलिये मैंने कह दिया था कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। इस बीच में जितने माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह कायवाही का अंग नहीं बनगा। अब आप सरकार को पहले सुन लें।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला–बहराइच)—

मेरा एक शेर सुन लें ।

"हमारे यहां की वजारत का हाल मत पूछो,
घिरी हुई है तवायफ तमाशबीनों में। "

कारागार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मुझे इस संबंध में यह कहना है कि एक प्रकार के लोगों की विशेष रूप से नियुक्तियां की गयी थीं । मैंने लोकहित तथा न्याय के हित में.....

(व्यवधान तथा शोरगुल के मध्य कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, अपनी पार्टी के विधायकों को नियंत्रण में रखने की कृपा करें ।

(श्री औसान सिंह तथा कतिपय अन्य सदस्यों द्वारा खड़े होने तथा एक साथ बोलने पर)

यह जो कुछ बोला जा रहा है कार्यवाही का अंग नहीं होगा । पहले आप लोग सरकार की तरफ की पूरी बात सुन लें।

श्री बेनीप्रसाद वर्मा—

मैंने निवेदन कर दिया कि मैंने सारी नियुक्तियों को बरखास्त कर दिया । मैं आज से नई नियुक्तियां शुरू कर दूंगा । माननीय सदस्यों से मैं परामर्श करूंगा । जिसमें विरोधी दल के भी होंगें । मैं प्रयास करूंगा कि जेल निरीक्षकों की जो नियुक्ति की जायेगी उसमें हरिजन और अल्प संख्यक वर्ग के लोग भी रखे जायेंगे—

(व्यवधान)

(श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी के बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री श्यामधर मिश्र को बुला लिया है, आप प्रश्न बाद में उठायें ।

छठीं पंचवर्षीय योजना तथा सातवीं फाइनेंस कमीशन के प्रारूप की प्रतियां सदन के सदस्यों को दिये जाने की मांग

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपको स्मरण होगा, पिछले सत्र में हमने नियम 52 और कार्य स्थगन के रूप में यह निवेदन किया था कि छठी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में उसका क्या प्रारूप होगा यह बताया जाय । ताकि हम उस पर विचार करें । उस समय यह उत्तर हमें दिया गया था कि 7 वें फाइनेंस कमीशन का प्रारूप नहीं आया है, निर्णय नहीं आया है जैसे ही वह आ जायेगा हम प्रारूप दे देंगे । श्रीमन्, दो बार हो गया । माननीय तत्कालीन अध्यक्ष ने यह निदेश दिया था कि 6ठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप हमारे सामने आये जिसमें हमारी भी सलाह हो । श्रीमन्, हमें मालूम हुआ है कि 7 वां फाइनेंस कमीशन का प्रारूप प्रस्तुत हो गया है, उस पर विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो गया है और वह क्रियान्वित हो गया है। हमारे वित्त मंत्री बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, वे जानते हैं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी उसमें शामिल भी हुये थे। छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कैसा है, यह हम नहीं जानते। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सरकार को निर्देश दें कि वह हमें उसे उपलब्ध कराये। हम चाहते है उसमें चर्चा हो ताकि हम अपने-अपने जिलों और प्रान्त के बारे में सलाह दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी, प्रारूप के वितरण में क्या कठिनाई है ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रश्न सर्व प्रथम आपके संज्ञान में आयें। इसकी सूचना मुख्य मंत्री को भी मिलनी चाहिये ताकि यहां पर जब कोई सदस्य प्रश्न उपस्थित करे तो उसके सम्बन्ध में समुचित उत्तर दिया जा सके। माननीय श्यामधर जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, मुझे पहले से इसकी जानकारी नहीं दी गई जिससे कि मैं यह मालूम कर सकता कि इसका प्रारूप अभी छपकर आया है या नहीं। लेकिन यह मैं उचित समझता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जैसे ही वह उपलब्ध होगा, मैं सदन के सामने रखने की व्यवस्था करूंगा ताकि उस पर माननीय सदस्यों के मूल्यवान विचार भी आ सकें और मैं उससे लाभान्वित हो सकूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

सर्वप्रथम मैं माननीय नेता सदन, मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि उनका तो व्यक्तिगत प्रकाश ही बहुत है, उनके सामने जो बत्ती का प्रकाश है उसे बन्द कर दें क्योंकि कि हमें देखने में कठिनाई होती है।

(मुख्य मंत्री की टेबुल पर जलती हुई बत्ती बन्दकर दी गई।)

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

तिवारी जी, आप रोशनी से क्यों घबराते हैं ?

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

(तिवारी जी से) आपकी रोशनी तो बहुत बड़ी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुख्य मंत्री स्वयं रोशनी हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या नेता सदन और नेता विरोधी दल अन्धेरे में बातचीत कर रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सब एक समान कार्य करते हैं। श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने छठी योजना के सम्बन्ध में अभी बताया, छठी योजना का प्रारूप तो बहुत पहले प्लानिंग कमीशन को भेजा जा चुका है। राज्यपाल क अभिभाषण में छठी योजना का कई बार उल्लेख है। इसलिए हमें मानकर चलना चाहिये कि मुख्य मंत्री जी के देखे बिना राज्यपाल का अभि-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

भाषण नहीं लिखा गया है। तो उसमें छठी योजना का संज्ञान निहित है उस का प्रारूप उपलब्ध है। उसके बारे में भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी उनके पास ही सुशोभित हैं वे स्वयं इसके बारे में कई बार बता चुके हैं और अध्यक्ष के रुप में स्वयं आपको स्मरण होगा वह उपलब्ध है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने इसे सदन में रखने को कहा। लेकिन मैं कहूंगा कि प्रारूप उपलब्ध है। उसको हो सकता है आप बदलना चाहते हों। अगर बदलना चाहते हैं तो यह आपकी इच्छा है। लेकिन प्रारुप उपलब्ध है उसको कृपया सदन में रख दें, उससे हमें राज्यपाल के अभिभाषण में सहायता मिलेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में छठी योजना का और वार्षिक योजना का भी उल्लेख है। इन दोनों का प्रारूप सदन में रखना चाहिये ताकि जो बजट हमारे सामने आये उसको हमें मापने में सुविधा हो।

*श्री बनारसी दास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय नेता विरोधी दल ने प्रश्न उपस्थित किया उससे मैंने असहमति प्रकट नहीं की। केवल एक प्रक्रिया की ओर ध्यान दिलाया। जो भी प्रश्न आपके संज्ञान में आये, सदन की नियमावली के नियम 300 के अनुसार कोई भी प्रश्न यहां पर आये, यदि सरकार उसका उत्तर दे तो आवश्यक है कि उसकी सूचना सरकार को भी देना आवश्यक है। यदि पहले से श्री श्यामधर जी का प्रश्न मालूम होता तो मैं विभाग स पूछता। सिद्धान्ततः मैं मानता हूं कि एनुवल प्लान और छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सदन के सामने रखा जाना चाहिये। मैं शीघ्र ही अवसर मिलने पर इसकी व्यवस्था करूंगा जिससे जिस वक्त बजट आपक सामने आयेगा उससे पहले आप उसके संबंध में भी अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा माननीय नेता सदन ने कहा मैं इससे सहमत हूं कि माननीय सदस्य शून्य प्रहर के बाद में कोई जानकारी सरकार से चाहते हैं या कोई विशेष बात सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी सरकार को अवश्य होनी चाहिये। आप उसकी दो प्रतियां दें तो उसमें से एक प्रति सरकार को भेज दी जाय। यह परम्परा अच्छी रहेगी। जब तक सरकार को ज्ञान नहीं होगा तो आपको उसका क्या जबाव दे सकते हैं।

*श्री श्यामधर मिश्र—

आप तो यह धारा 51 और 52 की बात कह रहे है लेकिन जो बात व्यवस्था के रुप में उठाई जाय या तत्काल कोई प्रश्न आया उसमें प्रतिबन्ध लगा दें उचित नहीं। उसमें आप समय दे दें कि तीन बजे जबाव दे दें यह हो सकता है लेकिग हमारे ऊपर प्रतिबन्ध लगा दें कि यदि व्यवस्था के रुप में कोई बात उठाये तो उसकी दो प्रतियां आपको दें यह नया प्रतिबन्ध आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था न दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक सूचना नहीं देंगे और सदन में कह दें तो उन्हें तुरन्त जबाव के लिये कैसे कहें उसके लिए तो समय देना पड़ेगा ?

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा आग्रह होगा कि रूलिंग न मानी जाय। मुख्य मंत्री अगर चाहते हैं कि नोटिस दिया जाय तो नोटिस दिया जा सकता है लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है और जहां इतनी समस्यायें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हों। यह आशा की जाती है कि शासन को इसकी जानकारी होगी। यह माननीय सदस्यों का कर्तव्य है कि बिना नोटिस दिये भी यही पर सदन के संज्ञान में बातों को तुरन्त लायें जो कि लिखित ही नहीं हो सकती है मौखिक भी हो सकती हैं। इसलिए इसको रूलिंग के तौर पर न लें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह रूलिंग के तौर पर नहीं है लेकिन सरकार का यह निवेदन है जो कि जायज है और यह उनकी और माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए है। वह बिना जानकारी के उसके ऊपर कोई उत्तर या आश्वासन नहीं दे सकते। यह कोई रूलिंग नहीं है व्यवस्था की बात है। इसमे मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को भी कोई परेशानी नहीं होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जितना सरकार के लिए सूचना लेना जायज है, उतना ही जायज यह हमारे लिए भी है कि हम बिना सूचना के किसी समस्या को उनकी जानकारी में लावें।

सूचना विभाग की डायरी में ललितपुर जिले का उल्लेख न होने पर आपत्ति

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

श्रीमन्, हमारा ललितपुर जिला सन् 74 में बना था और अब तक वह आपके नक्शे में था। किन्तु सन् 79 में सूचना विभाग की जो डायरी छपी है और जो हम लोगों को वितरित की गयी है उसमें ललितपुर जिले का नाम है और न उसकी सीमा ही है। मैंने पुराने नक्शे में बाकायदा उसकी सीमा और जिला भी देखा है। पता नही ऐसी लापरवाही कैसे हुई है और ललितपुर जिले का क्या हुआ है? जनवरी में मैं बाहर चला गया था उसे कहीं मध्य प्रदेश में तो नहीं भेज दिया गया है या कहीं अन्यत्र तो नहीं भेज दिया गया है अब वह चाहे जहां गया हो वह उत्तर प्रदेश को वापस कर दिया जाए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, ललितपुर दस्यु बाहुल्य क्षेत्र है कहीं डाकुओं ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया है?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। सूचना मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

विविध विषय (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैंने नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना आज दी थी—खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल फैल रहा है, फैलाया जा रहा है लकिन मेरे क्षेत्र के बिलग्राम विकास खण्ड में एक भी सड़क इस योजना के अन्तर्गत नहीं ली गयी है। (व्यवधान) सार्वजनिक हित के इतने महत्वपूर्ण विषय पर दी गयी सूचना को आप रद्द कर देंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं होगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

श्रीमन्, आज प्रातःकाल मैं मुख्य मंत्री के आवास पर गया था, वहां जाने पर देखने को मिला कि वहां पर नेम-प्लेट में लिखा हुआ है—मुख्य मंत्री रामनरेश यादव। दूसरे मुख्य मंत्री बनारसी दास जी हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी दो मुख्य मंत्री हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, तख्ती में संशोधन हो जायेगा।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

आज जो एजेण्डा मिला है, उसमें मत्थी ङ लिखा हुआ है, लेकिन यह इसमें है नहीं..

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे कार्यालय को इसके लिये खेद है। अभी यह प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्राप्त हो जाएगा तो आपको दिलवा दिया जाएगा।

(व्यवधान)

प्रश्नों के उत्तर में श्री नारायण सिंह के पद में उप मुख्यमंत्री लिखे होने पर आपत्ति

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मैं कार्य संचालन नियमावली के नियम 32 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और उसके अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, उसमें है....उत्तर सम्बद्ध मंत्री द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, किन्तु आज एजेन्डे मे पृष्ठ 13 पर मेरे प्रश्न संख्या 18 को देखें उसका उत्तर जो दिया गया है उसमें नीचे उत्तरकर्त्ता का नाम लिखा हुआ है नारायण सिंह, उप मुख्य मंत्री, तो मेरा निवेदन यह है कि सम्बद्ध विभाग के मंत्री उत्तर देते हैं या उप मुख्य मंत्री जी। जहां तक उप मुख्य मंत्री का सवाल है तो संविधान में उप मुख्य मंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है न हमारी नियमावली में ही इस की चर्चा है। मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं। जब आज दो उप मुख्य मंत्री बना दिये गये हैं यह किसी प्रश्न का जबाव देंगे तो जिस विभाग से प्रश्न सम्बन्धित है उस विभाग के मंत्री की हैसियत से देंगे या उप मुख्य मंत्री की हैसियत से अथवा उप मुख्य मंत्री के नाम का नया विभाग खोल दिया गया है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह महामहिम राज्यपाल ने उप मुख्य मंत्री की नियुक्ति की है और उनको राजस्व विभाग सुपुर्द कर दिया गया है। तो इसमें वैधानिक बात नहीं उठती।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

वह राजस्व मंत्री की हैसियत से उत्तर देंगे या उप मुख्य मंत्री की हैसियत से इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब उप मुख्य मंत्री उनको नियुक्त किया गया है तो वह उप मुख्य मंत्री की हैसियत से जवाब देंगे राजस्व विभाग के बारे में।

आज की कार्य-सूची के कतिपय मदों तथा धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों में दो सदस्यों के नाम लिखे होने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

आपने मुझे व्यवस्था उठाने की आज्ञा दी थी। अगर इजाजत हो तो अपनी बात कहूं। (नाम पुकारे जाने के उपरान्त) अभी माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है जब से यह वर्तमान सरकार गठित हुई है कई काम दोहरे-दोहरे होने लगे। इस बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं आइटम नम्बर 8 में देखें। धन्यवाद प्रस्ताव पर लिखा हुआ है : "श्री सत्यदेव त्रिपाठी निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा श्री मुख्तार अनीस इसका समर्थन करेंगे अथवा श्री शम्भू नाथ चौधरी निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे एवं श्री बनारसी दास चांदना इसका समर्थन करेंगे"।

मान्यवर, अब तक यह परम्परा रही है धन्यवाद का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करेगा यह निश्चित रूप से आता है। या तो इनमें से एक या दो मंत्रिमंडल की लाइन में लगे होंगे। इसलिए दो नाम आ गये। आप और देखें, नत्थी (घ) मिली है जिसमें आज एक प्रस्ताव आने वाले हैं कार्य मंत्रणा समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में। उसमें लिखा है—"वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 1979–80 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर पुरःस्थापन—उस पर विचार एवं उसका पारण"। और आज की कार्यसूची आइटम 11 देखें जिसमें लिखा है–"वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 1978–79 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करेंगे"। यह बात समझ में नहीं आती कि दोनों में अन्तर है। कल यह बात कही गयी थी कि आज प्रस्तुत हो जायगा 12 तारीख को विचार होगा। इसके सम्बन्ध में यह जो प्रस्ताव आया है उसमें कल जो निश्चित हुई थी, मतभेद है।

तीसरी बात आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक वक्तव्य मिला है, छपा है, जिसमें हस्ताक्षर हैं राजेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री के। जहां तक मेरी जानकारी है कृषि मंत्री उसके बाद शिवमंगल सिंह हो गये हैं। वक्तव्य आज मिल रहा है। मंत्रिमंडल का गठन हो गया और विभागों का वितरण हो गया, कृषि मंत्री राजेन्द्र सिंह बने।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इसमें दो बातें उठायीं। एक तो धन्यवाद के बारे में कि अब तक एक नाम आता था, दो-दो नाम आये। दोनों की सूचनाएं हमारे पास आयीं इसलिये हमने कार्य-सूची में छाप दिया। दूसरा प्रश्न आपने उठाया, यह 12 तारीख को 12 बजे बजट पेश होगा और यह सब सदस्यों को सूचना दे दी गयी है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं। मैं सुखपाल जी, आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठिए।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[× × × ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायेगा। माननीय सुखपाल पाण्डेय जी ने जो कहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, यहां पर जाति पांति का नाम लिया जाता है। सुखपाल जी ने जो कहा है वह कार्यवाही से निकलवाने के आदेश देने की कृपा करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, एजेन्डा के बारे में माननीय सदस्यों ने 3 बातें कहीं हैं। ऐसा लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री को इतना अवकाश नहीं मिलता है कि वह एजेन्डा को देख सकें नहीं तो जो अव्यवस्था हो रही है वह कैसे हो जाती? मैं समझता हूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। दो-दो प्रस्तावकों और दो-दो समर्थकों के नाम छपे हुए हैं। समर्थकों और प्रस्तावकों के नाम शासन की ओर से दिये जाते हैं और आमतौर से यह प्रथा है कि बैक बेन्चर्स जो डिबेट में कभी हिस्सा नहीं लेते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। इस प्रथा का कभी पालन किया गया है और कभी नहीं किया गया है।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी (जिला इटावा)—

रामायण राय और यादवेन्द्र सिंह भी बैक वेन्चर्स में आते थे? आपके सुझाव का आधार क्या है?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

श्री शम्भूनाथ और श्री चांदना का नाम रखा गया है, क्योंकि वे बैक वेन्चर्स में आते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

और सदस्य जो करते हैं तो करें लेकिन मुख्य मंत्री जी तो ऐसा न करें कि मैं खड़ा हूं और वह बीच में ही खड़े होकर बोलने लगते हैं। मुख्य मंत्री जी को अगर उत्तर देना है तो बाद में दे सकते हैं। प्रश्न यह है कि इनका नाम एजेन्डा में कैसे छप गया? आपको भी उन्हें वापस दे देना चाहिये था, आपको शासन को वापस कर देना चाहिये था। यह कार्य-सूची में प्रकाशित करना बिलकुल गलत है और मैं यह चाहूंगा कि क्योंकि इसमें गलती हुई है, इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से एजेन्डा बन रहा है? अगर इसी तरह से कार्यसूची का हाल रहा तो कैसे काम चलेगा?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

तिवारी जी संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और नेता सदन भी रह चुके हैं। अगर वह अपने समय की कार्य-सूचियों को देखें तो तमाम इस प्रकार की गलतियां मिल सकती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कार्यसूची की छपायी की व्यवस्था माननीय अध्यक्ष के यहां पर होती है। किसी ने नाम दे दिए और दोनों नाम छप गये। यहां पर मालूम हो जायेगा कि कौन प्रस्ताव करेगा तो दूसरा विदड्रा कर लेगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए।

*श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह धन्यवाद का प्रस्ताव ही नहीं है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव लाने के लिये हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अध्याय 5 में नियम 19 है जिसमें दिया हुआ है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। इसमें आगे उप-नियम में दिया हुआ है कि प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत होता है। इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव आयेगा, वह सुनिश्चित होगा। उसका कोई प्रस्तावक होगा और समर्थक होगा। कार्य-सूची की मद 8 में लिखा है कि "श्री सत्यदेव त्रिपाठी निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा श्री मुख्तार अनीस इसका समर्थन करेंगे अथवा श्री शम्भूनाथ.....करेंगे। ऐसा करना न तो मेज पार्लियामेंटरी पुस्तक में दिया हुआ है और न श्री कौल एंड शकधर की पुस्तक में ही है। वास्तव में यह कोई धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं है। एक ही जगह 2 प्रस्तावक आ सकते हैं, जैसा कि मंत्री जी ने कहा तीनों को भी एक जगह रख सकते हैं, 3 प्रस्तावक हो सकते हैं और 3 समर्थक भी हो सकते हैं लेकिन हमारे नियमों में यह कहां है कि इस प्रस्ताव को फलां प्रस्तुत करेंगे अथवा फलां करेंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि जब आप अपनी व्यवस्था दें इस पर भी दें क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई प्रस्तावक और समर्थक है ही नहीं।

मैं आपका ध्यान कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 178 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमे लिखा है कि :

"According to an established practice the Mover and Seconder of the resolution are selected by the Prime Minister and invariably belong to the Ruling Party."

मेज पार्लियामेंटरी में भी यही दिया हुआ है कि नेता सदन कहेंगे कि फलां आदमी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे और फलां इसका समर्थन करेंगे। तो वह कर्त्तव्य नेता सदन का और आपके कार्यालय का भी है कि 4 प्रस्तावक आये थे लेकिन यह सुनिश्चित हुआ है कि फलां व्यक्ति इसको प्रस्तुत करेंगे और फलां इसका समर्थन करेंगे। इससे यह परिलक्षित होता है कि नेता सदन को अपने साथियों पर विश्वास नहीं है। अतः मेरी प्रार्थना है कि जो मद 8 आज की कार्य-सूची में है उसको आप स्थगित कर दें और फिर निश्चित रूप से सदन को अवगत कराये कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव को कौन प्रस्तुत करेगा और कौन इसका समर्थन करेगा। पहले यह भी सुनिश्चित हो जाना चाहिये कि क्या वास्तव में यह कोई धन्यवाद का प्रस्ताव है विशेष रूप से जब यह ही तय नहीं है कि कौन इसका प्रस्तावक होगा और कौन समर्थक ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बनारसी दास—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब कि इस प्रश्न को लेकर श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का भी सहारा लिया। यदि वे केवल नियम 19 के उप-नियम (4) को पढ़ लेते जिसमें स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि एक सदस्य प्रस्तुत करेंगे और दूसरे उसका समर्थन करेंगे, तो स्थिति स्पष्ट हो जाती। तो एक सदस्य ने आपको प्रस्ताव दिया और दूसरे ने उसका समर्थन किया। एक दूसरा प्रस्ताव भी आपके सामने आया। हम अपनी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली से नियंत्रित होते है। इसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि यदि माननीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के सामने 2 प्रस्तावक हों तो जैसा वे कहते है, निरस्त कर दें। इस सम्बन्ध में नियम 19 बिल्कुल स्पष्ट है। उसके 19 के अनुसार महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके लिये कोई दिन नियत होगा और उस दिन एक माननीय सदस्य अपना नाम देंगे जो उसको पेश करेंगे तथा एक उसका समर्थन करेंगे, यह सब इस नियमावली के अनुसार होगा। दो सदस्यों ने अपने नाम दे दिये, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। इसके लिये आप स्वतंत्र थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आप पूछ सकते थे कि कौन प्रस्ताव पेश करेगा और कौन समर्थन करेगा। अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये दोनों का नाम रख दिया, इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं आपके द्वारा यह सूचित करना चाहता हूं कि श्री शम्भूनाथ चौधरी इस प्रस्ताव को पेश करेंगे तथा श्री बनारसी दास चांदना इसका समर्थन करेंगे। यह विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिये। नियमों में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है कि दो नाम नहीं हो सकते। अगर दो नाम आजायें तो आप उसे निरस्त कर दें। ऐसा नहीं है कहीं भी इन नियमों में। बेहतर यही होता कि एक ही प्रस्ताव होता, पर दो आ गये तो इसमें नियमों का कहीं भी कोई उल्लंघन नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है नियम 19 (4) के अन्तर्गत.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब इजाजत नहीं दे रहा हूं। व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

मैं किसी को इस पर बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि कौन प्रस्ताव को पेश करेगा और कौन समर्थन करेगा, अब इसे समाप्त कीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

परम्परा यही रही है कि कौन प्रस्तावक होगा और कौन समर्थक होगा उसकी सूचना शासन द्वारा आपको दी जायेगी (व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

अब इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ कर दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पास शासन की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कोई सूचना भेजी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्तावकों में दो नाम माननीय सदस्यों के आये, जैसा माननीय नेता सदन ने कहा मैं पूछ सकता था, पर इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं समझी, जो दो नाम आये वह छाप दिये गये।

श्री मधुकर दिघे—

सचिव, विधान सभा ने मुझे रात को यह सूचना दी कि दो नाम आये हैं, मैंने उनको सूचित कर दिया कि माननीय शम्भूनाथ चौधरी पेश करेंगे और माननीय बनारसीदास चांदना उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों नाम जोड़ दिये जायेंगे, लेकिन शम्भूनाथ चौधरी जी अगर पेश करेंगे तो दूसरा नाम हट जायगा।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी को अब इजाजत नहीं दे रहा हूं। अब इस पर और विवाद नहीं होगा।

श्री मुख्तार अनीस—

इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात जब कह दी तो इसे समाप्त हो जाना चाहिये; मैं आपसे कहना चाहता हूं .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैं एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं। अब तक की यह परम्परा रही है कि माननीय सदस्य जो भी अपना संशोधन देते हैं वह कार्यसूची में छपता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके पहले भी एक माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया था और मैंने निवेदन किया था कि हमें अफसोस है कि वह नहीं आ सका, उसका कारण यह था कि प्रेस से वह नहीं आया, 2–3 बजे तक आ जायेगा, तभी उसको कार्यसूची में सम्मिलित कर दिया जायगा। उसके लिये मैं पहले कह चुका हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय नेता सदन ने इस पर जो कहा मैं इस नियमावली के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है ।

अभी माननीय सोहनवीर सिंह तोमर जी ने जो आपत्ति उठायी कि 2 प्रस्तावकों के नाम आये हैं, तो हमारे पास जो दो नाम आये उनको हमने सूची में प्रकाशित कर दिया । इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कौन प्रस्तावक होगा और कौन समर्थक होगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही कि सचिव जी से उनकी बात हो चुकी है उसकी जानकारी मुझे नहीं थी ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं अब इस पर बोलने की ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मेरा निवेदन है कि आप श्री सत्यदेव त्रिपाठी को कहें कि वे इसे पेश करें, अगर वे स्वयं पेश न करना चाहें तब आप दूसरे को पुकारें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब उस आइटम पर मैं आऊंगा, तब देखा जायेगा । अभी तो मुझे अन्य सूचनाएं देनी हैं ।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं गिरफ्तारी की सूचनाएं देता हूं ।

जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद के पत्र दिनांक 7 मार्च, 1979, जो इस सचिवालय में दिनांक 8 मार्च, 1979 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (फर्रुखाबाद) पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के कारण दोषारोपण के लिए विचारण हेतु प्रथम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ के सामने मुकदमा चलाया गया और एक दिन तक मुकदमा चलने के बाद दिनांक 4 जनवरी, 1979 को न्यायालय द्वारा उन्हें भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 का अपराधी पाया गया तथा उन्हें चेतावनी का दंडादेश दिया गया । न्यायालय के आदेश से माननीय सदस्य को दिनांक 4 जनवरी, 1979 को कारागार से मुक्त किया गया है । उक्त सूचना बिलम्ब से भेजने के संबंध में यह सूचित किया गया है कि कार्य की अधिकता के कारण सूचना नहीं भेजी जा सकी, जिसके लिए संबंधित कर्मचारी को सचेत कर दिया गया है कि भविष्य में ऐसी गल्ती की पुनरावृत्ति न हो । माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन–31 द्वारा प्रसारित की गयी है ।

2—संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गोपन अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 8–3–79, जो इस सचिवालय में दिनांक 8–3–79 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री राम देव यादव, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) एवं श्री राम दुलारे, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) को भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दंड दिया गया था तथा उन्हें मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा दिनांक 3–1–79 को मुक्त कर दिया गया है । इसी प्रकार श्री मोहन लाल त्रिपाठी एवं श्रीमती सुनीता चौहान को भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दंड दिया गया था, उन्हें दिनांक 2–1–79 को मुक्त कर दिया गया था ।

श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) तथा श्री मुन्नू लाल द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) को परगना मैजिस्ट्रेट, सदर (रायबरेली) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन क्रमशः दिनांक 21-12-78 एवं 20-12-78 को जेल भेजा गया था, उन्हें दिनांक 27-12-78 को मुक्त कर दिया गया है। इन माननीय सदस्यों के संबंध में सूचना न भेजने पर जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा खेद प्रकट किया गया है।

उक्त माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन 30 तथा 31 द्वारा प्रसारित की गयी है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, गिरफ्तारी के संबंध में मुझे एक चीज कहनी है कि आपने अभी यह कहा कि काम की अधिकता के कारण सूचना देर से पहुंची। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि काम की अधिकता को प्राथमिकता न दी जाय बल्कि काम के महत्व को प्राथमिकता दी जाय कि कौन सा काम अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकारी लोग जब हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो फिर काम की अधिकता के कारण आपको सूचना नहीं देंगे। आप निर्देश दें कि इस सदन की कार्यवाही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की फैजाबाद शाखा के मैनेजर तथा कैशियर के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री भगवती सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 24-1-1979 को स्टेट बैंक आफ इंडिया की फैजाबाद शाखा के मैनेजर तथा कैशियर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने यह शिकायत की थी कि दिनांक 12 जनवरी, 1979 को जब वे अपने सैलरी बिल के भुगतान के संबंध में वहां गये तो उनके बिल के भुगतान के संबंध में अनावश्यक बिलम्ब किया गया तथा उनका अपमान किया गया जिससे उक्त बैंक में उपस्थित व्यक्तियों के सामने उनकी प्रतिष्ठा गिरी। श्री भगवती सिंह, स्टेट बैंक से फैजाबाद अपनी सेलरी बिल भुगतान हेतु गये थे। उस समय उनका कार्य सदन या उसकी किसी समिति से संबंधित नहीं था। अतः इस मामले को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी है।

स्वतंत्र भारत के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी तथा श्री सुखपाल पांडेय, सदस्यगण, विधान सभा ने 30 दिसम्बर, 1978 को स्वतंत्र भारत के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दी थी। माननीय सदस्यगण का कहना था कि स्वतंत्र भारत के 30 दिसम्बर, 1978 के अंक के प्रथम पृष्ठ पर कालम 6 तथा 7 में "प्रदेश के पिछड़ेपन की जांच" शीर्षक के नीचे अन्त में छपा है....."बाद में यह प्रस्ताव मौखिक मतदान द्वारा अस्वीकृत हो गया।" वास्तविकता यह थी कि उक्त प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापस हुआ था। उक्त माननीय सदस्यगण का कहना था कि यह समाचार न केवल गलत था बल्कि शरारतपूर्ण एवं दुर्भावनायुक्त था और इस माननीय सदन और सरकार के बारे में प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने वाला था।

[श्री उपाध्यक्ष]

इस संबंध में स्वतंत्र भारत के सम्पादक से अपना तथा अपने मुद्रक और प्रकाशक का स्पष्टीकरण भेजने के लिये कहा गया था। स्वतंत्र भारत के सम्पादक ने दिनांक 8 जनवरी, 1979 के अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उन्होंने उक्त लेख का खण्डन तथा खेद प्रकाश स्वतंत्र भारत के 4 जनवरी, 1979 के अंक में कर दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि त्रुटि सम्वाददाता के नये होने के कारण हुई थी और इसमें कोई शरारतपूर्ण या दुर्भावनायुक्त बात नहीं थी।

अतः अब मैं सदन के अवमान के इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे लेख 'किस्सा कुर्सी का जनता स्टाईल' के लेखक श्री के0 आर0 सुन्दराजन तथा पत्र के प्रकाशक व मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य विधान सभा ने दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" के 2 मार्च, 1979 के संस्करण में 'किस्सा कुर्सी का, जनता स्टाइल' लेख के लेखक श्री के0 आर0 सुन्दराजन तथा उक्त पत्र के प्रकाशक, मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के एक प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्य की शिकायत है कि लेख में विधायकों के चरित्र को अनेक प्रकार से लांछित किया गया है। पूरा लेख जान बूझ कर माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय विधायकों की छवि को धूमिल करने तथा उन्हें जनता की निगाह में गिरान का प्रयास है।

मैं इस सूचना की एक प्रतिलिपि दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के सम्पादक को वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने हेतु भेज रहा हूं। उक्त दैनिक पत्र के सम्पादक से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त मैं इस प्रश्न पर अपना निर्णय दूंगा।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, मेरा निवदन है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में आपने जो रिपोर्ट संबंधित पत्र के सम्पादक से मांगी है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है लेकिन इसके अन्दर मान्यवर, सारे सदन के सम्मान का प्रश्न है। इसमें प्राइमाफेसी में जो स्पष्ट है उसके संबंध में आपका निर्णय चाहूंगा। श्री के0 सी0 सुन्दराजन जो एक लब्धप्रतिष्ठित लेखक है, आक्षेप लगाया है कि माननीय मुख्य मंत्री एक लाख रुपया माननीय सदस्यों को दे रहे थे। श्री राजनारायण जी नोटों की थैली लिये घूम रहे थे। नेता, विरोधी दल और यशपाल कपूर पर आक्षेप लगाया गया है कि वे सदस्यों को तोड़ रहे थे। मान्यवर, मेरे मुख्य मंत्री इतने विचारवान हैं इतने अच्छे हैं, उन पर यह आक्षेप है। अतः इस संबंध में प्राइमाफसी में विशेषाधिकार बनता है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह एक परम्परा है कि जो आरोप किसी समाचार-पत्र के ऊपर लगाया जाता है, उसके सम्पादक से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। तो यह एक प्रक्रिया है, उनका स्पष्टीकरण आने के बाद ही मैं अपना निर्णय दूंगा।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

जो आक्षेप लगाया गया है, जो अखबार में प्रकाशित हुआ है वह सभी माननीय सदस्य, विधान सभा के चरित्र को लांछित करता है। उसे विशेषाधिकार समिति को भेज दें। उसमें प्राइमाफेसी केस बनता है। इसलिये क्यों नहीं इसे विशेषाधिकार समिति को भेज देते हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने स्पष्टीकरण मांगा है, वह ठीक किया है लेकिन वह स्पष्टीकरण भी विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय। विशेषाधिकार समिति अपना निर्णय दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से समाचार-पत्र में छपा है कि माननीय बनारसी दास जी ने नोट खर्च किये हैं। यह स्पष्ट अभियोग लगाया गया है और वह भी माननीय नेता सदन पर। यह जानबूझ कर लगाया गया है इसकी छानबीन होनी चाहिए और इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रकार की कार्यवाही पहले भी हुई है। कांग्रेस राज्य में यशपाल कपूर ने नोटों की व्यवस्था की है और हो सकता है कि यदि ऐसा हुआ तो तब भी विशेषाधिकार का हनन हुआ है। इसे आप विशेषाधिकार समिति को भेज दें और उसका इसमें निर्णय होना चाहिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सिलसिले में जब स्पष्टीकरण प्राप्त हो जायगा और मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि यह भेजना चाहिये तो मैं इसको विशेषाधिकार समिति में भेजूंगा।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि स्पष्टीकरण आप अखबार से मांग रहे हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी (जिला इटावा)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपने इजाजत नहीं दी है तो कैसे बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप तिवारी जी बैठिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, कम से कम इस आर्टिकिल में जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है, अखबार के आदमी इस सदन के सदस्य नहीं हैं वह कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दो लोग, माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल जो इस सदन के सदस्य हैं, यह दोनों यहां उपलब्ध हैं और सदन के सदस्य भी हैं तो इन्होंने ऐसा किया है या नहीं कम से कम उन्हीं से पूछ लिया जाय और उसके बाद ही कोई कार्यवाही की जाय।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इस पर अपना निर्णय दे दिया और सम्बन्धित पत्र के सम्पादक से स्पष्टीकरण मांग लिया तो उसके बाद इस तरह की इजाजत देना उचित नहीं है। जब स्पष्टीकरण आ जाय तब जैसा निर्णय आप चाहे, दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं कह चुका हूं।

श्री राम गोबिन (जिला बलिया)—

मान्यवर, इसमें तमाम विधायकों की मानहानि का सवाल है। आप भी पहले विधायक हैं बाद में उपाध्यक्ष हैं। इस मामले में तमाम विधायकों की मानहानि का सवाल है।

(शोर) (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)—

[× × ×]]

श्री राम गोबिन—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

(शोर)

फोर्ट डिपो बस नं0 यू0 टी0 आर0 9816 के चालक व परिचालक तथा ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस कांस्टेबिलों के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

आप शान्त रहें। माननीय श्री चन्द्र पाल, सदस्य, विधान सभा ने 7 मार्च, 1979 को 'फोर्ट डिपो' बस नं0 यू0टी0आर0 9816 के चालक व परिचालक तथा 28 फरवरी, 1979 को सायं 7 बजे से 2.20 बजे के बीच उक्त बस में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस कान्सटेबिलों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि जब बस उन्नाव के बाईपास के चौराहे के मोड़ के पास पहुंची तो उन्होंने चालक से कहा कि उन्ह उन्नाव स्टेशन उतरना है, अतः उन्नाव के अन्दर बस ले चलो। चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और कहा कि बस नान-स्टाप है, उन्नाव नहीं जायेगी। उपर्युक्त बस पर आन ड्यूटी दो कान्स-टेबिल एक साथ बोल पड़े 'विधायकों के कारण ही बसें लुटती हैं, बस सीधे ले चलो, उन्नाव नहीं जायेगी। होंगे विधायक"। माननीय सदस्य को शिकायत है कि तदुपरान्त चालक ने बस चला दी और रात्रि के 9.20 बजे उन्हें घंटाघर, कानपुर में उतारा विशेषाधिकार का प्रश्न उस समय उत्पन्न होता है जब किसी माननीय विधायक को सदन में या उसकी किसी समिति में भाग लेने के लिये आते समय या सदन या उसकी किसी समिति मे भाग लेकर वापस जाते समय अथवा सदन के सदस्य के नाते किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में उत्पीड़ित किया जाय। अतः इस मामले में विशेषाधिकार या सदन की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

माननीय श्री चन्द्र पाल ने अपनी शिकायत में शासन के एक आदेश का उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की उन सभी बसों को उन्नाव स्टेशन जाना होगा जो इधर से होकर गुजरती हैं तथा बस के परिचालक तथा उसमें तैनात दो पुलिस कान्स्टेबिलों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत की है। अतः मैं इसे अस्वीकृत करते हुए शासन से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करें।

पी0 टी0 आई0, लखनऊ के मैनेजर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

सर्वश्री आरिफ मोहम्मद खां, अरुण कुमार सिंह तथा छेदी लाल ने आज पी0 टी0 आई0, लखनऊ के मैनेजर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी है। माननीय सदस्यगण का कहना है कि पी0 टी0 आई0 द्वारा प्रसारित एक समाचार 28 फरवरी, 1979 को लखनऊ से प्रकाशित होने वाले "नेशनल हेराल्ड" तथा "पायनियर" में छपा है जिसमें उत्तर

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रदेश विधान मण्डल को बजट सत्र 8 मार्च, 1979 से महामहिम राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने की सूचना दी गयी है। माननीय सदस्यों का कहना है कि महामहिम राज्यपाल मंत्रि-मण्डल की सलाह पर ही विधान मण्डल का सत्र आहूत कर सकते थे तथा 27फरवरी, 1979को जो मंत्रिमण्डल कार्य कर रहा था वह अपना त्यागपत्र स्वीकार हो जाने के बाद बुलाने की सलाह देने के लिये सक्षम ही नहीं था, न ही माननीय सदस्यों को बजट सत्र की अधिसूचना 27 फरवरी, 1979 को जारी की गयी। मैं इस सम्बन्ध में पी0टी0आई0 के मैनेजर से वस्तुस्थिति की जानकारी कर रहा हूं। साथ ही इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी देने हेतु माननीय मुख्य मंत्री से भी कह रहा हूं। जानकारी आ जाने के बाद इस प्रश्न पर मैं अपना निर्णय दूंगा।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, निर्णय देने के पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि पी0टी0आई0 की इसमें गलती मैं नहीं मानता हूं। लेकिन नियमों के अनुसार यह बताना था कि पी0टी0आई0 का रिलीज लखनऊ से था कि उत्तर प्रदेश एसेम्बली का बजट सत्र 8 मार्च से शुरू हो रहा है। लेकिन मान्यवर, यह निश्चित बात है कि उस पी0टी0आई0 के रिलीज का आधार या तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री के आफिस से उनको सूचना मिली या स्पीकर के आफिस से या राज्यपाल के आफिस से उनको सूचना मिली है। इसलिये असल बात यह नहीं है कि पी0टी0आई0 के मैनेजर से आप इक्सप्लेनेशन काल करें। असल बात यह है कि आपके आफिस में काम करने का ढंग ऐसा है कि सबसे पहले माननीय सदस्यों को समन भेजा जाय, उन्हें यह बताया जाय कि इस सदन को आहूत किया गया है बजट सत्र के लिये, लेकिन इससे पहले अखबार वालों को यह सूचना दे दी गयी और उसका प्रकाशन भी हो गया। तो सदस्यों के संज्ञान में प्राइमा फेसाई केस तो है ही। इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। 28 तारीख को गवर्नर की अधिसूचना है। 28 फरवरी की प्रातः नेशनल हेराल्ड और पायनियर में तथा दूसरे अखबारों में 27 तारीख का पी0टी0आई0 का रिलीज है। तो इसमें इक्सप्लेनेशन मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिये गुजारिश है कि इसे आप सीधे समिति को सुपुर्द कर दें ताकि पता चल सके कि कहां काम करने के तरीके में गलती है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

सूचना आपके पास है, सूचना मांगने की क्या जरूरत है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आवश्यकता है। जानकारी आ जाने के बाद ही मैं निर्णय लूंगा।

कतिपय विधेयकों में किये गये शाब्दिक संशोधनों में कार्य-सूची में हुई त्रुटियों का श्री उपाध्यक्ष द्वारा निराकरण

श्री उपाध्यक्ष—

कल दिनांक 8 मार्च, 1979 को जब सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 160 के अन्तर्गत कतिपय विधेयकों में किये गये शब्दिक संशोधनों के विवरणों को सदन के पटल पर रखा, उस समय श्री श्याम सुन्दर गुप्त ने इन विवरणों से सम्बन्धित कार्यसूची में छपी नत्थियों में कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। जैसा कि मैंने कल कहा था, इनके छपने में प्रेस में गल्ती हो गयी थी। जांच करने के उपरान्त यह विदित हुआ कि शाब्दिक संशोधनों के इन विवरणों को जिस रूप में श्री राज्यपाल के सूचनार्थ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष—]

भेजा गया है, वह मूल अभिलेख के अनुसार शुद्ध है। मुद्रण की जो त्रुटियां दिनांक 8 मार्च, 1979 की कार्यसूची में हो गयी थीं, वह इस प्रकार से थीं :—

1—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 के खण्ड 15 द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 12-ख (1) की पंक्ति तीन में 'उपन्धों' को शुद्ध करके उसके स्थान पर शब्द 'उपबन्धों' कर दिया गया है, जबकि उक्त कार्यसूची की नत्थी (क) में यह छपा था कि 'उपबन्धों', को शुद्ध करके उसके स्थान पर शब्द 'उपबन्धों, कर दिया गया है।

2—उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 में खण्ड 4 में उपखण्ड (1) की पंक्ति 3 के अन्तिम शब्द 'बाउचर' के स्थान पर शब्द 'वाउचर' रख दिया गया है, जबकि उक्त कार्यसूची की नत्थी (च) में यह छपा था कि शब्द 'वाउचर' के स्थान पर शब्द 'बाउचर' रख दिया गया है

स्पष्ट है कि ये छापे की अशुद्धियां प्रेस द्वारा हो गयी थीं और जैसा कि मैं कल कह चुका हूं कि भविष्य में और असावधानी बरती जायेगी।

राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट को शुद्ध करके सदन के पटल पर रखने का श्री उपाध्यक्ष का निर्देश

श्री उपाध्यक्ष—

इसी तरह से, कल दिनांक 8 मार्च, 1979 को मा0 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1975–76, जिसका मुख पृष्ठ व मूल अंग्रेजी भाषा में था, को सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में आपत्ति उठायी थी। उनका कथन था कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 282 के अनुसार संविधान के उपबन्धों के अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा किन्तु उक्त प्रतिवेदन में अंग्रेजी में पहले देकर हिन्दी का अनुवाद किया गया है। उस समय मैंने उपर्युक्त वार्षिक रिपोर्ट का सदन के पटल पर रखा जाना स्थगित कर दिया था और यह कहा था कि मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री और अन्य नेताओं से विचार-विमर्श करके अपनी व्यवस्था दूंगा। इस मामले में विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में तैयार किया है, अतः कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए मूल प्रतिवेदन का सदन के पटल पर रखा जाना आवश्यक है। उक्त प्रतिवेदन के मूल पाठ के साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है परन्तु मुख पृष्ठ केवल अंग्रेजी भाषा में है। इसलिए प्रतिवेदन के मुख पृष्ठ के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री से यह अपेक्षा करता हूं कि उसको हिन्दी में कराकर और यदि कोई विधिक आपत्ति न हो तो हिन्दी पाठ को अंग्रेजी से पूर्व रख कर उक्त प्रतिवेदन को सदन पटल पर रखने हेतु यथाशीघ्र भेज दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैंने कहा कि अगर कोई आपत्ति न हो और आपकी मान्यवर, व्यवस्था है कि यदि कोई विधिक आपत्ति न हो।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में है। अब आप बैठें। आप इस सम्बन्ध में मुझसे कक्ष में बात कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस सम्बन्ध में मुझसे बात कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने कहा है कि कोई विधिक आपत्ति न हो। मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निगमों और परिषदों के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी जो आपत्ति हो, कृपया मेरे कक्ष में बात कर लें।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी (जिला इटावा)—

मान्यवर, क्या आपकी व्यवस्था पर भी व्यवस्था होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री संगम लाल जी सदस्य विधान सभा ...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस पर व्यवस्था देने के पूर्व कृपया सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक व्यवस्था दे चुका हूं। आप मुझसे मेरे कक्ष में मिल लें। अगर आप मुझको सन्तुष्ट कर देंगे, तो मैं उस पर विचार कर लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पहले मुझे इसके सम्बन्ध में सुन लें फिर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया अब इस पर न बोलें। अब मैं व्यवस्था दे चुका हूं। अब इस पर बोलने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप मुझ सुन लें....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं। आप मुझसे मिल लें और सन्तुष्ट कर लेंगे तो हम इस पर पुनः विचार कर लेंगे।

सदन के आहूत करने की सूचना अंग्रेजी में दिये जाने के विषय में उठायी गयी आपत्ति पर श्री उपाध्यक्ष की व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष—

श्री संगम लाल शुक्ल, सदस्य, विधान सभा ने 8 मार्च, 1979 को यह आपत्ति उठाई थी कि उन्हें आफिसर इंचार्ज, वी0आई0पी0, प्रतापगढ़ द्वारा सदन के 8 मार्च, 1979 के आहूत किये जाने के सम्बन्ध में सूचना अंग्रेजी भाषा में भेजी गयी थी। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा ने भी इस सम्बन्ध में आपत्ति प्रकट की थी।

[श्री उपाध्यक्ष]

माननीय सदस्यों को 8 मार्च, 1979 से सदन के आहूत किये जाने के सम्बन्ध में और राज्यपाल द्वारा विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करने के सम्बन्ध में सूचना देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में दी गयी थी और इसके लिये माननीय सदस्यों को आह्वान पत्र भी विधान सभा सचिवालय द्वारा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में भेजा गया था। चूंकि विधान सभा का सत्र 14 दिन से कम समय की सूचना पर बुलाया गया था अतः उपर्युक्त के अतिरिक्त नियमानुसार यह समाचार रेडियो तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में प्रचारित किया गया था और प्रदेश के समस्त जिलाधीशों को रेडियोग्राम भेजकर हिदायत दी गयी थी कि वे अपने जिले में विधान सभा के समस्त सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दें। रेडियोग्राम को हिन्दी भाषा में भेजे जाने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, अतः यह रेडियोग्राम विधान सभा सचिलालय से अंग्रेजी भाषा में भेजा गया था। जिलाधिकारियों को चाहिए था कि वे इसकी सूचना विधान सभा के माननीय सदस्यों को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में देते। किन्तु आफिसर इन्चार्ज, बी0आई0पी0, प्रतापगढ़ ने रेडियोग्राम की प्रतिलिपि अंग्रेजी भाषा में अपनी पृष्ठांकन सहित प्रतापगढ़ के जनपद के समस्त माननीय सदस्यों को भेज दी। अब समस्त जिलाधिकारियों को हिदायत दी जा रही है कि यदि विधान सभा सचिवालय द्वारा कोई रेडियोग्राम अंग्रेजी भाषा में भेजा जाय, जिसकी सूचना माननीय सदस्यों को दी जानी हो, तो माननीय सदस्यों को उक्त सूचना देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में ही दी जानी चाहिए।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 8 मार्च, 1979 की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में 7 मार्च, 1979 को दी गयी संस्तुतियों पर पुनर्विचार करके दिनांक 9 मार्च, 1979 से 20 मार्च, 1979 तक के लिये सदन का निम्नलिखित कार्यक्रम रखे जाने की संस्तुति की है :—

शुक्रवार, 9 मार्च, 1979

(1) 2.00 बजे अपरान्ह तक
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

(2) 2.00 बजे से 5.00 बजे तक
असरकारी कार्य।

शनिवार, 10 मार्च, 1979
रविवार, 11 मार्च, 1979
सोमवार, 12 मार्च, 1979
} बैठक नहीं होगी।

(1) 12 बजे पूर्वान्ह से 4 बजे अपरान्ह तक वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 1979–80 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

(2) वित्तीय वर्ष 1978–79 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा तथा उनकी मांगों पर मतदान।

	4 बजे अपरान्ह से 4.15 बजे अपरान्ह तक वित्तीय वर्ष 1978-79 के अनुपूरक अनुदानों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक का पुरः-स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
4.15 अपराह्न	

काम रोको प्रस्ताव, नियम 51 तथा नियम 301 की सूचनाएं।

मंगलवार 13 मार्च, 1979 से रविवार 18 मार्च, 1979 तक	बैठक नहीं होगी।
सोमवार 19 मार्च, 1979	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
मंगलवार 20 मार्च, 1979	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, कार्य सूची के आइटम 4 में लिखा है कि नियम 25 के अन्तर्गत माननीय उपाध्यक्ष विधान सभा के 9 मार्च, 1979 से 22 मार्च, 1979 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना सदन को देंगे। अभी आप ने जो कार्यक्रम पढ़ा वह 20 मार्च तक है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसे ठीक कर दिया गया है। 20 मार्च को 9.30 बजे फिर कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है इसलिए यह 20 मार्च तक का ही कार्यक्रम दिया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजकीय अंध विद्यालय, लखनऊ के छात्रों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

विगत कई वर्षों से राजकीय अन्ध विद्यालय, लखनऊ के छात्रों द्वारा कर्मचारियों को मारने-पिटने की धमकी . . .

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। आप पहला और अन्तिम पैराग्राफ पढ़ दें।

श्रीमती चन्द्रावती—

विगत कई वर्षों से राजकीय अन्ध विद्यालय, लखनऊ के छात्रों द्वारा कर्मचारियों को मारने-पीटने की धमकी अभद्रतापूर्ण व्यवहार, उनका घेराव, कार्यालय में उन्हें बन्द कर देने तथा हड़ताल करने की घटनायें होती आ रही थ। जिसके कारण विद्यालय का वातावरण अराजकतापूर्ण तथा अनुशासनहीन हो गया था। अत: प्रधानाचार्य ने वर्तमान शिक्षा सत्र क आरम्भ में विद्यालय में व्याप्त अनुशासनहीनता का हल निकालने क दृष्टिकोण से छात्रों के अभिभावकों / संरक्षकों से लिखित आश्वासन मांगा कि छात्र अनुशासित ढंग से विद्यालय में अध्ययन करेंगे। उक्त आशय का आश्वासन पत्र कुछ ही छात्रों ने दिया भी और 20-10-78 को कुछ उदण्ड छात्रों ने प्रधानाचार्य को घेर कर उन आश्वासन पत्रों को वापस ले लिया। दिनांक 25-10-78 को कुछ छात्रों ने मोटर चालक को मारा-पीटा तथा प्रधानाचार्य को कमरे में बन्द करने का प्रयास किया।

[2—दिनांक 23-11-78 को विद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों ने ताला बन्द कर दिया तथा प्रदर्शन व नारेबाजी की। कर्मचारियों को मारने-पीटने की धमकी दी जिससे सभी कर्मचारी आतंकित हो गये तथा काम करने से मना करने लगे। छात्रों ने इस प्रकार 23-11-78 को रात्रि तथा 24-11-78 को दोपहर का भोजन नहीं बनाने दिया। उच्च अधिकारियों के दबाव पर प्रधानाचार्य ने बाहर से भोजन सामग्री उधार मंगा कर एवं दैनिक लेबर की व्यवस्था करके 24-11-78 की रात्रि को भोजन का प्रबन्ध किया। इन छात्रों के साथ बाहरी नेत्रहीन छात्र भी अनाधिकृत रूप से भोजन करने लगे थे जो छात्रों की उदण्डता के कारण रोका नहीं जा सका।

3—दिनांक 7 दिसम्बर, 1978 को श्री प्रमोद कुमार के नेतृत्व में 29 नेत्रहीन छात्र विद्यालय प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण की मांग को लेकर भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी के निवास के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए। इस सूचना पर अतिरिक्त नगर मैजिस्ट्रट, क्षेत्राधिकारी व पुलिस निरीक्षक घटनास्थल पर पहले पहुंचे। देखा गया कि नेत्रविहीन छात्र सड़क पर सरेआम बठे हुये नारे लगा रहे हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके प्रधानाध्यापक उनके भोजन की उचित व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उन्ह तुरन्त स्थानान्तरित किया जाय। उनको समझाया गया कि वे यातायात के लिये सड़क छोड़कर एक किनारे जाएं और अपनी शिकायत विभागीय अधिकारियों से करें किन्तु वे राजी नहीं हुए और बार-बार जेल भेजे जाने की मांग करते रहे, न भेजे जाने पर सड़क पर सरेआम धरना जारी रखने की धमकी देते रहे। लगभग आधे घंटे त जब समझाने बुझाने के सारे प्रयास निष्फल हो गये और वे जेल जाने की बात दोहराते रहे तो उन्हें वहां से उठा कर पी0ए0 सी0 की ट्रकों में बिठाया गया। उठाने पर वे लात घूंसों से पी0ए0सी0 के जवानों पर हमलावर हुए और ट्रक पर धक्का-मुक्की करते रहे। पुलिस व पी0 ए0 सी0 के जवानों ने बड़े संयम से काम लिया तथा उन्हें नरही स्थित पीरपुर हाऊस, उनके विद्यालय में भेज दिया।

4—दिनांक 8 दिसम्बर, 1978 को लगभग पौने दो बजे 44 नेत्रविहीन छात्र जिनमें कुछ 7–8 वर्ष के बालक भी थे विधान भवन के गेट नं0 1 पर पहुंच गये। वहां पहुंचने क पूर्व उन्हें बहुत समझा बुझा कर रोकने का प्रयास किया गया। उनकी केवल यह मांग थी कि उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाय अन्यथा वे विधान भवन के अंदर बलात प्रवेश करेंगे अपनी मांगों को लेकर वे विधान भवन के अन्दर गेट नं0 1 से जबरदस्ती प्रवेश करना देने चाहते थे। गेट बन्द करा दिया गया। इस पर वे सड़क पर सरेआम बैठ गये और यह धमकी

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देने लगे यदि उन्हें गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया तो वे इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे कि जिससे उन्हें जेल भेजना पड़ेगा। यातायात अवरुद्ध हो जाने पर तथा बलात विधान भवन में प्रवेश करने से रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने उन्हें धारा 151 दं0 प्र0 स0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया।

5—उक्त 44 छात्रों के गिरफ्तार हो जाने पर उनसे 10 दिन तक शान्ती बनाये रखने के फकत 10 रु0 का व्यक्तिगत मुचलका मांगा गया जिसे देने से उन्होंने इन्कार किया और तत्संबंधी आदेश पर भी हस्ताक्षर नहीं किये और जेल भेजे जाने की मांग करते रहे। उन्हें बहुत समझाया गया कि उनकी मांगों को शासन तक पहुंचा दिया जायगा किन्तु संतुष्ट नहीं हुए और बार-बार धमकी देते रहे कि यदि उन्हें जेल भेजा गया तो वे इस प्रकार के कदम उठायेंगे जिससे उन्हें जेल भेजना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में उन्हें जेल भेज दिया गया।

6—दिनांक 31-12-78 को माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी के साथ नेत्रहीन विद्यार्थियों के प्रतिनिधि सर्वश्री संतोष कुमार रुंगटा एवं सुरेश चन्द्र त्रिपाठी से बातचीत हुई। नेशनल फेडरेशन आफ दि ब्लाइण्ड, उत्तर प्रदेश शाखा की अध्यक्षा, डा0 कु0 कंचन लता सब्बरवाल तथा नेशनल काउन्सिल आफ विमेन की अध्यक्षा श्रीमती लीला रामकुमार भार्गव भी उपस्थित थीं। बैठक में सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग तथा निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण ने भी भाग लिया। नेत्रहीन विद्यार्थियों की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :—

(क) नेत्रहीन विद्यार्थियों का स्टाइपेण्ड 50 रु0 से 70 रु0 प्रति माह करने के सुझाव पर शासन शीघ्र ही निर्णय की घोषणा करें। इस सम्बन्ध में आदेश 3-2-1979 को जारी कर दिये गये हैं।

(ख) उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों के कार्यान्वियन हेतु एक कार्यान्वियन समिति का गठन किया जायगा। इस समिति में नेशनल फेडरेशन आफ दि ब्लाइण्ड की उत्तर प्रदेश शाखा की अध्यक्ष एवं अन्य गैर सरकारी व्यक्ति भी सदस्य होंगे। इस सुझाव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) कानपुर अन्ध मूक वधिर विद्यालय में चल रहे वाद-विवाद का निपटारा करने हेतु डा0 कु0 कंचनलता सब्बरवाल एवं श्रीमती लीला रामकुमार भार्गव इस विषय पर रिपोर्ट देंगी कि उपरोक्त संस्था की एजूकेशन के अन्तर्गत प्रशासन लिया जा सकता है अथवा नहीं। उपरोक्त रिपोर्ट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। उक्त रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

(घ) राजकीय अन्ध विद्यालय, लखनऊ के वर्तमान प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण सम्बन्धी मामला माननीय मंत्री जी पर अन्तिम निर्णय हेतु छोड़ दिया गया था। प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण निदेशक द्वारा कर दिया गया है।

(ङ) गोरखपुर अन्ध विद्यालय की छात्रों की छात्रवृत्ति शीघ्र से शीघ्र रिलीज कर दी जायेगी। अन्ध विद्यालय गोरखपुर के उच्चीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है।

(च) राजकीय अन्ध विद्यालय, लखनऊ का नया भवन बनकर तैयार हो गया है और यह संस्था शीघ्र से शीघ्र नये भवन में हस्तान्तरित कर दी जाय। नेत्रहीनों के प्रतिनिधियों ने यह अस्पष्ट रूप से कहा कि नये भवन में जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। विद्यालय नये भवन में हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(छ) विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि प्रतिषोध की भावना से हड़ताल के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जायेगी । कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

(ज) माननीय मंत्री जी द्वारा इस वाद-विवाद को निपटाने हेतु किये गये प्रयासों की सराहना करते हुए नेत्रहीन विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों न आश्वासन दिया कि सभी विद्यार्थी जेल से छूटने के बाद सम्बन्धित विद्यालय को शान्तीपूर्वक चलाने में पूर्ण सहयोग देंगे तथा हिंसात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे ।

(झ) नेत्रहीन विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों ने यह भी विचार किया कि किसी भी स्थिति में अनाधिकृत बाहरी व्यक्तियों को नेत्रहीन विद्यालय के छात्रावास में न रहने देंगे ।]

उपरोक्त निर्णयों के फलस्वरूप सभी बन्दी छात्रों को जेल से रिहा कर दिया गया है और अब छात्र विद्यालय के नये भवन में शान्तिपूर्ण विद्याध्ययन कर रहे हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, इस पर कुछ पूछा जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर कुछ नहीं पूछा जा सकता है । कोई प्रश्न की इजाजत नहीं है ।

प्रदेश में शीत गृह मालिकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से आलू उत्पादकों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में संशोधित वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कृषि मंत्री...

श्री सत्यदेव त्रिपाठी (जिला इटावा)—

मान्यवर, इस संशोधित वक्तव्य को पढ़ा मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहला और अन्तिम पैराग्राफ पढ़ दें ।

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

दिनांक 19 अप्रैल, 1978 को हुई विधान सभा की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने यह अपेक्षा की कि आलू के भण्डारण के सम्बन्ध में एक संशोधित वक्तव्य दिया जाए जिसमें पूरे प्रदेश की जानकारी हो ।

2—इस सम्बन्ध में विभिन्न मण्डलों से प्राप्त विवरण की एक प्रति माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी गई है । उसके देखने से यह स्पष्ट होगा कि प्रदेश में आलू भण्डारण की कोई समस्या नहीं थी । विभिन्न कोल्ड स्टोरेजों में 91.442 कुन्टल भण्डारण क्षमता रिक्त रही ।

रेलवे वैगनों द्वारा लदान के बारे में ज्ञात हुआ है कि फर्रुखाबाद जनपद में इस वर्ष 24-4-1978 तक 7,347 वैगन का लदान हुआ जबकि पिछले वर्ष केवल 6,374 वैगनों का लदान हुआ था । इस प्रकार 973 वैगन अधिक लादे गये ।

[इसके अतिरिक्त....

मैनपुरी से 520 वैगनों,

मथुरा से 2 वैगनों,
बरेली से 85 वैगनों,
एटा से 229 वैगनों,
मुरादाबाद से 144 वैगनों,
शाहजहांपुर से 22 वैगनों,
बदायूं से 256 बैगनों
कानपुर से 523 वैगनों,
इटावा से 641 वैगनों,
फैजाबाद से 5 वैगनों,
जौनपुर से 948 वैगनों,
बलिया से 30 वैगनों,
इलाहाबाद से 1 वैगन,
रामपुर से 7 वैगनों,
पीलीभीत से 1 वैगन,
गाजियाबाद से 164 वैगनों,
मेरठ से 2 वैगनों तथा
देहरादून से 61 वैगनों

का भी लदान हुआ है। इस प्रकार 10,988 वैगनों द्वारा कुल 15,05,316 कुन्टल आलू रेल द्वारा बाहर भेजा गया।

4—रेल मार्ग के अतिरिक्त ट्रक द्वारा भी 29,78,318 कुन्टल आलू बाहर भेजा गया है।

5—नैफेड द्वारा रु0 54.72 प्रति कुन्टल की दर से—
चन्दौसी में 4,804 कुटल,
बदायूं में 12,071 कुन्टल,
सम्भल में 8,239 कुन्टल,
मुजफ्फरनगर में 1,147 कुन्टल तथा

लखनऊ में 300 कुन्टल आलू की खरीद की गई। इस प्रकार नैफेड द्वारा कुल 26,561 कुन्टल आलू क्रय किया गया।

इसके अतिरिक्त फर्रुखाबाद जिले में पी0सी0एफ0 द्वारा भी 65 कुन्टल आलू की खरीद की गई।

6—प्रदेश के प्रमुख मण्डियों में विभिन्न श्रेणियों के आलू का बाजार भाव माह अप्रैल में 50.72 रु0 प्रति कुन्टल तक रहा है तथा माह जुलाई व अगस्त, 1978 में 70—100रु0 प्रति कुन्टल तक रहे।

7—प्रदेश में शीतगृहों की संख्या अब 475 से बढ़कर 482 हो गई है और क्षमता भी 9.75 मैट्रिक टन से बढ़कर लगभग 11.50 मैट्रिक टन हो गई है।]

प्रदेश में तीन शीतगृहों में आलू खराब होने की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें से मेसर्स नरेश कोल्ड स्टोरेज, फर्रुखाबाद एवं अमर आत्मा कोल्ड स्टोरेज, फर्रुखाबाद के विरुद्ध कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। उक्त दोनों शीतगृहों एवं मेसर्स ए0पी0 कोल्ड स्टोरेज मैनपुरी में रखे गए आलू खराब हो जाने के कारण कृषकों को हुई हानि के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा प्रतिकर निर्धारित कर दिया गया है जिसके विरुद्ध सभी कोल्ड स्टोरेज के स्वामी द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है।

(विवरण के लिए देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 176 पर)

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास 8 कार्य स्थगन प्रस्ताव आए थे। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय उन पर चर्चा का मौका दिया जायगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मेरा भी एक कार्य स्थगन प्रस्ताव रविदास जयन्ती के अवसर पर मुजफ्फरपुर में हुए काण्ड के बारे में था। पुलिस ने वहां घरों में घुसकर हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया, मारा-पीटा और गोलियां तक चलायीं। अगर उसको आप इसके साथ जोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मेरे पास जो संशोधन आए हैं उसमें मांग की गई है। तो उसमें अभिभाषण जब होगा राज्यपाल महोदय का, उसमें चर्चा करने का आपको मौका मिलेगा और आप सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे और यह नियम 51 में भी आ चुका है जिसमें सरकार अपना वक्तव्य देगी। नियम 51 में भी मैंने इसको स्वीकार किया है जिसमें सरकार वक्तव्य देगी।

श्री देव बहादुर सिंह—

वक्तव्य दिलाने के साथ हम लोग उसमें प्रश्न भी पूछ सके ऐसी व्यवस्था करा दें तो बेहतर होगा।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मुजफ्फरपुर काण्ड के बारे में श्री देवबहादुर ने जो प्रस्ताव रखा....

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 में सरकार वक्तव्य देगी, आप उस समय इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी—

इस धरती पर दिन प्रतिदिन महिलाओं का शीलभंग हो रहा है और बच्चों को उठा-उठा कर दीवार के साथ मार दिया जाय, तो वह कार्य स्थगन प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई निर्बन्ध जो लगाते हैं वह भी इस पर नहीं लगता। आप इस मांग को मानकर मुजफ्फरपुर पर आज जरूर चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर चर्चा का अवसर दूंगा।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

क्या आपने माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दे रखी है ?

नोट—[××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने बोलने की इजाजत नहीं दी है। इसलिये यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। (व्यवधान एवं शोरगुल।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

(व्यवधान तथा शोरगुल के मध्य) मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 8 मार्च, 1979 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा।

(कई सदस्यों के बोलने पर)।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

आप इस तरह से कुछ माननीय सदस्यों की मनमानी करने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस बीच माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा। मैंने शम्भूनाथ चौधरी को बुलाया है।

(व्यवधान तथा शोरगुल के मध्य)

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मैं माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं। उन्होंने यह कहा कि सरकार के कुछ मंत्रीगण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पहले ही कह दिया है कि वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। (व्यवधान तथा शोरगुल) माननीय सदस्य संयम रखें तथा सदन को चलने दें।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मुझे अत्यन्त खेद है कि जब आपने श्री शम्भू नाथ चौधरी को प्रस्ताव रखने को बुलाया तो उसके बाद इस प्रकार से बिना आपकी अनुमति से सदन की कार्यवाही में अवरोध डालना अत्यन्त अनुचित है। मैं माननीय सदस्यों तथा श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि वे नियमों के ज्ञाता हैं। हो सकता है उनका मतभेद हो। हो सकता है कि उनके अन्दर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[×××]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रोष या आक्रोष हो लेकिन उसको व्यक्त करने का एक तरीका है, एक फोरम है। इस प्रकार से सदन का समय नष्ट करना सदन की मर्यादा तथा प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार ही चलेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन में शान्ति बनाये रखने का प्रयास करें। आपने शम्भूनाथ जी को बुलाया उसके बाद जिस प्रकार से सदस्यों ने समय लिया यह अनुचित है, इसके लिये आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मुझे नेता सदन से भी निवेदन करना है कि वह भी मुझे इसमें सहयोग दें (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य बैठें तथा पहले मुझे सुनें। यह सदन संयम रखने का स्थान है। जैसा माननीय नेता सदन ने निवेदन किया सदस्यगण को सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चलने देना चाहिये। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि सदन शान्तिपूर्वक चले और इसके लिये मैं हमेशा सदस्यगण से यह निवेदन करता रहता हूं कि यह सदन वाद-विवाद के लिये है, अपनी बात कहने के लिये है। यदि कोई अपनी बात कहने का अख्तियार रखता है तो उसे दूसरे की बात उसी प्रकार सुननी चाहिये, बर्दाश्त भी करना चाहिये और इसे भी वह अपना कर्तव्य समझे। सदन की कार्यवाही 10/15 मिनट के लिये रुक जाती है। यह ठीक नहीं है। एक ही बात पर कई सदस्य बिना अनुमति के बोलेंगे तो "यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा" इसके अलावा अध्यक्ष पीठ से और कोई बात नहीं कही जा सकती। यदि एक साथ 6–7 सदस्य बोलते हैं तो रिपोर्टर की समझ में नहीं आता है और माननीय सदस्य कोई बात नहीं सुन पाते हैं। हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ पाता है। इसलिये जो कुछ नेता सदन ने कहा है वही मैं भी कहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि माननीय नेता सदन अपने दल को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करेंगे।

*श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह व्यवस्था चाहता हूं कि नेता सदन ने अभी जो कुछ इस सदन के सामने कहा वह अपने को आज भी हाउस का अध्यक्ष मानकर सदन चलाने की बात कहते हैं या नेता सदन मानकर यह बात कहते हैं। मान्यवर, जो कुछ भी उन्होंने कहा है उससे ऐसा मालूम हो रहा है कि जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं वहां से निर्देश न लेकर वह स्वतः ही समझ रहे हैं और व्यवस्था दे रहे हैं। इसलिये मैं व्यवस्था आपकी मानूं या नेता सदन की मानूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

नेता सदन अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके लिये वे स्वतंत्र हैं। इसलिये जैसा माननीय पाण्डेय जी ने आक्षेप किया वह वाजिब नहीं है। इस पीठ पर बैठकर चाहे कोई अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो अथवा अधिष्ठाता मण्डल का कोई सदस्य हो उसको पूरा अधिकार होता है कि नियमावली के अन्तर्गत दिये गये नियमों के अनुसार सदन की कार्यवाही चलाये। जहां कहीं अवसर आता है वहां पर मैं नेता सदन से भी कहता हूं कि आपको आज्ञा नहीं दी जाती। मैं इस कुर्सी पर बैठकर निष्पक्ष भावना से निर्णय लेता हूं। आप देखते ही हैं कि जब 8/10 माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे सदन का समय नष्ट होता है। वैसे आप जो कुछ भी प्रहार सरकार के ऊपर करना चाहें, संयत ढंग से कर सकते हैं लेकिन एक साथ खड़े होकर कहना ठीक नहीं है। (पुनः एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर कुछ बोलने पर) अब मैं आज्ञा नहीं देता। .....(व्यवधान) मैंने शम्भूनाथ चौधरी को बुला लिया है।

.....(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब वे खड़े हैं और मैंने उनको पहले ही बुला लिया है और वे अपना प्रस्ताव पेश कर चुके हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शम्भूनाथ चौधरी अपना प्रस्ताव पेश करें । . . . . (व्यवधान) आप पेश कर चुके हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मेरी आपत्ति है इस कार्य-क्रम के अनुसार जिसे इस हाउस ने अनुमति दी है उसके अनुसार यह प्रस्ताव दो बजे से पहले ही पेश किया जाना चाहिये था अब मान्यवर, यह प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शम्भूनाथ चौधरी अपना प्रस्ताव पेश कर चुके हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

इन्होंने नहीं किया है । बताया भी है सेक्रटरी साहब को ? इस सदन की गरिमा ईमानदारी से चलनी चाहिये उसी तरह सदन चलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शम्भूनाथ चौधरी प्रस्ताव पेश कर चुके हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, जहां तक समय निर्धारण का सवाल है आप उसके लिए सक्षम हैं समय को बढ़ाने के लिए । दो बजे से पहले ही यह प्रस्ताव आ जाना चाहिये था जैसे ही आपने नाम पुकारा था । लेकिन उसके बावजूद भी आप समय बढ़ा सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

आपने नाम पुकारा मैंने प्रस्ताव पढ़ दिया । यह [× × ×] जानबूझकर इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

इस तरह बोलने नहीं दिया जायगा । इस सदन में इस तरह की बात न करें ।

(व्यवधान कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

इस तरह सदन को नहीं चलने दिया जायगा । (व्यवधान) जिन शब्दों का प्रयोग किया है यह गरिमा के खिलाफ है ।

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

वह वापस लें ।

नोट— [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो चौधरी साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है "अमर्यादित" इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

इनको क्षमा मांगनी चाहिये ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

हमने आपके सामने विशेषाधिकार का प्रस्ताव रख दिया है। माननीय सदन में श्री शम्भूनाथ को माफी मांगनी चाहिये ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

सदन से माफी मांगें (व्यवधान) ।

श्री पूरन चन्द्र—

इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये (व्यवधान) ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

सदन को आप स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है। (व्यवधान) ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

पहले सदन से वह माफी मांगें (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इनका भाषण दूसरे दिन जारी रहेगा ।

श्री देवबहादुर सिंह—

प्रस्ताव पेश नहीं किये हैं प्रस्तुत किया हुआ कार्यवाही में नहीं लिखा गया है। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं श्री सोहनवीर सिंह तोमर का प्रस्ताव लेता हूं । (व्यवधान) शान्ति रखें।

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

माननीय वित्त मंत्री धमकी दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप 15 मिनट भाषण दे चुके हैं ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

प्रस्तावक महोदय का भाषण पूरा हो जाय । (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ, श्रीमन् ।

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो पेश कर चुके हैं और 15 मिनट बोल भी चुके हैं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

ठीक है श्रीमन्, हमारे प्रशासन की जो सारी प्रक्रिया है, जो नीति है, उनको पालन करने की या लागू करने की जिम्मेदारी नौकरशाही पर है। उनके सम्बन्ध में आजतक, शासन में जितनी भी सरकार रही हैं---उसमें विपक्ष के लोग भी कभी ताकत में रहे, एक समस्या हमारे प्रदेश मे रही है। प्रशासन के सामने और हमारे सामने शासकों के तबादले और पोस्टिंग एक भारी समस्या रही है और उसके ऊपर कई कई सरकार यहां बनी और बिगड़ी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शासन के दो अंग हैं। एक तो हम जनता के प्रतिनिधि हैं, उनसे चुनकर आते हैं, डायरेक्टर निर्देशन देते हैं उसको लागू करने के लिए और नीतियों को लागू करना ब्यूरोक्रेशी की जिम्मेदारी है। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश म विधायकों और मंत्रियों का अधिकतर समय इस बात में बीत जाता है कि किसका कहां तबादला हो और कहां न हो। मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य इसी म लगे रहते ह। विधायकों का समय जो विधायी कार्यों में लगना चाहिए वह उसमें न लगकर अधिकतर समय इसी सम्बन्ध में बीत जाता है। उनके पास हर समय पन्द्रहों आदमी अपने तबादले की सिफारिश के लिये बैठे रहते हैं। बहुत से सदस्य जो सदन का बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में होते हैं---2-4 पटवारी और 10-5 इंजीनियर्स उनके सामने हर समय बैठे रहते हैं और कहते हैं कि हमें गलत सस्पेण्ड कर दिया गया है, हमारा तबादला कर दिया गया है।

मैं इधर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, पहले भी मंत्रीलोग थे, पन्त जी आदि इनके जमान में लोग हिम्मत नहीं करते थे, किन्तु अब अहिस्ता-अहिस्ता कर्मचारी उनपर हावी होते जा रहे हैं। इसलिये अधिकतर जगह पर विवेक से काम नहीं हो पाता है और फिजूल कार्यों में समय बीत जाता है। "व्यवधान" मानसिंह जी, आप हमारी बात सुनें एक ऐसी प्रणाली हमारी बननी चाहिए कि हम कर्मचारियों को कैसे डील करें। वह आज इतने शक्तिशाली हो गये ह कि एक-एक सेनेटरी इन्सपेक्टर तक 25-25 विधायकों के हस्ताक्षर करा सकता है इस बात के लिए हमारा तबादला यहां पर होना चाहिये। इस सबकी जिम्मेदारी दो लोगों पर है। एक विधायकों पर और दूसरे जो इसका निर्णय लेते हैं। मंत्रि-मण्डल में जो मामले आते हैं, हो सकता है कि उनसे आप का मतभेद रहें लेकिन करना उनको यह चाहिए जो एक निर्णय हो जाए, गलत निर्णय भी हो जाए, तो उसका पालन होना चाहिए, पालन कराना चाहिये।

लोग कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो जाय, तो वह क्या करे ?

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

मैं मानता हूं हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारा कर्तव्य है कि जहां पर कर्मचारियों के साथ ज्यादती हो उसकी मदद करनी चाहिए। उसका तरीका यह है कि मान लें किसी आदमी

---

†12 सितम्बर, 1977 की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री साहनवीर सिंह तोमर]

का गलत ट्रांसफर हो गया है तो दुनियां में और जगह भी है, एक मशीनरी कायम करें जिसमें एक एम0 एल0 ए0 का प्रतिनिधि हो, एक शासन का प्रतिनिधि हो और एक कर्मचारियों का प्रतिनिधि हो। तीन आदमियों की कमेटी बैठे। अगर किसी कर्मचारी के साथ अन्याय हो गया है तो वह उसमें पेटीशन दे सके। लेकिन आज क्या होता है? एक ओवरसियर मेरे पास आता है वह कहता है कि मुझे इंजीनियर ने इसलिए सस्पेंड कर दिया कि वह गलत काम मुझसे करवाना चाहता था। मैं सिफारिश के लिए चला गया। उसके बाद माननीय वीरेन्द्र पति यादव गये और कहा कि यह सब ठीक था, यह होना चाहिए। हमारी आपस की सद्भावना जाती रहती है। कर्मचारीगण आहिस्ता आहिस्ता-शासनतन्त्र पर हावी होते जाते हैं। इसका निदान कुछ निकलना चाहिए। अगर इसका निदान नहीं निकलेगा तो आहिस्ता-आहिस्ता इससे भ्रष्टता बढ़ती चली जायगी। इसका प्रश्न नहीं है कि शासन में कौन बैठता है।

प्रदेश के अन्दर कर्मचारियों की इतनी बड़ी फौज है। उनका नियन्त्रण करने के लिए नियमावली मे नियम मौजूद है। लेकिन पालन नहीं होता। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। प्रदेश को पांच रीजन्स में बांट दिया जाय। हर कर्मचारी पांच रीजन्स में एक निश्चित समय तक रहे। सबसे पहले कर्मचारी को अपने घर से दूर रहना चाहिए। जैसे-जैसे उसका रिटायरमेंट पास आये उसको अपने घर के पास रहना चाहिये। इस नियम का पालन करना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी मेरे पास सिफारिश के लिए आता है, एक ए0 सी0 ओ0 का ट्रांसफर क्यों हो गया मैं इसके लिए सिफारिश में जाता हूं, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही होनी चाहिए। हम लोग पब्लिक वर्क्स हैं। लोगों को मना नहीं कर पाते। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए ऐसा नियम बनाना चाहिये और उनका पालन करना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों का तबादला किसी निश्चित नियम के अनुसार हो।

इरीगेशन डिपार्टमेंट में, हाइडिल डिपार्टमेंट में, पी0डब्लू0डी0 में अगर कोई ओवरसियर रिश्वत नहीं देता तो इंजीनियर्स ने करीब करीब पागल करार दे दिया। कहीं पोस्टिंग नहीं होती। एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे एक महीने में पांच जगह पोस्ट किया गया। मेरा कुसूर यह है कि मैं रिश्वत में शामिल नहीं होता। वह फटी चप्पल पहने हुए था। करीब-करीब पागल बना देना चाहते हैं क्योंकि वह सुपीरियर आफिसर्स की रिश्वत में शामिल नहीं हो पाता। हमारी नियमावली जो है उसमें रिलीफ नहीं है। सुपीरियर आफिसर्स उसका तबादला कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई मशीनरी प्रोवाइड करें कि वह कर्मचारी उसमें अपना पेटीशन दे सके, अगर उसका पांच जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वह कहता है कि उसका कोई कुसूर नहीं है। होता क्या है कि वह हम लोगों के द्वारा आता है। हमारे पास रिश्वत न लेने वाला ओवरसियर आता है तो वह हमको न तो हजरतगंज में दावत खिला सकता है, न खातिरदारी कर सकता है और न रिश्तेदारों को बटोर कर ला सकता है। लेकिन जो कर्मचारी रिश्वत लेता है वह हमारे तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ले आता है। हमें चुनाव लड़ना होता है। दिघे साहब के पास जिस आदमी के लिए मैं चार बार सिफारिश ले कर जाता हूं वह उसके लिए कुछ न कुछ कर देंगे। मैं इस बात को रोकना चाहता हूं, इस प्रस्ताव के द्वारा। अगर ब्यूराक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप किसी का मंत्रि मण्डल बना लीजिये, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं आप किसी को बिठा लीजिये, अगर नियन्त्रण उस पर लागू नहीं होता तो शासन ठीक नहीं चल सकता। हिन्दुस्तान मे ब्यूराक्रेसी इतनी ताकतवर है, इंग्लैण्ड मे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का आफिसर होता है, जिसे चीफ एग्जिक्यूटिव कहते हैं उसको एक महीने की नोटिस पर बरखास्त किया जा सकता है। किसी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जिले के डी0 एम0 के यहां पर चले जाइये और कमरे के अन्दर घुसते ही मालूम होने लगता है कि नेम सिंह जी कोई छोटे आदमी हैं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो ट्रांसफर के नियम हैं उनको रेशनलाइज करना चाहिये। अगर किसी व्यक्ति के साथ ज्यादती हो रही है और अन्याय हो रहा है तो उसको दूर करने का भी उपाय सोचना चाहिये। इसके लिए मान्यवर, यदि एक रेव्यू की मशीनरी बना दी जाये जिसमें एक एम0एल0ए0, एक कर्मचारी का प्रतिनिधि और एक सरकार का प्रतिनिधि हो। यह लोग मामले को रेव्यू कर लें। यह लोग हमारे पास सीधे न आवें। अगर यह लोग हमारे पास आते हैं तो समझ लेना चाहिये कि यह अनुशासनहीनता है। मान्यवर, इस प्रकार के रूल्स हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। हम यहां पर इस काम के लिए नहीं आये हैं। इस बारे में केवल शासन का ही कर्तव्य नहीं है बल्कि सारे सदन का यह कर्तव्य है कि इस प्रकार की गलत प्रणाली को रोका जाये। ट्रांसफर के सम्बन्ध में नियम और नियमावली भी है लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है, शासन को उन्हें सख्ती के साथ लागू करना चाहिये। अगर वह नियम लागू हो जाये तो हमारी जो समस्या है वह हल हो सकती है। हम लोग उसमें हस्तक्षेप न करें, लेकिन यह जरूर है कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिये और उस ज्यादती को दूर करने के लिए रेव्यू मशीनरी की व्यवस्था होनी चाहिये। इससे किसी भी कर्मचारी को रिलीफ मिल सकती है। इस समय होता यह है कि किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और उसे मालूम हो गया कि उसका ट्रांसफर हो गया बस उसने छुट्टी ले ली एक महीने की, मेडिकल दे दिया और वह हमारे कमरे में आ डटा। हम यह इसलिए कह रहे हैं कि हम इसके भुक्तभोगी हैं। हमीं नहीं सभी माननीय सदस्य इसके भुक्त भोगी हैं। मान्यवर, नियमों में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर वह व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है तो उको सस्पेंड तो कर ही देना चाहिए। मेरे पास सीमित समय है और इस पर मैं अधिक सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरे दूसरे साथी भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे और जो सुझाव आवें उनके माध्यम से कोई रास्ता निकल सकता है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय तोमर जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, ट्रांसफर के मामले में चौकीदर से लेकर कमिश्नर तक के मामलों में विधायक को घेरा जाता है। ऐसा महसूस होता है कि हम विधायकों को यह अधिकारी अपना गुलाम समझते हैं और यह समझते हैं कि उनका ट्रांसफर रुकवाना हमारी ड्यूटी है यही नहीं उनको तरक्की दिलवाना और उनके भ्रष्टाचार को दबवाना हमारी ड्यूटी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को एक बात का लालच हो गया है कि किसी भी समारोह का उद्घाटन करना, किसी इमारत का शिलान्यास करना और उस पर अपना पत्थर लगवाने का लालच हो गया है। हमारे जिले में एक मेला लगता है वहां पर एस0 पी0 ने शिलान्यास किया, सप्लाई आफिसर ने एक कमरे का शिलान्यास किया एस0 डी0 एम0 ने एक जूनियर हाई स्कूल का शिलान्यास किया, मुन्सिफ ने एक सड़क का उद्घाटन किया। इन लोगों ने यह सब किया लेकिन काम कोई पूरा नहीं हुआ। वह तो केवल पत्थर लगाने की बात थी। मेरी प्रार्थना है कि यह जो प्रथा पड़ गयी है इसको सख्ती के साथ समाप्त किया जाय क्योंकि इससे वहां के गांव प्रधान और वहां के कर्मचारियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

जब जिले का कोई भी अधिकारी चाहे वह जिलाधीश हो, या अन्य अधिकारी हो दौरे पर जाता है तो सारा प्रबन्ध डाक बंगलों में ठहरने का, और भोजन आदि तहसील के लोगों को करना पड़ता है। वहां के कर्मचारियों को करना पड़ता है। इसमें सैकड़ों रुपया आप सनाप खर्च किया जाता है मुर्ग मुसल्लम बनता है बकरे कटते हैं और जब वहां से डी0 एम0, एस0 डी0 एम0 या एस0 पी0 जाने लगते हैं तो यह भी नहीं पूछते हैं कि कितना खर्च हुआ है। 400–400 रुपया और 500–500 रुपया तहसील के लोगों को खर्च करना पड़ता है। हमारे

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—]

मंत्रिगण भी दौरे पर जाते हैं, उनके लिए भी तहसील के लोगों को ही खर्च करना पड़ता है हम लोग भी आपके साथ चाय-नाश्ता भोजन करते हैं मुझे याद है पंत जी के जमाने में एक मंत्री दौरे पर गये। जब उन्होंने खर्च का हिसाब मांगा तो बताया गया कि कुल 5 रुपया खर्च हुआ। उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना नाश्ता किया, इतना खाना खाया लेकिन फिर भी इतना कम खर्चा कैसे आया। तब उन्होंने 87 रुपये का खर्च बताया तब मंत्री जी ने 100 रु0 दिया था लेकिन आज 1—1 हजार रुपया खर्च करने पर भी एक पाई तक उन्हें नहीं दी जाती है और बदनामी हमारी होती है।

मैं इस बात का स्वयं भी भुक्तभोगी हूं। मेरे क्षेत्र में एक माता टीला बांध है। वहां पर मध्य प्रदेश के अधिकारी, मंत्री कमिश्नर्स और 3—3 और 4—4 जिलों के जैसे झांसी, ललितपुर आदि के जिलाधीश आते हैं और वहां पर ठहरते हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां के लिए एक स्वागत अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाय। वहां पर प्रत्येक महीने में 10—15 अधिकारियों को शनिवारों को या अन्य छुट्टियों में दौरा होता है और वहां आकर ठहरते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि इस प्रथा को भी रोकने का प्रयास करें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सोहन वीर सिंह तोमर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य, सोहनवीर सिंह तोमर का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जो परेशानी माननीय सदस्यों को होती है, वह एक बहुत ही व्यवहारिक बात है और हम सब को विदित भी है, लेकिन कोई भी कर्मचारी अपनी बात को मंत्रि-मण्डल या सम्बन्धित मंत्री तक नहीं पहुंचा सकता है। वे लोग हम लोगों को पकडते हैं। यह परम्परा ब्रिटिश काल से चली आ रही है और यद्यपि उसको तोड़ना बहुत कठिन है लेकिन यदि कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से हो सके तो उचित होगा। मैं जानता हूं कि और कोई कलेक्टर कानूनगो के खिलाफ कार्यव ही करता है तो उसकी जांच फिर दूसरा कलेक्टर ही करता है। तो जो इस प्रकार के अधिकारी होते हैं वे अपनी कैटेगरी के लोगों का ही पक्ष लेते हैं और यह संभव नहीं हो पाता है कि छोटे कर्मचारी को न्याय मिले। ईमानदार कर्मचारियों को हर तरह से परेशान किया जाता है। हर महकमें में नीचे के कर्मचारियों से पैसा लिया जाता है। जैसी कि मुझे जानकारी है पुलिस विभाग में पुलिस अध्यक्ष उसी थानेदार की नियुक्ति करता है जिसे वह चाहता है और अच्छा थाना उसी को दिया जाता है जो अधिक से अधिक पैसा देता है। जो थानेदार ईमानदार नहीं होता है, वह थर्ड ग्रेड थाने पर नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार से एक एक्साइज विभाग है। उसमें एक्साइज कमिश्नर अच्छी जगहों पर उन्हीं की नियुक्ति करता है जो अधिक से अधिक पैसा देते हैं जो वन विभाग के अन्दर भी यही देखने को मिलता है। वहां के बारे में भी रोज शिकायत सुनने को मिलती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर कहना पड़ता है, त्रिपाठी जी के बारे में रोज शिकायतें सुनने को मिलती हैं। यहां पर बैठकर इनाम बटता है। जो रेन्जर सबसे ज्यादा ईमानदार होता है उसे सबसे खराब जगह भेजा जाता है, जो जितना ही ज्यादा पैसा खाता है और खिलाता रहता है उसे सबसे अच्छी जगह भेजा जाता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको इस ढांचे को बदलना होगा। नयी सरकार इस पर विचार करे और कोई न कोई इसके लिए रास्ता निकाले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्रियों के आदेश हो जाते हैं मगर उनका पालन 3–3 और 6–6 महीनों तक नहीं होता। अगर अधिकारी नाराज है तो वह उसका पालन नहीं होने देता। इस ओर भी मैं चाहता हूं यह नयी सरकार ध्यान दे और कोई व्यवस्था करे।

आज देखने में आता है कि एक बी0 ए0 पास व्यक्ति अगर एक्साइज इन्सपेक्टर हो गया तो वह इतना रुपया पैदा कर लेता है और तमाम विधायकों तथा मंत्रियों को अपनी पाकेट में रखता है, दूसरी ओर उससे कहीं ज्यादा पढ़ा-लिखा दूसरा कर्मचारी है वह मंत्रियों तक नहीं पहुंच पाता। वह फिर हम लोगों को, मंत्रियों के रिश्तेदारों को पकड़ता है और उनके द्वारा एप्रोच कराता है। मैं चाहता हूं इस ओर भी सरकार ध्यान दे। मेरा एक सुझाव यह है कि हर विभाग में एक कमेटी बनायी जाये जो कर्मचारियों की दिक्कतों को देखा करे। इस सदन में हम लोगों को उनकी समस्याओं पर भी विचार करना होगा। उच्च कर्मचारियों के लिये मंत्रि-मण्डल की समिति बनायी जा सकती है। इससे कोई कर्मचारी किसी मंत्री के पास नहीं भागेगा। इस ट्रांसफर की समस्या को निश्चित तरीके से नियम बनाकर हल किया जाये और मानवीय दृष्टि से कोई परेशान है, किसी की औरत बीमार है, किसी के घर कोई नहीं है, अगर उसको उठाकर लखनऊ से बलिया भेज देंगे, तो वह परेशान होगा। तो इस प्रकार से यह उचित न होगा।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, तोमर जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत बड़ी विडम्बना हो गयी है कि जनता सरकार बनने के बाद एप्रोच बहुत आसान हो गया है। यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले पर मंत्रियों तक एप्रोचेज की जाती है। एक माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा जो आबकारी मोहकमें के थे कि एक्साइज इन्सपेक्टर के तबादले में 10 हजार की घूस है। उसको या तो मंत्री ले ले या विधायक ले ले। इस तरह से रिश्वत से समाजवाद स्थापित हो गया है। ऐसा उन्होंने मेरे सामने शब्द इस्तेमाल किया था। तो अधिष्ठाता महोदय, कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी समस्या बड़ी सामान्य और परेशानी वाली है, जिसके कारण उनको राजनैतिक शरण लेना पड़ता है। जैसे सभी इंजीनियर कंस्ट्रक्शन डिवीजन में रहना चाहते हैं। उसी तरह से इक्साइज का मामला है। वह इधर-उधर नहीं रहना चाहते हैं। इसी तरह से पुलिस विभाग है। कोई विजीलेंस और इंटेलीजेंस में नहीं रहना चाहता है। सभी सिविल में जाना चाहते हैं और उसके लिए सभी लोग आसनी से हमारे जैसे विधायकों को, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को पकड़ने का काम करते हैं।

शिक्षा विभाग को ले लीजिये। इसमें कोई भी पहाड़ में जाना नहीं चाहता। जो पहाड़ में हैं, वे भी चाहते हैं कि मैदान में आ जायं। डी0 आई0 ओ0 एस0 आफिस में जिस तरह से बेईमानी और घूसखोरी हो गयी है, उस तरह की तो रसद विभाग में भी नहीं है। अगर एक क्लर्क का ट्रांसफर हो जाता है तो जितने अध्यापक आदि हैं, सभी लोग विधायकों को घेरने लगते हैं। इसके लिये मेरा सुझाव है कि हर विभाग में एक एक-उच्च अधिकारी बैठाना चाहिये, तबादले से सम्बन्धित जो परेशानी है, उसको वह देखें। चतुर्थ क्लास के कर्मचारियों के लिए मंत्री जी ऐसी व्यवस्था कर दें कि उनके स्थानान्तरण में हस्तक्षेप न किया जाय। जो अधिकारियों की समस्याओं को समझने के लिए आपने एक ट्रिब्युनल मोकर्रर किया है, मेरा निवेदन है कि तबादले के सम्बन्ध में एक कमेटी होनी चाहिये और वहीं से स्थानान्तरण संबंधी मामले को समाप्त किया जाना चाहिये, तो इससे हम लोगों का समय बचेगा और उनकी समस्या का समाधान भी हो जायगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, माननीय सोहनवीर सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का हर ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति समर्थन करेगा। मैं इसी चीज को उपयुक्त नहीं समझता था और न समझ पा रहा था कि इस प्रकार के प्रस्ताव के बारे में आखिर यहां चर्चा क्यों हो रही है। यदि यह प्रस्ताव आया था तो शासन को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेना चाहिये था। यह सही है कि स्थानान्तरण के बारे में एक सुनिश्चित, स्पष्ट, समय बद्ध नीति शासन की हो। जब शासन को इस को स्वीकार नहीं करना होता है तभी इस पर चर्चा होती है। इसका समर्थन करने में भी संकोच होता है कि कहीं तोमर साहब इसे वापस न ले लें। मान्यवर, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिर शासन की ओर से इस तरह के स्पष्ट प्रस्ताव के ऊपर सकारात्मक भूमिका देखने को क्यों नहीं मिली। शासन की नीति से नौकरशाही का संचालन हो, यह हमने व्यवहार में नहीं देखा है। पिछले समय में भी हमने देखा और आज भी देख रहे हैं कि शासन में लोग नौकरशाही से संचालित हो रहे हैं। वह कभी नौकरशाही को संचालित नहीं कर पा रहे हैं। एक गये दूसरे आये, तो सबसे पहले उनकी नजर जाती है कि उनके क्षेत्र में कर्मचारी और अधिकारी किस तरह के हैं। कौनसा वहां अधिकारी नियुक्त किया जाये ताकि उनकी राजनीति जिन्दा रहे। जब हम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने जिले और क्षेत्रों में नियुक्त करवाते हैं तो हमें उनकी ही नीति के अनुसार आचरण करना पड़ेगा।

हमारे जिले के राजस्व मंत्री थे, श्री शारदा भक्त सिंह जी। छोटे-छोटे कर्मचारी से लेकर जिलाधीश तक के जो अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति होती थी, बिना उनकी सलाह के नहीं होती थी।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप नाम न लें।

श्री राम आसरे वर्मा—

अब मुझे यह कहने में संकोच नहीं है। जिसको बड़ा सकून मिला है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नौरशाही हावी है और इसलिये उसके नियंत्रण को तोड़ने में अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाय तो, बहुत मदद मिलेगी।

मेरा अपना थानेदार आ जाय, मेरा अपना बी० डी० ओ० और तहसीलदार आ जाय। यह ख्वाहिश आपकी भी है और मेरी भी। इसको ठीक करने के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रस्ताव को बिना किसी संकोच के स्वीकार किया जाना चाहिये और एक स्पष्ट, सुनिश्चित और समय बद्ध नीति निर्धारित की जानी चाहिये।

हर मंत्री के दरवाजे पर लिखा हुआ है कि तबादलों के लिये बात नहीं हो सकती। लेकिन अन्दर केवल तबादले के लिये ही बात की जाती है और कोई दूसरी बात नहीं होती मैं एक मंत्री के यहां गया, मेरा कार्य स्थानान्तरण के संबंध में ही था, मुझसे पहले वहां बात हो रही थी एक तबादले के बारे में। लेकिन मुझसे उन्होंने कहा कि अगर तबादले के बारे में बात हो तो इसको आप जेब में रख लीजिये। इस पर बात नहीं करुंगा। मैंने पूछा कृपया यह बता दीजिये कि आप इस समय कौन सा काम कर रहे हैं जिससे उसी काम को लेकर मैं आऊं तो कोई भी काम नहीं बता सके क्योंकि अन्दर तबादले का काम हो रहा था।

हमारे माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, हम लोग इन झंझटों से बच सकते हैं अगर प्रस्ताव को मान लिया जाय। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और शासन से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को वह स्वीकार कर ले।

*श्री नरेन्द्र सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्षता महोदय, माननीय तोमर जी ने एक सुन्दर प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। निश्चित रूप से इसका समर्थन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रदेश की सेवा में शासन की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये प्रशासन में जिन्हें लोग लगे हैं वह एक दृष्टिकोण लेकर यहां पर आये हैं कि प्रदेश की सेवा के साथ-साथ उनकी सुरक्षा हो, उनके परिवार की सुविधा हो और शिक्षा आदि की अच्छी व्यवस्था हो।

मान्यवर, आप स्वयं अच्छे ज्ञाता हैं आपको स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें कि प्रथम श्रेणी के जितने अधिकारी हैं उनके लिये आवासीय व्यवस्था जहां कहीं जायेंगे उपलब्ध हो जाती है। लेकिन उसके नीचे नीचे अगर उतरते जांय तो जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनके लिये यह सारी चीजें दूर हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसको तीन या चार सौ रुपये मिलते हैं। अगर उसका स्थानान्तरण हो जाता है तो 100 या 150 या किराये का ही खर्च देना पड़ेगा। शिक्षा आदि की बात अलग रही। मैं तोमर जी को स्मरण दिलाऊं कि सरकारी सेवाओं के संबंध में सभी नियम बने हुये हैं। प्रश्न केवल इतना है कि उसका पालन किस सीमा तक किया जाता है। उनका अनुपालन होना चाहिये। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का स्मरण आता है। सेवाओं में लगे छोटे-छोटे व्यक्तियों का कितना आदर होता था। कुम्भ मेले में वह गये। एक कर्मचारी ने रोक दिया कि आपके टीका लगा है या नहीं। उन्होंने कहा कि टीका नहीं लगा है। मैं टीका नहीं लगवाता। श्री प्रकाश ने लिखा है। तो इसकी जानकारी लखनऊ से की गयी तो पता चला कि प्राविधान ऐसा है। और वह लौट गये। मैं कासिमपुर पावर हाउस का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि इतना जनरेशन होना चाहिये। कहा कि 'आई विल सी यार हेड रोल्स, मैं तुम्हारा सिर कुचला हुआ देखना चाहूंगा। जहां ऐसी चीज होगी इस तरीके का अविवेकपूर्ण निर्णय होता है किसी कारण से होता है। मेरे एक मित्र हैं वह कह रहे थे कि चीन देश में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि कुछ हट्स बना दी गयी हैं जिसका ट्रांसफर होता उसको चाबी दे दी जाती है कि अमुक जगह पर बिस्तर वगैरह रखें। हमारे यहां अधिकारी और कर्मचारी को पता नहीं है कि कितने दिन ठोकरें खायेंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से चाहूंगा कि कर्मचारियों को जिनको आपने नियुक्ति की है अगर सेवा लेना चाहते हैं तो सुविधा दें। जहां तक रिश्वत की बात है, आचरण की क्या स्थिति हो गयी है। हाथरस के एक कवि ने लिखा है कि

आज इतना विकास हो गया है,
भ्रष्टाचार मंहगाई सयानी हो गयी है,
भ्रष्टाचार जवान हो गया है।"

हमने पिछले 30 सालों में देखा कि मंहगाई बढ़ी है और ज्यादा मजबूत होगयी है और भ्रष्टाचार जवान नहीं बलिष्ठ हो गया है। रिश्वतखोरी बेईमानी बढ़ती ही जा रही है। अभी मोहन सिंह जी कह रहे थे कि सिविल पुलिस में कोई जाना नहीं चाहता है। विजिलेन्स के लोग जिसके खिलाफ लग जाय तो वह सारी कमियां पूरी कर लेता है। वह घूस लेते हैं। इसलिये उनको भी देखना चाहिये। जैसा अभी कहा गया है कि मंत्रि-परिषद् के लोग, विधायक लोग अपने स्वार्थ के लिये नहीं बल्कि अच्छे लोगों को हर एक चाहता है। इसलिये शासन में जो अच्छे लोग नहीं हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही अवश्य होनी चाहिये। पिछली बार कहा गया था कि कार्यवाही होगी लेकिन कुछ नहीं किया गया। यूनियनों में जो लोग हैं उनको कोई छू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नम सिंह चौहान]

नहीं सकता है। हमारे यहां सिंचाई विभाग में एक युवा कांग्रेस के कायकर्ता है जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री जब जेल गयीं थीं तो वह भी जेल गये थे। उनको किसी की छूने की हिम्मत नहीं है। एक बार उसको छूने की हिम्मत हुई तो बवंडर मच गया। इसलिये सेवाओं में जो ऐसे लोग हैं उनको छूने की किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिये इस पर निर्णय लेना चाहिये कि बिना भय और पक्षपात हमने जो संविधान की सौगंध खाई है उसका हम पालन करेंगे। सेवा नियम बने हुये हैं उनको पालन करने की बात है तो मैं चाहता हूं कि उनका पालन होना चाहिये।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जार्ज बनार्ड शा ने अपने नाटक एपिल काट की प्रिफेस में लिखा है कि गांव में पोस्टमैन की जरूरत पड़ी। तो गांव वालों ने पोस्टमैन का चुनाव किया। लेकिन चुनाव के बाद पोस्टमैन को पता चलता है कि उसको पढ़ा लिखा होना चाहिये। इसलिये पढ़े लिखे एक लड़के को उसने नौकर रखा। वह पोस्ट मैन उस लड़के से डाक बंटवाने का काम करवाता है। कुछ समय बाद उस पोस्टमैन का निधन हो जाता है। तो गांव वाले उसका इज्जत के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद एक नये पोस्टमैन का चुनाव गांव वाले करते हैं। वह लड़का फिर नये पोस्टमैन के पास आता है और कहता है कि हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इसलिये फिर वह इंस्टीट्यूशन बन जाता है। कहने का मतलब मंत्री लोग या सरकार उस पोस्टमैन की तरह होते हैं जो ऊपर से केवल निर्देश देते हैं लेकिन वास्तविक काम करने वाले लड़के है जो पीछे रहते हैं। इसलिये उसकी स्थिति बिगड़ती है तो पूरा प्रशासन बदल जाता है। इसी तरह कहते हैं कि फ्रांस में जब संविधान नहीं बदला था तो वहां सरकारें स्थिर नहीं रहती थीं। लेकिन वहां के अधिकारी काम करते रहते थे और शासन बदलता रहता था।

अपने देश में परेशानी है कि हम अभी तक सोच और समझ नहीं पाये हैं कि आखिरकार नौकरशाही का चरित्र क्या है? वह किस प्रकार काम करते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि घोड़ा उसी तरह की चाल चलता है जिस तरह की उसका सवार चलाता है। यदि घोड़े को मालूम हो जाता है कि सवार निकम्मा है तो वह कूदता फांदता रहता है और यदि सवार ठीक है तो घोड़ा भी ठीक चलता है। तो उसी तरह नौकर शाही और सरकार का संबंध है। इसलिये हमारी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो नौकर शाही में कांस्टेबिल, पटवारी, पतरौल से सचिव तक, किसी न किसी राजनीतिक संरक्षण को पाने के इच्छुक रहते हैं और राजनीतिक संरक्षण उनको दिया जाता है। इसके कारण पूरा प्रशासन बिगड़ जाता है। उदाहरण इस प्रकार के आये हैं। मैं तो सरकार से कहूंगा कि सरकार इस बात के आंकड़े इकट्ठा करे कि उनके पास श्रेणी 1, 2, 3 के कितने कर्मचारी हैं जो कि स्थानान्तरण होने के बाद बीमार हो गये, क्योंकि जब स्थानान्तरण हो जाता है तो यदि वह पसंद नहीं करते हैं तो अपने जिला स्तर पर बीमार होकर लखनऊ पहुंचते हैं और अपने स्थानान्तरण को रुकवाने के जोड़-तोड़ में लगे रहते हैं। इससे स्थिति बिगड़ती है। कमचारियों का नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन मैं ऐसे कर्मचारियों को जानता हूं कि जिनका स्थानान्तरण हो चुका है लेकिन 3-4 महीने से वह बीमार हैं और लखनऊ में घूमते हैं। तो इसमें सरकार नियम बना सकती है कि यदि कोई कर्मचारी बीमार है और स्थानान्तरण पर नहीं गया है तो वह अपस्ताल में भर्ती हो तब उसको बीमार माना जायगा अन्यथा नहीं।

अब सवाल आ जाता है कि पूर्वांचल में या पहाड़ में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिये कम से कम कर्मचारियों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए यह कंपलसरी कर देना चाहिये कि इतने समय तक उनको वहां रहना पड़ेगा। इसका जब तक कड़ाई से पालन नहीं किया जायेगा तबतक कुछ नहीं होगा।

दूसरी बात एक केन्द्र के मंत्री के यहां देखी मैंने देखी कि एक स्थानान्तरण की आयी हुयी थी और एक संसद महोदय लाये हुए थे। तब मन्त्री महोदय ने उनसे दरख्वास्त की कि कम से कम कर्मचारी को अर्जी तो आप स्वयं न लाते। वह तो ठीक तौर से आनी चाहिये थी तो इसी तरह से सरकार को नियम बना लेना चाहिये कि सरकारी कर्मचारी यदि राजनैतिक दबाव का प्रयोग करेगा, वह राजनैतिक दबाव भले ही किसी मंत्री का क्यों न हो उसके विरूद्ध कार्यवाही होगी। यदि इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा तो कुछ हो सकेगा अन्यथा न नहीं।

हमने देखा कि बहुत से विधायक इस प्रकार के हैं कि जब यह पटिटका लगी थी तब यह उनसे दरख्वास्त की गयी थी कि कम से कम स्थानान्तरण के मामले में न पड़ें और अपने यहां आने वालों से प्रार्थना करें कि यह सम्भव न होगा। परन्तु फिर भी यह देखा कि अधिकांश दबाव केवल उसी पर ही था। कर्मचारी लोग कभी भी कोई योजना या स्कीम लेकर आते कि अपने क्षेत्र में कोई विकास करें, ऐसा नहीं। उस काम में विधायकों की क्या आवश्यकता है, इसके लिये उनसे मिलें ऐसा नहीं। वह तो केवल स्थानान्तरण को लेकर चल देते हैं। अतः मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक समिति नियुक्त करें और उसके बाद स्थानान्तरण प्रोन्नति और नियुक्ति के निश्चित नियम बनायें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि एडहाक एप्वाइन्टमेंट की जो बीमारी है, जिसका अधिकार मन्त्रियों को होता है, इसका प्रयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। अगर इसको रखना है और राजनीतिक प्रभाव को कम करना है तो इस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा कि जो नियुक्ति है, वह तदर्थ न हो। नियुक्ति की रूपरेखा है, उसी के माध्यम से समय से नियुक्त हो सके तभी ठीक होगा।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरट)—

मान्यवर, यह खुशी की बात है कि आपने इस ओर सोचने की कृपा की। जो कर्मचारियों की बात है प्रदेश में वह जैसे कि कोई कारखाना होता है किसी कारखानेदार का, अगर अच्छी मशीन है तो उत्पादन भी सेन्टपरसेंट सही उतरता है। उसी तरह से अगर किसी प्रदेश का शासन सही ढंग से चलता चले तो फिर उसमें भी प्रदेश को सेंटपरसेंट प्राप्ति होती है। लेकिन जो प्रणाली शासन की है, उसमें अनेकों कठिनाइयां हैं। लेकिन सबसे अधिक बड़ी कठिनाई, जो कि करेप्शन के लिये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वह है स्थानान्तरण ठीक है, स्थानान्तरण होना चाहिये। किसी स्थान पर बैठे रहना भी उचित नहीं, उससे भी समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन स्थानान्तरण का क्या तरीका अपनाया जाय, वह कैसे हो, कब हो, किन परिस्थितियों में हो, यह सोचने का जरूर विषय है। मन्त्रि-मंडल जब गठित हो तो सबसे पहला फर्ज है कि वह जो प्रशासन चलाता है वह पहले उनके दुःख-दर्द को सुनें और उसको जब सही कर ले तो एक अच्छी प्रणाली से जनता की सेवा कर सकता है। लेकिन यह दुःख की बात है कि प्रदेश में इस मौलिक इश्यू पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। मैं बहुत प्रशंसा करता हूं अपने मित्र तोमर साहब का कि उन्होंने ऐसे विषय पर विचार करने का प्रयास तो कराया कि पहले बिल्कुल एक किनारे रखा हुआ था जिसके कारण हम सभी एम0 एल0ए0 परेशान थे।.. ...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

मंत्रिगण अपने कार्यालय और घरों में लिखे हुए हैं कि स्थानान्तरण के बारे में सिफारिश न करें लेकिन वास्तव में होता क्या है ? कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । हमने लिख तो दिया कि स्थानान्तरण की बात न हो लेकिन बराबर वही काम होता है । उसको देखते हुए यह प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

यह जो संकल्प आया है इसके अन्दर अनेक चर्चाएं बन सकती हैं । मैं तो चाहता हूं कि एक कमेटी का निर्माण हो जो इन सारी चीजों को देखें। मैं तो कहता हूं और मैंने सुझाव भी दिया था इस असेम्बली में प्रदेश के सभी जनपदों के एम0एल0ए0 विद्यमान हैं । एक मिनी असेम्बली बना दी जाय और जो शक्ति का केन्द्रीयकरण है उसको हटाया जाय। जिले की लेबिल पर सारे एम0एल0ए0 की एक कमेटी बना दी जाय और मुख्य मंत्री साहब एक को चेयरमैन नियुक्त कर दें जो अपना डिसीजन मैजारिटी से ले। यहां भी तो यही होता है । इसी प्रकार और भी कई उपाय हो सकते हैं जिससे इन कर्मचारियों का दु:ख-दर्द दूर किया जा सकता है । इस प्रकार यह स्थिति न होगी कि ईस्ट वाले को वेस्ट भेज दिया गया और इधर से उधर कर दिया गया । यह भी कहा जाता है कि एजूकेशनल के दिनों में उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायगा लेकिन किसी कर्मचारी को सजा देना है तो उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है । लेकिन इससे भ्रष्टाचार कम नहीं होगा बल्कि इससे उसकी बदबू और फैलेगी । इसलिए आपको स्थानान्तरण के बारे में एक तरीका, प्रणाली बनानी चाहिए जिससे कि हमारे प्रदेश के कर्मचारी सन्तुष्ट हो सकें । उनके स्थानान्तरण की पालिसी को हमें योजनाबद्ध तरीके से लेना चाहिये । इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्षता जी, मैं अपने मित्र माननीय तोमर जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा कराई । यों तो भिन्न-भिन्न विषयों पर बोलते हुए सदस्यों ने स्थानान्तरण की समस्या पर अपने विचार प्रकट किये और कई बार विरोध पक्ष से भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगाये गये। हर मंत्री के कमरे के सामने एक तख्ती टंगी मिलती है कि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में बात न करें । लेकिन स्थानान्तरण के बारे में बराबर सिफारिश होती है। मैं भी एक विधायक हूं । जैसे सबकी कठिनाइयां हैं वैसे हमारे सामने भी हैं । मैं कहता हूं कि इस प्रस्ताव का एक-एक शब्द ऐसा है कि जिसका प्रत्येक सदस्य समर्थन करता है। यही नहीं जो मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वे भी इस प्रस्ताव से सहमत होंगे । अगर इस प्रताव के अनुरूप काम किया जाय तो निश्चित रूप से प्रशासन ठीक ढंग से चलेगा ।

एक चीज और देख लें जिन दिनों स्थानान्तरण का सीजन होता है अप्रैल, मई और जून में अगर आप सचिवालय के सारे गेट बन्द कराकर मर्दमशुमारी करा लें और जनता के लोगों और कर्मचारियों की संख्या की गणना करा लें तो मैं समझता हूं कि उनमें सरकारी कर्मचारियों की संख्या 80–90 प्रतिशत होगी बाकी दस प्रतिशत विकास कार्य को लेकर आनेवाली जनता होगी । जिस प्रदेश की यह स्थिति हो उस प्रदेश का प्रशासन कैसे चलेगा, इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

लेकिन केवल मंत्रि-परिषद् के सदस्यों पर आक्षेप करके हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते और न ही विधान सभा में चर्चा करके सदस्यगण अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं ।

एक बात विचार करें। इसी सदन में एक एस0पी0 के ट्रांसफर को लेकर चालीस मिनट तक बहस को हमने सुना है और देखा है। मुख्य मंत्री पर क्या असर पड़ेगा, मंत्रि-परिषद् पर क्या असर पड़ेगा। विचार करें। आज वह मुख्य मंत्री हैं जो कल पीठासीन अध्यक्ष महोदय थे और उन्होंने चालीस मिनट की बहस एक एस0 पी0 के ट्रांसफर को लेकर करायी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक कलेक्टर का ट्रांसफर होता है, जनपद के सारे एम0एल0ए0 लिख कर देते हैं कि असक्षम है, जातिवाद उभार रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, इसकी जांच कराइये, ट्रांसफर की कोई आवश्यकता नहीं है, और 13 फरवरी को वायरलेस जाता है कि उस कलेक्टर का ट्रांसफर रोक दिया गया है, जालौन जनपद का, क्योंकि किसी ने यह बता दिया कि जिन एम0एल0ए0 ने हस्तक्षेप करके ट्रांसफर के लिये कहा वे आपके खिलाफ हैं। प्रशासन इस तरह से नहीं चल सकेगा। इस प्रकार से अनुशासन नहीं चल सकता। झांसी डिवीजन के डी0आई0जी0 का ट्रांसफर हुआ। चार रोज तक हमारे जिले के नेतागण कार लेकर घूमते रहे। पता चला कि ट्रांसफर रोक दिया गया। विचार करें आप अनुशासन बनाये रखना चाहते हैं और एस0पी0 और कलेक्टर और डी0आई0जी0 को अनुशासनहीन बनाना चाहते हैं। जालौन जनपद में आप का भेजा हुआ जो कलेक्टर है वह चार दिन तक चार्ज नहीं ले पाया। इससे क्या अनुशासन बढ़ेगा और इसका असर छोटे कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा। यह बात विचार करने योग्य है।

मान्यवर, आपके सामने नियमों की बात रखना चहता हूं। केवल नियम बना देने से कुछ नहीं होगा। 28 फरवरी, 1978 का सहकारिता मंत्री द्वारा जारी किया गया एक नियम है। इसमें एक पैराग्राफ है "ऐसे कर्मचारी जो जनपद की सहकारी समिति में प्रतिनियुक्ति पर हैं उनको अधिकतम प्रतिनियुक्ति पांच वर्ष अथवा उसी जनपद में 5 वर्ष के कार्यकाल तक, जो भी अवधि पहले हो, कार्य करने का अवसर दिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं।" इन्सपेंक्टर अथवा कोई भी सहकारी विभाग का कर्मचारी चार वर्ष से अधिक एक जनपद में, 8 वर्ष से अधिक एक डिवीजन में नहीं रह सकेगा। मैंने माननीय सहकारिता मन्त्री से जिन्होंने यह आदेश प्रसारित किया था, इस आदेश की याद दिलाते हुए निवेदन किया था कि हमारे जिले में क्रय-विक्रय समिति का एक इन्सपेक्टर पिछले 19 साल से डिपुटेशन पर है, लाखों रुपये का गोलमाल समिति में है, आप उसका ट्रांसफर तो कर दें रुकवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार सरकारें बदल गयीं, चारों उसका ट्रांसफर नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा नहीं मेरे हाथ से ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम मजबूत सिंह है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन पता चला कि उसका ट्रांसफर हुआ और जिस समिति में 46 लाख रुपये का गबन पाया गया जिसकी सूचना विधान सभा में मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में आयी, उस समिति का इन्सपेक्टर जो 19 साल से वहां पर बना हुआ था आज 6 महीने बाद भी वहीं पर बना हुआ है। आप कथनी और करनी में अंतर करके प्रशासन को चला नहीं सकते। नियम सब जगह बने हुए हैं, नियमों में कोई कठिनाई नहीं है। कठि-नाई है तो नियमों को पालन करने में।

एक बात आपको स्मरण दिलाते हुए कहना चाहता हूं। विधायक चुन कर आते हैं। सरकारी कर्मचारियों, डाक्टरों इंजीनियरों की काफी भीड़ रहती है। जिसे स्थानान्तरण कराना होता है वह आ जाता है, जिसे स्थानान्तरण रुकवाना हो वह आ जाता है। मैं सब विधायकों को याद दिलाना चाहता हूं डाक्टरों के स्थानान्तरण के बारे में पहले क्या होता था। सबको याद होगा कि बलरामपुर अस्पताल लखनऊ के एक डाक्टर का स्थानान्तरण रुकवाने के लिये सौ विधायकों ने लिख कर दिया, मुख्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया लेकिन नियमों का पालन करना था डाक्टर का ट्रांसफर न रुका, फिर मेरे जैसा विधायक और आप

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

जैसे विधायक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का ट्रांसफर रुकवाने के लिये मंत्री के पास जाने का साहस नहीं कर सकता ।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आवश्यकता इस बात की नहीं है कि केवल नियम बना दें । आवश्यकता इस बात की है कि उनका पालन करायें । मैं एक मिनट और लेना चाहता हूं इस सदन का, वह इस बात के लिये कि केवल इस बात से भी काम नहीं चलेगा कि आपने चाहे जिसका ट्रांसफर कर दिया, वह रुके नहीं । हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत से देशों की सीमायें भी इस प्रदेश से बहुत छोटी हैं । आप बुन्देलखंड के किसी कर्मचारी को अल्मोड़ा भेज दीजिये या देवरिया, गोरखपुर भेज दीजिये । तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आपने नियम बना दिया कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का स्थानान्तरण डिवीजन से बाहर नहीं होगा और चतुर्थ श्रेणी का जिले से बाहर नहीं होगा लेकिन कोई बड़ा अधिकारी ए0पी0सी0, डायरेक्टर या सचिव अगर उस आदेश का अनुपालन नहीं करता तो मंत्री होने के नाते आपका दायित्व है कि आप उस अधिकारी की खबर लीजिए कि क्यों उसने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया ? दूसरी बात यह है कि छोटे कर्मचारी को जब तक आप यह सुविधा नहीं देंगे कि जिस स्थान पर उसको भेजा जा रहा है वहां पर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आयेंगी । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मंत्रि परिषद् के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को ठीक से अमल में लाया जाए ।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया । प्रस्ताव की भाषा बहुत बढ़िया है । तोमर साहब के प्रस्ताव को मैंने अभी पढ़ा है । श्रीमन्, निर्देश तो बहुत बढ़िया है । निर्देश हमने कितने दिये और आप तो भुक्त भोगी हैं न । मथुरा में कितने निर्देश दिये मथुरा के एम0एल0ए0 ने, सब निर्देश रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये । श्रीमन्, बदकिस्मती है या खुदकिश्मती है कि हम आपकी सरकार में हैं । जहां आज मिश्रा जी बैठे हैं, पहले हम बैठा करते थे ।

श्री श्यामधर मिश्र—

बहुत जल्दी आप इधर आयेंगे, घबड़ाइये मत ।

श्री लक्खी सिंह—

जब हम उधर बैठते थे तो इस कतार में बैठे हुए मंत्रियों की घिग्घी बंध जाती थी और मैनेजर सिंह कोई कम थ, यह तो अभी सामने बैठे हैं यह तो सब सरकार के तबलची थे ।

श्री श्याम धर मिश्र—

तबलची होना हमें मंजूर है लेकिन आप कोई तायफा तो लायें ।

श्री लक्खी सिंह—

प्रस्ताव की भाषा बड़ी गंभीर है और होना यही चाहिये जो प्रस्ताव की भाषा है । मैं बताऊं जनता पार्टी को और इस सरकार को अगर जिन्दा रहना है और जनता के सामने मुंह दिखाना है तो फिर इस प्रस्ताव पर अमल करना चाहिये । श्रीमन् आपके क्षेत्र में एक थानेदार हैं जानते हो न । आपके क्षेत्र में जो अराजकता हो रही है, बहन बेटियों का निकलना दुश्वार है, दिन में खुले आम लूट मच रही है और यह भी मैंने सुना है कि आप उस थानेदार का विरोध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर रहे हैं लेकिन किस-किस बात का रोना रोया जाय? गृह मंत्री को मैंने तथा आपने लिखा। मेरे क्षेत्र के थानेदार का तो बाल तक बांका नहीं हुआ और उल्टे हम बुरे और बन गये। उसने हमें ठेंगा दिखा दिया। बहुत गजब है। कुछ कह नहीं सकते। फिर सरकार भी अभी नई बनी है कल से। जो नई आवे है उसके मुताबिक मेरी अवस्था कुछ कहने लायक नहीं है। इस नई दुल्हन को आप जरा मौका दें। पहले दुल्हन को देखें तो। बड़ी मुश्किल से वह दुल्हन बन पाई है। बड़ी मुश्किल से बड़े मंत्री बन पाये हैं। छुटकल्लू मंत्री तो अभी बन ही नहीं पाये हैं जैसे त्रिपाठी जी। अधिष्ठाता जी, मेरी तोमर साहब से अपील है कि कल ही सरकार के मुकुट बंधा और आज ही आप यह प्रस्ताव ले आये। कम से कम इस नई सरकार को एक आध महीने का अवसर तो दिया जाता इस कार्यक्रम पर अमल करने के लिये.....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

9 महीने का समय देना चाहिये।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

लक्खी सिंह जी, 9 महीने चाहिये।

श्री लक्खी सिंह---

अधिष्ठाता महोदय, जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको आप रोकें। दो महीने की बात मैं कह रहा हूं। यह सरकार नन्दाबन की है। गुलजारी लाल नन्दा ने सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही थी और मिश्र जी को उसका अच्छी तरह से पता है।

अभी यह दो दिनों की दुकान है और अभी दुकानदार से पुराना गुड़ मांगने लगे हैं, हमें पुराना गुड़ द दो। आप विद्वान हैं वकील हो, एडवोकेट हो, ला पढ़े हो मैं ला नहीं पढ़ा हूं लेकिन जो ला पढ़े हैं मेरे सामने उनके छक्के छूट जाते हैं। मैं लोहिया का सिपाही हूं और अधिष्ठाता जी, आप वायु सेना के हैं। सब विधायक संगठन करो। अभी एक अखाड़ा हुआ था एक अखाड़ा 15 फरवरी को हुआ था। आज प्रतिज्ञा करो कि इस प्रस्ताव पर इस सरकार को चलाकर छोड़ेंगे। हम ने कुछ लिखकर दिया, राधेश्याम जी ने कुछ लिखकर दिया कि वह गलत है। हम 5-6 एम0 एल0ए0 हैं फिर किसी ने कोई दरख्वास्त दे दी। तो अगर यह नहीं होगा तभी भ्रष्टाचार मिटेगा और छोटे बड़े कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय आज के अधिष्ठाता जी और हमारे भावी अध्यक्ष जी.....

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव त्रिपाठी (जिला इटावा)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है---कन्वेंसिंग नहीं चलेगी।

*श्री मैनजर सिंह---

माननीय साथी तोमर जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह संकल्प लाकर इस प्रदेश की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

एक जटिल समस्या की तरफ शासन का ही नहीं पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया है। श्रीमन्, यह समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है। हमारे माननीय नेता चौधरी चरण सिंह विगत वर्ष में जब यहां आये थे उन्होंने विधायकों को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किया था और यह कहा था कि विधायकों का अधिकांश समय स्थानान्तरण और नियुक्ति में ही लगा रहता है। मैंने उस समय खड़े होकर उनसे निवेदन किया था कि यह कहना आपका सही है और इसका एकमात्र कारण यह है कि शासन की तरफ से कोई स्पष्ट नीति और निर्देश स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नहीं बनाये गये हैं। बारहों महीने स्थानान्तरण होते रहते हैं कुछ राजनीतिक दबाव के कारण कुछ घूसखोरी के कारण और कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण। इसके लिये जिम्मेदार शासन पर बैठे हुए जो हमारे साथी हैं वे स्पष्टतः नियम नहीं बनाते हैं। मैंने कहा था कि स्पष्टतः कुछ नियम इसके लिये बन जाने चाहिए।

कोई भी कर्मचारी तीन वर्ष से पूर्व एक स्थान से कभी नहीं हटाया जायेगा। यदि उसके खिलाफ कोई शिकायत हो तो उसकी जांच की जाय और उसे दंड दिया जाय।

स्थानान्तरण कोई दंड नहीं है। तो यह निश्चित हो जाय कि तीन साल से पहले कोई नहीं हटाया जायेगा और 5 साल से अधिक एक स्थान पर रहने नहीं दिया जायेगा। लेकिन जैसा अभी हमारे साथी माननीय श्यामसुन्दर गुप्त जी ने जालौन के एक अधिकारी के बारे में कहा कि 19 साल से वहां पर हैं इस तरह अपनी पूरी सर्विस में एक ही स्थान पर एक अधिकारी या कर्मचारी बैठा हुआ है कुछ राजनीतिक दबाव के कारण या रिश्वत के कारण तो उसे दूर किया जाना चाहिये। शासन की एक स्पष्ट नीति निर्धारित होनी चाहिये और उस पर अमल होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं अपने भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री कल्याण सिंह को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने पिछले साल अपने विभाग में स्थानान्तरण के आदेश दिये, उसमें भले ही किसी के साथ अन्याय हुआ हो लेकिन मैं उनको दाद देना चाहता हूं कि एक बार स्थानान्तरण के आदेश करने के बाद चाहे मुख्य मंत्री का दबाव पड़ा हो या अपने साथी मंत्रियों का दबाव पड़ा हो या विधायकों का दबाव पड़ा हो उन्होंने स्थानान्तरण को रोका नहीं। इसका प्रभाव यह हुआ कि उनके यहां स्थानान्तरण की भीड़ छंट गई। उनके कर्मचारियों ने काम किया जिनको नहीं जाना था वे छुट्टी लेकर या त्याग पत्र देकर चले गये। काश ऐसा ही सभी मंत्रियों ने किया होता तो यह पट्टियां जो लगी हैं कि स्थानान्तरण के संबंध में बात न करें यह निकल गई होती। लेकिन मंत्रियों के यहां स्थानान्तरण होते रहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि स्थानान्तरण ही नहीं होते हैं बल्कि आजकल वह दिल्ली से होते हैं, यह बीमारी पिछले चार सालों से यहां घर कर गई है। हमारे संजय जी दिल्ली से जिसको आदेश दे देते थे वह मुख्य सचिव हो जाता था, जिसको आदेश दे देते थे वह ए0 पी0सी0 बन जाता था। आज भी दिल्ली में एक नये संजय पैदा हो गये हैं जनता राज्य में उनके आदेशों के अनुसार इस प्रदेश में जिला परिषदों म नियुक्तियां होती हैं, बड़े-बड़े अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं। यह नियुक्तियां और यह स्थानान्तरण आदेश बन्द होने चाहिये। नहीं तो यह प्रशासन सक्षम बनने वाला नहीं है और इससे स्वच्छ प्रशासन कायम नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शासन को इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। इस सदनकी एक समिति बनानी चाहिय जो मंत्रियों के साथ बैठकर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के साथ बैठकर विचार विमर्श करे और विचार विमर्श कर एक नियमावली बनाये।

श्रीमन्, कर्मचारियों की सुविधाएं और वेतन बढ़ायें लेकिन उनमें जो होम-सिकनेस है इसको दूर करना होगा। सहानुभूति के नाम पर अगर कर्मचारियों को उनके घर के नजदीक रखेंगे तो निश्चित मानिये कि प्रदेश का प्रशासन बिलकुल सक्षम नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है यह एक "मिनी हिन्दुस्तान" है यहां पर विभिन्न प्रकार की बोलियां

है, विभिन्न रीति रिवाज हैं, इसलिए इस छोटे से हिन्दुस्तान में ऐसा होना चाहिये कि पूरब के अधिकारी को पूरब म नियुक्त नहीं करना चाहिये और पश्चिम के अधिकारी को पश्चिम में नहीं रखना चाहिये, उसको पूरब में और पूरब वाले को पश्चिम में जाना चाहिये ।

श्री हरीसिह (जिला मेरठ)—

हम पश्चिम वाले को पूरब में नहीं जाने देंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था, लेकिन मुझे अफसोस है.....

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों के स्थानान्तरण पूरब से पश्चिम के जरूर हों और हरी सिंह जैसे पुराने सदस्यों को पता नहीं है, कि उनको आज भी देवरिया और बलिया की हालत का पता नहीं है....

(व्यवधान)

श्री हरी सिंह—

नहीं नहीं, मैं पुरबियों को पश्चिम में नहीं आने दूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं हरीसिंह जी जैसे लोगों से कहना चाहता हूं, पश्चिम वालों को पूरब में जरूर भेजना चाहिये, ताकि उनको प्रदेश की सही जानकारी हो सके ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अधिष्टाता जी, आज तोमर जी जो संकल्प सदन के सामने लाए हैं, मैं समझता हूं कि प्रत्येक जागरूक और निष्पक्ष सदस्य उसका समर्थन अवश्य करेगा और इसके मातहत मैं भी इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं । संविधान के आर्टिकिल 311 में पूरी व्यवस्था दे दी गयी है नियुक्ति से लेकर निलम्बन और रिमूवल तक । किसी कर्मचारी को कम्पलसरी रूप से हटाये जाने के विषय में, नौकरी से हटाये जाने के विषय में उसमें पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गयी है, जिससे किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अन्याय न हो सके । 311 में स्थानान्तरण के विषय में कोइ प्रक्रिया नहीं है । तोमर जी सदन के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय को लाए हैं और मैं समझता हूं प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी इस समाज का आवश्यक अंग है, अतः इस पर विचार करते हुए किसी भावना से प्रभावित न होकर हमें सोचना चाहिये कि उसके साथ न्याय भी होता रहे और उसी भावना से हमें प्रत्येक को कार्य करना चाहिये और कहना चाहिये ।

जैसा कि बहुत से सदस्यों ने कहा कि सचिवालय में मंत्रियों के कमरे के सामने तख्ती अवश्य लगी है, लेकिन स्थिति वास्तविकता से परे है । इससे बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है । वह हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, उनकी अपनी कठिनाइयां और समस्याएं हैं, उनकी ओर भी हमें ध्यान अवश्य देना होगा । हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते । जब पीड़ित या परेशान व्यक्ति मंत्रियों या अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी लेकर पहुंचते हैं, तो वह उन्हें तख्ती वाला जवाब दे देते हैं या यह कह देते हैं कि अभी उसका समय नहीं है या इसको सोचने का अभी औचित्य नहीं है । लेकिन जब कोई कर्मचारी या अधिकारी उनके सामने उनके अपनेचहेतों को लेकर आते हैं या

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

उनकी सिफारिश ले आते हैं, अपनी पार्टी, अपने घटक और अपने गुट, के लोगों की सिफारिश लेकर आते हैं तो बिना सही या गलत का विचार किये उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या रोक किया जाता है अर्थात् उनकी बात मान ली जाती है। मैं कहना चाहता हूं इस दोहरी नीति से बहुत से कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय हो रहा है। यह अन्याय कर्मचारियों के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। जब सिफारिश के बल पर किसी का गलत स्थानान्तरण हो जाता है या कोई व्यक्ति ही जमा रहता है तो वह अपनी राजनैतिक ताकत के बल पर निर्भय होकर तमाम गलत काम करता है। जब तक वह ठहरता है, तमाम गलत काम करता है, हजारों गल्तियां करता है, बेइमानियां करता है।

मान्यवर, हमारे जनपद के अन्दर जो चीनी मिल का निर्माण हो रहा है, इससे पहले जिला अधिकारी एस0 पी0 गुप्ता थे, पुराने तजुरबेकार पी0सी0 एस0 आफिसर थे, इस समय आई0ए0एस0 आफिसर बाबूराम साहब को भेजा है वह जनपद के जिला अधिकारी हैं, लकिन चीनी मिल के जो प्रबन्धक हैं उनको आपने भेजा है, जो जिन्दगी भर परिवहन विभाग में आर0टी0ओ0 रहे हैं। सात करोड़ की लागत से सहकारी रूप में चीनीमिल का निर्माण हो रहा है। आज जो चीनी मिल इस वर्ष चल जानी चाहिये, थी उनकी गैरतजुरबेकारी के कारण अगले वर्ष में भी न चल कर 1981–82 में शायद चलने में समर्थ हो सके। उत्तर प्रदेश और हमारे जनपद के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे संसद सदस्य और हम सब विधायकों ने एक राय होकर दलगत राजनीति से अलग रह कर बार बार आग्रह किया कि कम से कम एक तजुरबेकार प्रबन्धक भेजें जो चीनी मिल का निर्माण सही समय पर करवा सके। लेकिन इस सरकार के जो पहले मंत्री थे और आज भी गन्ना मंत्रालय में नियुक्त किये गये हैं उन मंत्री ने कहा कि मैं विभाग को समझ रहा हूं, अभी मैं समझ ही नहीं पाया हूं किस को हटाना चाहिये और किस को रखना चाहिये। वह मंत्रिमंडल खत्म हो गया। वह दोबारा मंत्री बनते हैं। इतने लम्बे समय में उनका समझना-सोचना नहीं हो पाता। जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ होता चला जा रहा है।

हमारे सहकारिता विभाग के अन्दर एक नियम बना हुआ है कि चार साल, आठ साल से अधिक कोई कर्मचारी एक जिले और कमिश्नरी के अन्दर नहीं रहेगा। स्टाकमैन रंजीत सिंह को जनपद में दस साल हो चुके हैं। मंत्री महोदय ने कम से कम तीन बार आदेश दिया लेकिन यहां के निदेशक महोदय बार-बार स्थानान्तरण को रोक देते हैं। वह पैसा खर्च करता है, नीचे से कुछ राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को लेकर आता है और बराबर स्थानान्तरण रोकवा देता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह नीति बननी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे सारे कमचारियों और अधिकारियों के प्रति इंसाफ होगा। लेकिन इसको बनाने से पहले नीति को लागू करने वाले मंत्रिमंडल के सदस्यों को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ सोच लेना चाहिये। अगर वह नीति को लागू करते हैं तो बड़ी निष्पक्षता से लागू करें। अगर ऐसा नहीं करते है, अगर वह पक्षपात के अन्दर रहते हैं, बेईमानी के अन्दर रहते हैं तो इस संकल्प को लागू करने से कोई लाभ नहीं होगा। इससे कर्मचारियों का अहित ही होगा।

श्री अशफाक अहमद खान (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्टाता महोदय, मैं माननीय तोमर जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका कारण यह है कि विधायकों के पास स्थानान्तरण के सिलसिले में आने वाले लोग दो किस्म के होते हैं। एक तो परेशान होते हैं और दूसरे इस तरह के होते हैं कि मेरा ट्रान्सफार सी0 आई0 डी0 से सिविल में करा दीजिए या आफिस साइट में करा दीजिए। विधायक समझ लेते हैं कि कौन व्यक्ति परेशान है। माननीय मंत्री जी काम करते हैं घटकवाद के आधार पर। वह यह जान लेते हैं कि यह व्यक्ति किस घटक से सम्बन्ध रखता है। अगर उनके घटक का विधायक है तो उसका काम जरूर हो जाता है। इस सिलसिले में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

मैं दो साल माननीय वित्त मंत्री जी के पास दौड़ता रहा वह काम सही काम था। उनके पास लगातार दौड़ता रहा तो मेरी भी खूब तारीफ करते हैं और साथ में वादा भी कि हो जायेगा। मान लीजिए कि घटकवाद से कामयाबी मिल भी गयी तो वह अधिकारी के पास जाता है और वह कहता है कि जरूर हो जायगा। अगर आप सीधे अधिकारी के पास जावें तो वह यह पता रखता है कि किस जिले में किस घटक का आदमी रहता है और वह कह देता है कि मंत्री जी की राय नहीं है। जब तक वह आर्डर नहीं देंगे तब तक नहीं हो सकता है। जब कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था तो उस विभाग के अधिकारियों ने खूब मनमानी की। मैं एक काम के लिए एक अधिकारी के पास गया तो उसने कहा कि जब मंत्री जी आदेश देंगे तभी हम कर सकेंगे। तो मैंने उससे कहा कि मंत्री तो हैं ही, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन वह इधर उधर की टाल मटोल करता रहा। मंत्री जी के आदेश पर भी काम नहीं होता है तो वह आदमी लौट कर आता है और कहता है कि मैं मंत्री जी के पी० ए० और पी० आर० ओ० से करा लूंगा। पी० ए० और० पी० ओ० किसी का भी ट्रान्सफर करवाने में सक्षम हैं। जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी तो भी उस समय बहुत मनमानियां हुई। अमुक जिले में अमुक घटक का विधायक रहता है तो वहां का अधिकारी जरूर उसके प्रभाव में होगा। उसका चीफ मिनिस्टर ने तुरन्त उन अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया। तो, मान्यवर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस पर शासन को विचार करना चाहिये। कोई नियम बना देना चाहिये और फिर किसी को दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर नियम बन जाये तो सारी समस्या दूर हो जावेगी। नियम भी बने है लेकिन मान्यवर, उनका पालन नहीं होता है। पिछले दरवाजे से उनका दुरूपयोग होता है। सही काम नहीं होता है। आप कहते रहिए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय तोमर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप अपने प्रदेश में ट्रान्सफर के मसले को लेकर देखें तो पता चल जायेगा कि हमें सदैव एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्थानान्तरण के लिये नियम बने हुये हैं। लेकिन उन नियमों का पालन नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कर्मचारियों की जो क्षमता है उस पर कुप्रभाव पड़ता है। देश और प्रदेश की प्रगति में बाधा पड़ती है। इसके साथ ही साथ स्थानान्तरण के मसले को लेकर बहुत भ्रष्टाचार होता है और उसकी शिकायतें भी आती हैं। आप यह देखें कि कुछ जगह पर स्थानान्तरण राजनैतिक आधार पर भी होते हैं।

मान्यवर, मैं आपके जरिये भाई तोमर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संकल्प को लाकर यह प्रस्ताव रखा है कि शासन स्थानान्तरण क सिलसिले में अपनी नीति स्पष्ट करे और उसक लिए अपनी नियमावली में, अपने कानूनों में, व्यवस्था में अगर मुनासिब समझ तो कुछ संशोधन भी प्रस्तुत करके एक समय बद्ध नीति लागू करे। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत है और जिस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उसे स्वीकार कर लें। भाई मैनेजर सिंह जी ने जो सुझाव रखा है कि इस कार्य के लिये एक उच्चस्तरीय समिति बनायी जाय जिसमें सदन के भी सदस्य हों और मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्य भी हों, जो इस गम्भीर समस्या पर विचार करें और उसके बाद एक निश्चित नीति बनायें, उससे मैं भी सहमत हूं। इससे हमारे प्रदेश में जो एक अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है, अधिकारियों के सामने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीराम द्विवेदी]

जो तलवार लटकती रहती है, उससे जो उनकी अपनी आवश्यकता की चीजें हैं, जो उनकी समस्यायें हैं, उन पर कभी-कभी भारी आघात पहुंचता है। बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते होते हैं और विभिन्न स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते होते हैं, अगर साल के बीच में ही उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो उनके बच्चों की पढ़ाई को बड़ा नुकसान पहुंचता है। आर्थिक दृष्टि से भी जल्दी-जल्दी स्थानान्तरण करने पर लाखों करोड़ों रुपये का व्यय अधिकारियों पर सरकार को वहन करना पड़ता है। इसको कम करके शासन का अपव्यय बचाया जा सकता है जिसके जरिए हमारे और बहुत से काम हो सकते हैं। आज जो संकल्प सदन में प्रस्तुत हैं, मैं इसका जोरदार शब्दों में समर्थन करते हुए यह उम्मीद करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को पारित करे और शासन स्थानान्तरण के सिलसिले में जो संभावित कारगर नीतियां लागू हो सके उन्हें करें और तुरन्त एक समिति का गठन करे जिसकी संस्तुतियों के आधार पर नियमों में संशोधन करके इस समस्या का हल निकालें।

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सोहन वीर सिंह तोमर ने जो यह संकल्प स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सदन में रखा है, वह देखने और पढ़ने में बहुत अच्छा है।

श्री छोटे लाल "निर्भय" (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके बुलवाने का कोई तरीका भी है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। यह तो मेरे विवेक की बात है। मुझे आपका ध्यान है, हम से ज्यादा और कोई कर भी नहीं सकता है।

श्री बाबू राम वर्मा—

मान्यवर, यह संकल्प पढ़ने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन वास्तविकता में कुछ भी नहीं है क्योंकि ऐसे नियम और कानून हर विभाग में बने हुये हैं जिनका जिक्र इस संकल्प में है। ऐसा नहीं है कि आज 30 साल के अन्दर आजादी के बाद इस विचार के केवल तोमर साहब ही हैं, न जाने कितने सदस्य आये और जायेंगे, ऐसे नियम बने हैं और बनते रहेंगे तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। प्रशासनिक आधार पर जितने स्थानान्तरण होते हैं या होंगे उनमें नियम बाधक नहीं होंगे। यदि प्रशासनिक अधिकारों को सीमित कर दिया जायगा तो कोई भी सरकार हो, उसकी गाड़ी चल नहीं सकती है। अगर यह संकल्प पास हो जायगा तो हम विधायक लोगों का बड़ा नुकसान होगा क्योंकि जब हम किसी ट्रान्सफर के मामले को लेकर जायेंगे तो मंत्री जी कह देंगे कि आप लोगों ने तो संकल्प पास कर दिया है जिससे हम बंधे हुए हैं। लकिन जिसका करना होगा वह इशारे से करा देंगे और यही काम आज भी होता है, न मालूम कितने विधायकगण ट्रान्सफर कराने के लिये या रोकवाने के लिये जाते हैं, मंत्रियों ने अक्सर ऐसा किया है कि सामने लिख दिया है कि ट्रान्सफर कर दिया जाता है, हम संतुष्ट होकर चले आये और 3 महीने के बाद पता यह चला कि मंत्री जी ने ट्रान्सफर नहीं किया बल्कि विभागाध्यक्ष को बुलाकर यह कह दिया कि विधायक आये थे, हमने लिख दिया है और उस पर गौर मत करना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह आम शिकायत विधायकों की रही है कि मंत्रियों के आदेश जो हैं विभागाध्यक्ष मानता नहीं है और उनकी कोई गणना नहीं है। तो आखिर क्यों विभागाध्यक्ष कहता है कि मंत्री का जो आदेश है वह कानून कायदे के अन्तर्गत नहीं था, इसलिए इसका ट्रान्सफर नहीं किया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह के कानून और कायदे हर विभाग में जो बने हुए हैं, मंत्रियों के कहने और टेलीफोन पर ये स्थानान्तरण नहीं रुकते। तो मान्यवर, जब तक हम लोगों का आचरण इस तरह से नहीं बनेगा तब तक इस तरह के संकल्प से कोई लाभ नहीं होगा। यह सदन है जब नियम और कायदे से ट्रान्सफर हुआ करते थे, तो कुछ सदस्यों ने यहां पर आकर धरना दिया कि अगर एस0 एस0 पी0 गोरखपुर का स्थानान्तरण नहीं हुआ, तो हम सदन चलने नहीं देंगे और हम लोगों ने दबाव देकर मुख्य मंत्री से ट्रान्सफर कराया और उन्होंने किया। तो इस तरह से पूरे सदन पर दबाव इस सदन में पड़ा है, तो क्या उस समय माननीय तोमर साहब सदन में नहीं थे ? तो इस प्रकार से किसी अधिकारी के ट्रान्सफर के लिए हम इस तरह से दबाव क्यों डालें ? अगर नियम- कानून के अनुसार किसी का ट्रान्सफर हुआ, तो हमी सदस्यगण प्रश्न करके उस मंत्री पर दबाव क्यों डालते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। जब तक वोट की राजनीति है, तब तक सिफारिशें बन्द नहीं होंगी, तब तक राजनैतिक आधार पर सिफारिशें होंगीं और होती रहेंगी।

हमारे एक मित्र ने कहा कि जो कार्यवाहक मुख्य मंत्री, कार्यवाहक सरकार द्वारा स्थानान्तरण सालों के परिश्रम के बाद नहीं हुये हैं, वह फौरन हो गये घटकवाद के आधार पर। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं उन महाशय से यह कहना चाहता हूं कि आर0 एस0 एस0 का वर्कर मंत्रियों से जाकर काम करा लेता था और हम जैसे विधायक नाक रगड़ कर के रह जाते थे, वह मंत्री सुनते नहीं थे। हम लोग खड़े रहते थे और उनके आर0 एस0 एस0 के लोग उनकी कुर्सी पर बैठे रहते थे, हमको बैठने की जगह नहीं मिलती थी। सभी विधायक उनकी दृष्टि में एक ही है। कल्याण सिंह का पता नहीं चलता था। आर0 एस0 एस0 की कोठी में बैठ कर जो तय होता था, यहां पर आकर वह कार्यान्वित होता था। तो सारी बातें जो हैं वह हम लोगों से छिपी नहीं है। तो कौन ऐसा मंत्री था जिसने इस्तीफा दिया है, उसने घटकवाद के आधार पर कार्य नहीं किया है ? तो उसने शुरू से आखिर तक घटकवाद के आधार पर काम किया है। इस तरह से वास्तव में मैं घटकवाद का पक्षपाती नहीं हूं। न्याय सबको मिलना चाहिये। न्याय के स्तर पर सारे कानून नियम चलना चाहिए। लेकिन न्याय जो है ताक पर रखकर लोगों ने कार्य किया है। इसी के साथ-साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संकल्प के बारे में हम लोगों की जो भी राय है, वह सब को मालूम है, लेकिन ऐसा संकल्प अगर सदन पास करता है, तो उसका पालन जो है, ईमानदारी के साथ होना चाहिये, लेकिन ईमानदारी के साथ पालन होने में भी हमें संदेह है। इसलिए हम समझते हैं कि ऐसे संकल्पों की कोई आवश्यकता नहीं है और सदन को इसे निरस्त कर देना चाहिए।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय श्री तोमर जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसको पढ़ रहा था और पढ़ने पर मैंने वह नहीं समझा जो माननीय सदस्य ने सवाल करके पूछा है। मैंने यह समझा कि वह सुनिश्चित तौर से यह चाहते हैं कि नियमावली बने और नियम के आधार पर तबादले हों। वह तो ठीक है लेकिन दूसरी बात मैंने यह समझा कि जो उन्होंने लिखा है, अगर कोई तबादला नीति के विपरीत हो या अपना तबादला कोई किसी प्रकार के प्रभाव से करा ले तो उस पर अनुशासन की कार्यवाही हो। मैं यह नहीं समझता कि आखिर वह यह क्यों चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

अगर कोई तबादला इसके विपरीत होता है और तबादला करने वाले पर अनुशासन की कार्यवाही हो तो सचमुच सुन्दर होता लेकिन उन्होंने कह दिया जिसका तबादला हुआ है उस पर ही कार्यवाही हो। मैं यह नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों।

दूसरा हिस्सा तो बड़ा भ्रामक है। पहला हिस्सा स्पष्ट है श्रीमन, जहां तक 30 बरस का इतिहास है इस प्रदेश का, नियमावलियां, नियम, जी0 ओ0 का तो मुझे ज्यादा नहीं ज्ञान है लेकिन जो मेरी जानकारी है वह यह है कि कुछ नियमावलियां बनी हैं। लेकिन जितनी नियमावलियां बनी हैं उन सब नियमावलियों में जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा केवल नियम बनाकर एक शब्द डाल देते है, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन ट्रान्सफर होगा शासकीय, ट्रान्सफर हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जनहित में तबादला कर सकता है उस पर कोई मंत्री या अधिकारी जब चाहता है तभी ट्रान्सफर करता है। मैं समझता हूं कि इसे निकाल देना चाहिए।

जैसा कि माननीय मैनेजर सिंह जी ने कहा एक-दो बातों को निश्चित तौर पर सरकार को रखना होगा और यह रखना होगा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने मंडल में ही नहीं बल्कि अपने जिले में मैं तो कहूंगा मण्डल में काम न करें कम से कम वह तीन-तीन, दो-दो बरस एक स्थान पर काम करे। अधिक से अधिक 5 वर्ष रहे और नियमतः उसका तबादला हो। किसी की शिकायत पर उसका स्थानान्तरण न हो। उसको नौकरी से निकाल दिया जाय। उस पर कुछ जुर्माना हो। हमारे-आपके कहने से, विधायकों के कहने से तबादला नहीं होना चाहिए।

यह मर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है और आगे भी मर्ज बढ़ता ही चला जायेगा, तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं इस सरकार को जिसको अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है, नई दुल्हन बन कर आयी है, होगा, मैं तो पुरानी दुल्हन को देख रहा हूं।

श्री मानसिंह आजाद--

लेकिन नई दुल्हन के सहबाला आप ही हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि खासतौर से मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और अन्य मंत्रीगण बैठे हैं, अपने दिमाग को निश्चित कर लें कि किस हद तक ये स्वयं तैयार हैं नियमों से बाध्य होने के लिए।

आपने घटकवाद की बात कही। तो आप 6 महीने के अंदर सुखी हो जायेंगे। अभी मंत्रियों के लिये सरकारी कर्मचारियों के लिये समय नहीं है सोचने का कि कौन सी सड़क कहां हो या कौन सा प्रोग्राम कहां हो।

आप छोटे-छोटे ट्रांसफर्स को छोड़ दीजिये। मैं सचिवों के ट्रांसफर्स की बात कह रहा हूं। जैसे मुख्य मंत्रियों का इतिहास रहा है दो साल तक रहे, डेढ साल रहे या एक साल रहे वैसे ही सचिवों का इतिहास रहा है। एक विभाग में, 6 महीने साल भर रहते हैं फिर बदल जाते हैं। एक-एक वर्ष में यह क्या काम करेंगे। नतीजा यह होता है कि इनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं हो पाती, कभी इस विभाग में और कभी उस विभाग में। 6-6 महीने में भगा दिये जाते हैं। इस भगाने के पीछे एक कारण यह है कि जल्दी-जल्दी बदलती हुयी हमारी सरकार। कांग्रेस आयी तो पहला काम होता है, कि सरकारी तबादले करना जनता पार्टी आयी पहला काम सरकार के तबादले करना। अपनी बिरादरी का ले आये नहीं

मिला तो दिल्ली से ले आये। तो जब आप नियमों के विपरीत बात करेंगे, मैं तो कहता हूं कि आप आत्मघात कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने आत्मघात किया तो आप उससे ज्यादा आत्मघात करने के लिये तैयार हैं। आज सचिवालय में सैकड़ों की भीड़ होती है ट्रांसफर के लिये क्या एम0एल0ए0 उसके जिम्मेदार हैं। मैं तो कहता हूं कि मंत्री जिम्मेदार हैं और आपके नियम जिम्मेदार हैं। मैं तो सुझाव दूंगा इस प्रस्ताव के अन्तर्गत कि तबादलों को देखने के लिये इस प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल होना चाहिये। वह ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट होना चाहिये। एड-मिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को तरह का हो जो देखे कि दिघे साहब ने या उनके सचिव ने नियम के अन्दर तबादला किया या नहीं। खुश हो गये तो आपने कमिश्नर बना दिया और अगर जरा सा नाराज हो गये तो ओ0एस0डी0 बना दिया।

आज राजनीति का शिकार बड़े-बड़े अफसर भी हो गये हैं। कहा जाता है कि यह कांग्रेसी अफसर हैं या यह जनता पार्टी के अफसर हैं। जिस राज्य में सरकारी अफसर को कांग्रेस का अफसर कहा जाय, जिस राज्य में आपने कह दिया कि यह जनता पार्टी का अफसर है उस राज्य का कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिये ट्रिब्यूनल की जरूरत है। हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हैं। करीब 58–60 निगम हैं। इनमें से कम से कम 30–40 निगमों में यहां के बड़े-बड़े अधिकारी पदेन चेयरमैन या मैनजिंग डाइरेक्टर हैं। कोई 6 महीन रहता है तो कोई साल भर रहता है। नतीजा क्या है कि आज उत्तर प्रदेश में पचीस सौ करोड़ रुपये का इन्वस्टमेंट इन निगमों में है और करीब-करीब 50 करोड़ रुपये सालाना का नुकसान है। अगर व्यापारी 25 करोड़ रुपये लगाता है तो अगर 10 प्रतिशत मुनाफा होता तो 250 करोड़ रुपये हो जाता।

आज यह सरकार और केन्द्र की सरकार उस हानि को पूरा करने के लिये टैक्स लगाती है। इस प्रकार सरकार अपने ही नियम ठीक से नहीं बनाती है और न नियमों का पालन करती है। ऐसी सूरत में जो प्रस्ताव श्री तोमर जी ने दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी केवल रश्मी तौर से आश्वासन नहीं देंगे कि हम इसको देखेंगे क्योंकि इनके भूतपूर्व मंत्री कई बार इसको देख चुके हैं इसलिये ठीक से मंत्री जी इसको देखें और नये मुख्य मंत्री ने पहला वाक्य प्रेस में जो दिया था कि विधि का राज्य होगा और विधि के राज्य में पहला काम ट्रांसफर कानूनन होना चाहिए और कोई अधिकारी आपके ऊपर और हमारे ऊपर मुनहसर नहीं होना चाहिये। वह अच्छी तरह से काम कर जिससे प्रदेश की सेवा अच्छी तरीके से हो सके।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री तोमर के द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस संकल्प का सवाल है मैं समझता हूं कि अभी हमारे पूर्ववक्ता श्री वर्मा जी देर से आये थे इसलिये वह उसके सिद्धांत को पूरी तरह समझ नहीं पाये और यदि समझ पाये होते तो शायद इतने कड़े शब्दों में इस संकल्प का विरोध नहीं करते। इसलिये जहां तक सिद्धांत और नीतियों का सवाल है सबको पता है कि पिछले 2 वर्षों में इसके अभाव के कारण हम सबको और मंत्रियों को भी व्यवहारिक कठिनाई उठानी पड़ी है। उस कठिनाई को दूर करने के लिये नियम बनाने की बात कही जा रही है और उसमें सुधार की बात कही जा रही है उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुधार की बात केवल उन्हीं को बुरी लग सकती है जो इसके विरोधी हैं जो इससे लाभ लेते रहे। इसलिये हम इसके सिद्धांतों को समझने की कोशिश करें और इस संकल्प को शासन से मनवाने के लिये शासन को बाध्य करें।

(इस समय 4 बजकर 13 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

[श्री विश्वनाथ पान्डेय]

मान्यवर, मैं सदन के सामने एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक स्थानान्तारण के संबंध में नियम बनाने का सवाल है इसमें नियम तो बनें हैं लेकिन उनका पालन आज तक की सरकारों ने नहीं किया है। लेकिन इस संकल्प में स्पष्ट लिखा है कि इसके लिये स्पष्ट निर्देश और सही दृष्टि से सही नक्शा कानूनी तौर पर हमारे सामने आना चाहिये ताकि यदि कहीं कानून का उल्लंघन होता है तो जिस तरह और चीजों के संबंध में यहां प्रश्न उठाये जाते हैं उसी प्रकार स्थानान्तरण नियमों के गड़बड़ी के भी संबंध में यहां प्रश्न किये जायं और अपने विचार हम लोग व्यक्त करें। किसी कर्मचारी के साथ यदि अन्याय होता है तो हम मंत्री के पास जाते हैं चूंकि नियम नहीं है। केवल हमारी सिफारिश नियम का काम करती है तो इस पर मंत्री कहते हैं कि यह होने वाला नहीं है। यदि मंत्री हमसे प्रभावित हैं तो वह मान भी लेते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं। और यदि कानून होगा तो हम दावे के तथा नैतिकता के साथ, मंत्री के सामने जाकर, जैसे अनेक पहलुओं पर जाकर कहते हैं उसी प्रकार, यदि ट्रांसफर में नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो मंत्री से हम कह सकते हैं। इससे हमारी और मंत्री की कठिनाई कम होगी। नियम होने से यदि हमारे पास सिफारिश के लिये लोग आयेंगे तो हम कह देंगे कि यह नियम के विरुद्ध है इसलिये हमें किसी मंत्री के पास न ले जाओ और यदि मंत्री के पास जायेंगे भी तो वह कह देंगे कि यह नियम के विरुद्ध है। नियम के अभाव में हमारे पास कोई आता है तो हम मंत्री के पास जाते हैं और इस प्रकार हम उनके कृपा के पात्र बने रहते हैं।

मान्यवर, जिस कमी को दूर करने के लिये यह संकल्प पेश किया गया, वह अति आवश्यक है। मैं इस संबंध में एक व्यवहारिक बात और कह देना चाहता हूं। मैं अपने पूर्व वक्ता महोदय से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अभी कहा। मैं उस व्यक्ति का, जो मंत्री नहीं रहे, नाम लेकर बोलना गरिमा के विरुद्ध मानता हूं। मैंसमझता हूं अनजाने में उन्होंने कहा होगा मैं माननीय वर्मा जी से कहना चाहता हूं। उन्होंने आर0एस0एस0 का नाम लिया। मैं पूंछना चाहता हूं कि 4 जून को क्या उनके उप मुख्य मंत्री के लिये वह संघ गंगा जल हो गयी थी और आज नहीं है। उन्हें आर0एस0एस0 का नाम यहां नहीं लेना चाहिये। मान्यवर, आजकल मंत्री बनने के लिये केवल यही मापदण्ड है कि जो आर0एस0एस0 की निन्दा करेगा, वही मंत्री की सूची में जायेगा। हमारे वर्मा जी ने केवल इसी बात को ध्यान में रखकर ऐसा किया है अभी एक घन्टे पहले उन्होंने आर0एस0एस0 का नाम लिया और यहां फिर लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें मंत्री बनाये ताकि वह आर0एस0एस0 का नाम लेना बंद कर दें। सिद्धांतरूप में अगर यह सही है और वर्मा जी ने भी संकल्प स्वीकार किया है, हां अगर किसी सरकार द्वारा उस नियम का अनुपालन में गलती हो, तो आगे आने वाली सरकार उसके अनुपालन में अपने कर्तव्य का पालन करेगी। लेकिन जिस सरकार को हमारे वर्मा जी ने बनाया, उस सरकार पर भी उनका भरोसा नहीं है।

अंत में मैं तहेदिल से इस संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि सरकार इस संकल्प को पूर्णरूप से स्वीकार करे और इसके अनुपालन में शीघ्र कदम उठाये।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तोमर जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा संकल्प बड़े अच्छे समय पर सदन में प्रस्तुत किया है। मान्यवर, जब मैं किसी मंत्री के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमरे के सामने जाता हूं तो मुझे सिनेमा-घर की याद आती है जिसमें लिखा रहता है कि हाउसफुल लेकिन टिकट अंदर ही अन्दर बिकता रहता है। ठीक यही हाल मंत्रियों के यहां का है। बाहर तो हाउस फुल है और अंदर मंत्री जी टिकट बंटवाया करते हैं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक खास चीज की ओर दिलाना चाहता हूं। निश्चित रूप से जब हम कर्मचारियों की सुख-सुविधा का ध्यान नहीं रखेंगे, बड़े अफसरों के शिकंजे से जब तक छोटे कर्मचारियों को मुक्त नहीं करेंगे,उसके लिये कोई कारगर योजना नहीं बनायेंगे, तब तक जनता का कितना ही बड़ा कार्यक्रम क्यों न हो, वह प्रयोग में सफल नहीं होगा। मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने में जो सर्जन खराब होता था, उसको चमोली भेज देते थे या जो रेंजर खराब हो, उसको उत्तर काशी भेज देते थे। जो भी कर्मचारी खराब हुआ, उसको पहाड़ पर भेज दिया केवल पी0डब्लू0डी0 और बन विभाग को छोड़कर क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में रकम भेज देते हैं और यही हाल बन में है। लेकिन यह बात बड़े दु:ख से कहना पड़ता है कि हमने बड़ी-बड़ी कसमें खाई कि सारे प्रदेश को एक दृष्टि से देखेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। अत: मैं इस लोकप्रिय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। आज भी जो कमिश्नर या डी0 एम0 बदनाम होगा, बड़ा अफसर घूस लेने में या चरित्र में भ्रष्ट सिद्ध हो जायेगा, उसको पहाड़ पर भेज देते हैं। उसको पहाड़ में खपाने की कोशिश की जाती है। इसलिये मैं इस लोकप्रिय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस परम्परा को छोड़ दीजिए। अगर कोई अच्छा आदमी पहाड़ पर नियुक्त हो जाता है तो उसके लिये समस्या हो जाती है। लोग समझते हैं कि इसके चार पी लगा है। या तो इसका प्रोमोशन हुआ है या पनिश किया गया है या प्रोवेशन पर आया है या फिर पोल्सन से आया है।

मैं चाहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश की भोली जनता के सामने कुछ वायदे किये हैं, इसलिये हमारी सरकार इस नीति पर, भले ही वह गैर सरकारी संकल्प हो, इस पर विचार करे और उसी के अनुसार अपनी नीति निर्धारित करें। अभी एक व्यक्ति विशेष के नाम को लेकर चर्चा हुई। यह हमारे घर का मामला है। लेकिन मेरा निवेदन है कि पहले मंत्री अपने को सुधारें फिर विधायक सुधारें। उसके बाद बड़े अधिकारी और विधायक अपने आप सुधर जायेंगे। जब तक मंत्री नहीं सुधरेंगे तब तक हम जनता के वायदे को पूरा नहीं कर सकते हैं।

इस समय भ्रष्टाचार का अड्डा शिक्षा विभाग है। इसके अन्तर्गत चाहे नियुक्ति हो, चाहे ट्रांसफर हो घूस देना पड़ेगा। पति-पत्नी को अलग करना है तो घूस, पति पत्नी को एक जगह करना है तो घूस। यहां पर हर मामले में घूस का सहारा लेना पड़ता है। शासन इस ओर ध्यान दे। दूसरा अड्डा ए0जी0 आफिस इलाहाबाद का है। एक बेचारे रिटायर हुए उनकी मृत्यु भी हो गई और साल भर बाद वर्षी भी हो गयी लेकिन उनका मामला तय नहीं हो पाया। मेरा निवेदन है कि जनता शासन को निडर होकर काम करना चाहिये। आप आई0ए0 एस0 के भ्रष्ट अधिकारी को निकाल बाहर कीजिए उसके बाद नीचे वाले अपने आप ठीक हो जायेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर आप मेरी सुरक्षा की गारन्टी दें तो नाम भी बता सकता हूं लेकिन मैं जानता हूं आप मेरी सुरक्षा की गारन्टी नहीं दे सकते। जब मुख्य मंत्री के पेट में छुरा भोंक दिया जाता है तो मैं कौन सी चीज हूं। आज छोटे कर्मचारी दु:खी हैं। ग्राम सेवक दु:खी हैं, पंचायत सेवक दु:खी हैं और कोआपरेटिव का छोटा कर्मचारी दु:खी है। बड़े अफसर तो इंगलैंड, अमेरिका और फ्रान्स रिटर्न हैं। उन्होंने गांव म काम नहीं किया है। नतीजा यह होता है कि सारा का सारा कर्मचारी वर्ग उनको खुश करने में लगा रहता है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मैं बद्री–केदार क्षेत्र का रहने वाला हूं। जब गर्मी का मौसम आता है बड़े-बड़े अफसर अपने चाचा, मामा और ताऊ को यात्रा हेतु ले

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान]

जाते हैं और अगर उनको तहसीलदार ने मुर्गा न दिया या अण्डे में कमी होगी तो उसकी सामत आ जाती है। आप सोचें यह पटवारी और तहसीलदार कहां से इकट्ठा करेगा। वे कहते हैं कि बहन के गहने नहीं बेच सकते, बच्चे को गिरवी नहीं रख सकते। इस बात की सी0 आई0 डी0 द्वारा छान-बीन कराई जानी चाहिये। इसी तरह से यह जो बड़े-बड़े दौरे होते हैं उन पर भी नियंत्रण होना चाहये।

मान्यवर, यह जो संकल्प है मैं इसका समर्थन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि यह संकल्प पास होगा और इसके द्वारा बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा।

*श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, माननीय तोमर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इस विषय पर माननीय सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं और पूरे सदन की, हमको आशा है, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर गौर से विचार करेगी।

मान्यवर, हम लोग जनता से चुनकर सदन में इसलिए भेजे जाते हैं कि उन के विकास बेरोजगारी, गरीबी और उन तमाम महत्वपूर्ण समस्याओं को सदन में प्रकट कर सकें, शासन के सामने रख सकें लेकिन हमने, माननीय सदस्यों ने, इस बात का अनुभव किया है कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण या उनकी और कठिनाइयों के संबंध में व्यवहारिक रूप से जितना समय विधायकों और शासन का जाता है उसके संबंध में सरकार को कोई नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं और अगर आप अपनी सरकार को सुदृढ़ और दृढ़-संकल्प वाली बनाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित रुप से कोई दृढ़ संकल्प आपको करना पड़ेगा। राज्य कर्मचारी, शासन के लोग, कोई विदेश से आये लोग नहीं हैं। किसी न किसी मंत्री के, विधायक के, रिश्तेदार हैं, उनके क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक दो, दस बीस आदमियों का मामला नहीं है लाखों लोग इस शासन से जुड़ हुए हैं सरकारी कर्मचारी के नाते, सरकारी अधिकारी के नाते। लकिन जिस कदर से मान्यवर, मैं कहूंगा, अराजकता इसमें है वह कहीं देखने को नहीं मिलती। सरकारी कर्मचारी विधायकों के पास आते क्यों हैं। जहां तक मैंने महसूस किया ऐसे हजारों मामले हैं जिन के सम्बन्ध में कोई विधायक किसी मंत्री के पास न गया हो, कोई दबाव न पड़ा हो। दो तीन मामले तो मेरी व्यक्तिगत जानकारी में हैं। कृषि विभाग का एक इन्सपेक्टर सन् 72-73 में निलम्बित हुआ। सी0 आई0 डी0 ने उसके माफिक रिपोर्ट दी कि इसके खिलाफ कोई आरोप नहीं निकलता। मैंने असेम्बली में प्रश्न पूछा, माननीय मंत्री जी से बार-बार आग्रह किया कि अगर दोषी कर्मचारी है तो नौकरी से निकाल दिया जाय। इस तरह के हजारों केसेज हैं जिन में बिना किसी विधायक के हस्तक्षेप के कोई कार्यवाही नहीं होती। हमारे वरिष्ठ मंत्री दिघे जी सदन में मौजूद हैं मैं आग्रह करूंगा कि नई सरकार पूरी कैबिनेट के फैसले से कोई नीति निर्धारित करे और उस नीति के आधार पर काम करे। यदि कोई मंत्री उस नीति के खिलाफ कार्यवाही करता है स्थानान्तरण को रोकता है या करता है तो उस मंत्री क विरुद्ध सेन्सर की कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए।

माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में भूतपूर्व मंत्री जी का उल्लेख किया। यह बात सही है कि कुछ ऐसे डाक्टरों का स्थानान्तरण हुआ लखनऊ के अस्पताल से जो अमूल्य-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वान थे। विधायकों की इच्छा नहीं थी कि उन्हें यहां से बाहर जाने दिया जाय लेकिन उस नीति के तहत उन को जाना पड़ा। मैं इस नीति का स्वागत करता हूं। यह बात सही है कि उस नीति को स्पष्ट करने के कारण ही कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी या अधिकारी किसी विधायक के पास नहीं जा सका। इसी तरह से नई सरकार भी एक नीति स्पष्ट करे। आप को वक्त मिलेगा, विधायकों को वक्त मिलेगा, जो आप के यहां भीड़ लगी रहती है, लाबीज में, सचिवालय में, वह निश्चित रूप से कम होगी।

मैं आप के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो आप के सुनिश्चित आदेश हैं, प्रशासनिक आदेश हैं, उन का पालन नहीं होता है। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जैसा कि माननीय हरीसिंह जी ने पूरब पश्चिम की बात कही, उनको यदि बुन्देलखण्ड के रहने वाले हैं तो उत्तराखण्ड भेज दिये जाते हैं और यदि उत्तराखण्ड के रहने वाले हैं तो बुन्देलखण्ड भेज दिया जाता है। मान्यवर, इस प्रकार उन की घर की स्थिति बिगड़ जाती है, उनको दिक्कत होती है और वे शासन की सेवा समुचित रूप से नहीं कर पाते और उन का मन अपने घर पर लगा रहता है खास तौर से छोटे कर्मचारियों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इसलिए तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण रीजन के अन्दर और चौथे श्रेणी कर्मचारियों का जिले के अन्दर किया जाना चाहिये। बड़े-बड़े अधिकारी या कर्मचारियों को आप तमाम प्रदेश में ले जाइये और उन से काम कराइये।

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जो माननीय विधायकों ने राय दी है, इस के सम्बन्ध में आप कोई रिव्यू कमेटी, छानबीन करने वाली कमेटी, चाहे आयोग के नाम पर हो, निश्चित रूप से बनायें जिस में सदन के सदस्य, विरोधी पक्ष के तथा सत्ता पक्ष के हों और जो तीन महीने, छः महीने में बैठे और यह छानबीन करे कि जिन विभागीय कर्मचारियों या अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया हो उन का आधार क्या था, उनके खिलाफ क्या आरोप था जिस के कारण स्थानान्तरण करना पड़ा। जैसा कि माननीय श्याम धर मिश्र जी ने कहा आप इस परम्परा को डाले। हमारे देश में लोकतंत्र है जहां सरकार के बदलने के साथ शासन नहीं बदलता, सरकारी कर्मचारी नहीं बदलते और हर सरकार यह अपेक्षा करती है कि उस के कर्मचारी फेथफुल हों। इससे यह भावना फैलती है कि कुछ कर्मचारियों को विशेष पार्टी से लगाव हो जाता है।

यहां तक देखा गया कि कोई विधायक किसी ऐसे पार्टी से आता है, ऐसे क्षेत्र से आता है जिससे सरकारी कर्मचारी पर उसका प्रभाव पड़ता है, वह विधायक के घर आता जाता है, यदि इस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई ठोस आधार हो तो उसको जरूर सजा दीजिए लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि इस देश में लोकतंत्र के हित में, प्रशासन के हित में, सरकारी कर्मचारियों को किसी दलगत राजनीति से जोड़ना इस प्रदेश और देश के हित में नहीं होगा। अगर आपकी यह समझ में आता है तो चाहे किसी भी पार्टी का शासन क्यों न हो, कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, यदि किसी विशेष राजनीतिक दल से संबंधित है तो उसका कोई हक नहीं है शासन में रहने का। उसको आप बर्खास्त कर दीजिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रोज आपकी सरकारें बदलती हैं। अभी इतना बड़ा बहुमत जनता पार्टी का आया था, जो मंत्रिगण बने उनको पूरी उम्मीद थी कि मंत्रिमण्डल चलेगा, इतनी जल्दी मंत्रिमण्डल में परिवर्तन नहीं होगा। आप कैबिनेट के अन्दर कोई सही नीति इस सम्बन्ध में अपनाइये। इस तरह से सरकारी कर्मचारियों में भी एक आस्था पैदा होगी कि जहां उनकी पोस्टिंग हो रही है वह सुनिश्चित होगी और राजनीतिक आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय तोमर जी अपने इस संकल्प को वापस नहीं लेंगे और इस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक सूचना दे दूं और उसके बाद मैं माननीय सदस्यों को बुलवाऊंगा।

आज दिनांक 9 मार्च, 1979 को नियम 51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 12 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से मैंने श्री रवीन्द्र सिंह की सूचना जो लखनऊ विश्वविद्यालय में 22 फरवरी, 1979 को सुरेश नामक छात्र को गोली मार कर हत्या करने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र सिंह, श्रीमती मालती शर्मा, श्री राम जी सिंह, श्री गोकरन प्रसाद और श्री आरिफ मोहम्मद खां की सूचना जो 12 फरवरी, 1979 को मुजफ्फरनगर में रविदास जयन्ती पर शोभायात्रा के समय हरिजन बन्धुओं पर हमले के सम्बन्ध में है, को मैंने नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया है। श्री ओंकार नाथ की सूचना, जो दिनांक 20 फरवरी, 1979 से आई जमुना नदी की बाढ़ से साग-भाजी की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न होने से हजारों छोटे काश्तकारों की भुखमरी के विषय में है, को मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह की सूचना, जो बस्ती जिले में गुण्डों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और शेष जो माननीय सदस्यों की सूचनायें आई थीं उनको मैंने अस्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

जो सूचना स्वीकार की गई है उस पर सरकार द्वारा वक्तव्य कब होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये वक्तव्य देने के लिए मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र इसके बारे में वक्तव्य दे दें। होली के बाद पहले दिन जब हाउस बैठे तब वे देंगे 19 को।

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज हमारे माननीय सदस्य द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मै उसके समर्थन के लिये खड़ी हूं। मान्यवर, यह जो संकल्प लाया गया है, यह अत्यन्त आवश्यक था और ठीक समय पर लाया गया है। जहां तक स्थानान्तरण के नियमों, कानूनों तथा जी0 ओ0 आदि का सम्बन्ध है, यह सारी चीजें जो पुरानी थीं, वही आज भी हैं। फर्क केवल इतना सा हो गया है कि पिछली सरकार के समय में स्थानान्तरण तीन साल में होता था और एक साल में होता था लेकिन आज इस सरकार में तबादले बारहों महीने हो रहे हैं। तीन साल का जो नियम था, कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी यदि स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो अपने अच्छे कार्यों के आधार पर वह दूसरी जगह जा सकता था। इसी तरह से ठीक इसके विपरीत अगर कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसकी जनता में शिकायत है, जनता को उससे राहत नहीं है तो एक साल के बाद ही उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता था लेकिन इस सरकार में इतना ध्यान जरूर दिया जाता था अगर कोई आदमी काम करने में ठीक नहीं है तो उसके स्थानान्तरण में इतनी सुविधा अवश्य दी जाती थी कि उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज आये दिन ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारे मंत्रीगण परेशान हैं और आज सही रूप में देखा जाय तो लोकतंत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का गलत ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। हमारे बीच में पहाड़ी इलाके से एक भाई आते हैं। उन्होंने अभी कहा कि ये शिकायतें तबादले के सम्बन्ध में हो रही हैं और उनका सुझाव था कि सबसे पहल मंत्रीगण अपना सुधार करें, उसके बाद विधायकगण सुधार करें और तीसरे नम्बर पर अधिकारी व कर्मचारी वर्ग अपना सुधार करें। लेकिन मैं कहूंगी कि पहले नम्बर पर हमारे विधायकगण दोषी हैं। जहां वह देखते हैं कि उनका राजनीतिक लाभ अमुक अधिकारी द्वारा नहीं हो रहा है वहां वह झट से एक बहुमत बना लेंगे और मंत्री महोदय के सामने उसकी शिकायत पेश कर देंगे और जिले से इतनी दूरी पर बैठे मंत्रीगण विधायकगण की बात पर विश्वास करते हैं और बहुमत के आधार पर कर्मचारी तथा अधिकारीगण को हमारे विधायकगण कभी-कभी परेशान कर देते हैं।

मैं अपने जिले की बात कहती हूं। पुलिस ने वहां बड़ी सक्षमता तथा कार्यकुशलता से कार्य किया लेकिन विधायकगण की स्थिति यह है कि वह ऐसे योग्य तथा सक्षम अधिकारियों के खिलाफ भी जनता को गुमराह करते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप अच्छा तथा ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति मारा जाता है। यह रवैया अगर माननीय सदस्यगण का रहेगा तो स्थिति क्या होगी? स्थिति यह होगी कि जो अच्छा तथा ईमानदार आदमी है और काम में दिलचस्पी लेता है उसका उत्साह भंग होता है और उसकी आस्था सरकार के प्रति घट जाती है और वह फिर लगन तथा ईमानदारी से काम नहीं करेगा। इस हाउस के सदस्य तो 5 साल के बाद पुनः लौटेंगे इससे उनके द्वारा तो गड़बड़ियां कम होती हैं लेकिन चूंकि अपर हाउस के सदस्यगण की कोई जिम्मेदारी होती नहीं है और उनको वे सभी सुविधायें मिलती हैं जो इस सदन के सदस्यों को मिलती हैं जिसके कारण वे इतनी अधिक गड़बड़ियां पैदा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके साथ हम भी लाइन में जुड़ जाते हैं। मंत्री को तो कागज पर देखना होता है। उनके दस्तखत कागज पर हुए और कोई अधिकारी उस हस्ताक्षर का शिकार हो गया। दूसरी तरफ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वह अधिकारी जो अत्यन्त भ्रष्ट है उसके प्रति हमारे सदस्यगण कोई कदम नहीं उठाते। मेरे पास जीता जागता उदाहरण है।

कांग्रेस के समय में मेरे जिले में एक प्रमुख अधिकारी का किस्सा आया। वह अधिकारी हमारी निगाह में काफी गलत कार्य करता था। उसकी नीयत तथा कारनामों से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ थे। हमने उसका स्थानान्तरण कराया। कुछ दिनों तक वह दूसरे जिलों में रहे। बहुत परेशान थे लेकिन उनका सौभाग्य पलटा। जैसे ही हमारी सरकार बनी हमारे इस सदन के कुछ भाई लोग उनके पास पहुंचे। वह अधिकारी और हमारे भाई लोग इतने कृपालु हो गये कि उनके ऊपर हमारे भाई लोगों ने कुछ पैसा भी खर्च किया। श्रीमन्, मैं कहने में जरा भी हिचकिचाऊंगी नहीं और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनके ऊपर खर्च किया गया, समय बरबाद किया गया और टोलियां बनाकर कभी किसी होटल में कभी किसी पिक्चर हाउस में पैसा खर्च किया गया। मैं ही एक सदस्या थी जिसने कि जब मेरे कमरे में वह अधिकारी 10/12 लोगों के साथ आये तो मैंने कहा कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। तब उस अधिकारी ने कहा कि आप नहीं करेंगी तो क्या मेरा काम नहीं होगा। काम होगा विधायिका जी, आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि यह हाल है हमारे सदस्यगणों का। तो मेरा सुझाव है कि जो हमारी जिम्मेदारी है उसे हम भी देखें। यदि हमारे भाई सुधर जायं तो यह समस्या हल हो जायगी।

पिछली बार हमारे दिल्ली के नेता यहां आये थे। वहां भी खबरें पहुंचती रहती हैं। उनका कहना था कि इस बारे में एक नीति बनायी जाय। आज हमारे मंत्रीगणों ने अपने कमरों के आगे तख्तियां लटका रखी हैं कि "स्थानान्तरण के सम्बन्ध में बात न करें"। मैं पूछती हूं कि क्या इन तथ्यों पर ध्यान दिया गया? क्या दिल्ली से जो लोग आये उनके कहने

[श्रीमती रामरती देवी]

पर कोई अमल किया गया । मैं कहना चाहती हूं कि सारा दोष हमारे भाई लोगों का है । यदि हम ठीक से काम करें, अधिकारी सही रूप में काम करें तो इस संकल्प को लाने की जरूरत ही नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

श्री छोटे लाल 'निर्भय' (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाई सोहनवीर सिंह तोमर जो संकल्प लाये हैं उसके संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । यह संकल्प अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के सम्बन्ध में है । वास्तव में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को बरबाद करने वाले इस देश के ऊंच अधिकारी हैं और इसके साथ ही साथ नेता, मंत्री और हम विधायक भी हैं । 30 साल के बाद जनता सरकार का उदय हुआ है । पिछली सरकार समाप्त हुई । हम एक संकल्प लेकर आय थे । जनता के बीच एक विश्वास हमने दिया था कि हम जनता के लिये चुनाव जीत कर जा रहे हैं और जनता की सुख सुविधा के लिये कानून बनायेंगें और जनता की रोजी-रोटी, कपड़ा-मकान और उसकी सुरक्षा और सम्मान की व्यवस्था करेंगे । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । यहां आकर कई घटक मिलकर सरकार बनाये । जब से घटकवाद की लड़ाई शुरू हुई तब से हमारे अधिकारी हमारी सरकार को सरकार नहीं समझे और विपक्ष के लोगों ने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को उकसाया और उन्होंने अन न और आन्दोलन का रूप खड़ा कर दिया । ऐसा बड़े अधिकारियों के इशारे पर हुआ । संयोगवश कुछ ऐसे मन्त्री बना दिये गये जो बड़े नेताओं की कृपा पर हुए । उनको भी सही जानकारी नहीं । उन्होंने भी आदेश दिया किन्तु अधिकारियों ने उस आदेश का पालन नहीं किया । यही बातें कही जा रही हैं माननीया रामरती देवी ने कहा कि इसमें सारे विधायकों का दोष है । तो विधायकों का दोष कहां है? दोष तो अधिकारियों का है जो मंत्रियों को कुछ समझते ही नहीं । हमारे मन्त्री जी भी इस इस ढंग के हैं कि सही ढंग से प्रशासन को नहीं चला पा रहे हैं ।

हमारे मन्त्रियों को यह बात याद होगी कि उनके अधिकारी उनके आदेशों का सही पालन नहीं करते हैं । हमारे जितने आइ0 ए0 एस0 रैंक के अधिकारी हैं वह सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और न सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं । यह बात सही है कि यह सरकार नई बनी है इसमें 24 कैबिनट रैंक के मंत्री बन गये हैं लकिन वह भी संतुष्ट नहीं हैं । कुछ विधायक-गण तो इसलिए संतुष्ट नहीं हैं कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया लेकिन कुछ मंत्री इसलिए संतुष्ट नहीं हैं कि उनको अच्छा विभाग नहीं मिला । जब इस तरह का रवैया रहेगा तो सरकार ठीक से काम नहीं कर पायगी । आपको जो भी विभाग मिला हो उसके बारे में सही जानकारी हासिल करें और आपके आदेशों का पालन अधिकारीगण सही ढंग से करें । अगर सही ढंग से अधिकारी सरकार के आदेशों का पालन कर रहा है तो विधायक लोग उसके ट्रांसफर के बारे में लिखकर दें तो ऐसी हालत में विधायकों की बात नहीं सुननी चाहिये । लेकिन इस बात को ध्यान में रखिये कि जो विधायक चुन कर आता है वह अपने क्षेत्र का जिम्मेदार है । विधायक ही मंत्री होता है मंत्री होने पर जब वे जिले में जाते हैं तो जिले के वरिष्ठ अधिकारी वह आपकी चम्चागिरी में लग जाते हैं चाहे वह कप्तान हो या डि0 वाई0 एस0 पी0 चाहे एस0 डी0 एम0 चाहे कलेक्टर वह मंत्रियों के स्वागत में लग जाते हैं और सारे जिले का प्रशासन ठप हो जाता है और आप उन अधिकारियों के गलत कामों पर ध्यान नहीं देते हैं और डाक बंगले से बिदा होकर सलामी लेकर चले आते हैं । आपके यहां बंगले में हजारों रुपये की कालीन बिछा दी गयी आप स्वर्ग भोग कर रहे हैं इसलिए उस जनता का ध्यान भूल जाते हो जो आपको चुनकर भेजी है ।

हमारी सरकार ने एक योजना बनाई कि गावों की ओर चलो और एक अंत्योदय कार्यक्रम शुरू करो अंतिम गरीब को ऊंचा उठाने के लिए । उसमें कितना रुपया खर्च हुआ कितने गरीबों को पैसा मिला आज तक उसकी सही जानकारी नहीं है । वास्तव में गरीब पर दृष्टि

नहीं गई । इसी तरह पिछली सरकार ने गरीबों को भूमि बांटी और यहां प्रस्ताव आता है कि सारी जमीनों पर गरीबों को कब्जा मिल गया है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर सही माने में देखा जाय तो आज तक उन गरीबों को कब्जा नहीं मिला है। कागज पर भले ही कब्जा मिल गया हो अधिकारियों ने लिख दिया हो लेकिन सही माने में उन्हें कब्जा नहीं मिला । मैं कहूंगी कि राजस्व मंत्री विधायकों की एक कमेटी बनायें जो हर जिले में जाय और सही जानकारी हासिल करें सरकार को रिपोर्ट दे तब सरकार माने कि उनको जमीन दिलाने में यह सरकार कितनी सक्षम है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें ।

श्री छोटे लाल निर्भय--

मैं जिस जिले से चुन कर आया हूं वहां से दो जनता पार्टी के विधायक हैं बाकी विपक्ष के हैं हमारे जिले का प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है । मैं बसों की बात बताता हूं परिवहन मंत्री जी को, वहां 112 गाड़ियां डिपो में खड़ी हैं एक भी सरकारी गाड़ी नहीं चल रही हैं और सारे जिले में प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं । वहां के जो अधिकारी हैं वह 8--10 हजार रु0 महीना ले लेते हैं और सरकारी गाड़ी ठप करके प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री छोटे लाल निर्भय--

जब इस तरह से जिले का प्रशासन चलेगा और इस तरह से मंत्री मंत्रिमण्डल में शामिल होंगे तो देश का कल्याण नहीं होगा । अभी नई सरकार बनी है उसमें कुछ नये मंत्री आये हैं लेकिन कुछ पुराने ही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार एक क्राइटेरिया या नियम बनाये कि कर्मचारी अधिकारी तीन साल के बाद किसी एक जगह न रहे और पांच साल से ज्यादा एक मण्डल में न रहे और जनता शिकायत पर माननीय विधायक लिखकर देते हैं तो उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री छोटे लाल निर्भय--

एक मिनट और . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब जो आप बोलेंगे कार्यवाही में वह लिखा नहीं जाएगा ।

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं तोमर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है । आज भ्रष्टाचार को मिटाने की बात आती है, वह बढ़ रहा है । मंत्रियों के दौरे में गाड़ियां न दौड़ें कमिश्नर और सचिव. . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी बात सुन लीजिये मैं आपको रोक नहीं रहा हूं । मैं आपको ठीक 4.59 पर मना कर दूंगा फिर अगले दिन आपका भाषण होगा ।

श्री शिवलाल मित्तल—

वह उनके आगे पीछे न रहें, चापलूसी में न लगने का मौका पाएं, तो स्थानान्तरण कराने का और प्रश्रय पाने का अवसर न वह उठा पाए। अभी हमारे बाबू राम वर्मा जी यहां बोल गये, एक चिट्ठी हमारे पास है, चीफ इंजीनियर राठी की। एक शिकायती पत्र था पी० एन० गुप्ता के खिलाफ लिखा गया कि उसे सस्पेन्ड किया जाए। गबन तो नीचे से निकलता है। दूसरी चिट्ठी है कृषि मंत्री की, उन्होंने अपने समय में मंडी समिति के चेयरमैन चुने हैं फिर पिछले समय में उन्हें बदल दिया। वे किस गुट के थे उन्हें क्यों बदला गया? फिर यही काम आगे हुआ कलेक्टरों का ट्रांसफर हुआ 15 तारीख को उन्हें चुनाव का सामना करने के सिलसिले में हटाया गया। मार्च का महीना था शिक्षा सत्र का बीच था वर्ष समाप्त होने को था किन्तु वोट प्राप्त करने के लिए उनका ट्रांसफर किया गया। अब वही लोग कहते हैं कि आर० एस० एस० के लोगों ने यह कराया है। आज आर० एस० एस० वर्मा जी और राजनारायण जी को जहर लग रहा है। राजनारायण जी जब केन्द्र में मंत्री थे आर० एस० एस० अच्छा था और जब वह मंत्री से निकाल दिये गये तो वह बुरा हो गया। यह दुर्नीति नहीं होनी चाहिये।

मैं तोमर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका भाषण समाप्त हुआ, वह अगले असरकारी दिवस को जारी रहेगा।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्लोजर मूव होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको तो मैंने रोक दिया।

1978-79 के अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1978-79 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

इसका कुछ आप बता दीजिये, टैक्स वगैरह तो नहीं लग रहे हैं?

श्री मधुकर दिघे—

अब हम इस पर चर्चा उस दिन कर लेंगे, आज इसको बंट जाने दीजिये।

(अनुपूरक अनुदानों का साहित्य सदस्यों को वितरित किया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं 12 मार्च को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर सोमवार, 12 मार्च, 1979 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
9 मार्च, 1979।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

जनपद का नाम	मृतकों के नाम व पते	दी गई सहायता की धनराशि	
		अहेतुक सहायता	गृह निर्माण सहायता
1	2	3	4
	सर्वश्री—	रु0	रु0
1—देवरिया ..	(1) सन्तोष कुमार आत्मज मोतीचन्द्र, पता, तिवारी पट्टी, पडरौना	1,000	..
2—शाहजहांपुर	(1) श्रीमती फूलमती पत्नी प्यारेलाल (2) श्रीमती कमला देवी पत्नी बाबूराम (3) तथा उसका एक दिन का बच्चा सिटी क्षेत्र मोहल्ला, दिलाजाक, शाहजहांपुर।	400 प्रति परिवार	..
3—बदायूं ..	(1) श्री श्रीपाल, पुत्र श्री गंगा दीन निवासी घोसपुर, बदायूं।	..	200
4—मुजफ्फरनगर	(1) श्री भूरू पुत्र सैनी, ग्राम मुन्डेट परगना झिंझनो, मुजफ्फरनगर	1,000	..
5—बलिया	(1) हवलदार पुत्र रामसेवक ग्राम अधिसिझुआ	1,000	..
	(2) रामबहादुर पुत्र रामसेवक ग्राम फतेहराय का टोला	1,000	..
	(3) बवन पुत्र लोचन ग्राम सीसोटार	1,000	..
	(4) संतोष कुमार पुत्र दर्शन सिंह ग्राम चांदपुर	1,000	..
6—बहराइच ..	(1) दुलारे पुत्र फकीरे तहसील केशरगंज	1,000	..
	(2) हनुमान पुत्र खेदू की दो वर्ष की लड़की	1,000	..
	(3) रामफेर पुत्र सोभाराम तहसील भिन्गा	सहायता के लिए निर्धारित पात्रता की परिधि में नहीं थे।	
	(4) फेरन पुत्र बद्री तहसील भिन्गा	1,000	..
	(5) मोहम्मद बशीर पुत्र मौला तहसील भिन्गा।	1,000	..
7—अल्मोड़ा ..	(1) श्री पान सिंह पुत्र मोहन सिंह ग्राम टाना, पोस्ट आ0 सोमेश्वर तहसील अल्मोड़ा।	3,000	..

1	2	3	4
	(2) श्री पान सिंह पुत्र हरक सिंह ग्राम जिनखोला, पोस्ट आ0 गरुड़ तहसील बागेश्वर ।	3,000	..
	(3) श्रीमती भवानी देवी पत्नी श्री जमन सिंह ग्राम लाट, तहसील अल्मोड़ा ।	1,000	..
8—बस्ती ..	(1) राम लखन पुत्र गोकुल ग्राम करनपुर, तहसील बस्ती ।	सहायता के लिए निर्धारित पात्रता की परिधि में नहीं थे ।	
	(2) दरबारी लाल पुत्र राम सरन लाल ग्राम गनेशपुर तहसील बस्ती ।	1,000	..
	(3) अख्तर हुसैन पुत्र तकदीर हुसेन ग्राम बैरागल तहसील हरैया ।	1,000	..
	(4) सन्तराम पुत्र राम मिलन ग्राम सुरवारु खुर्द, तहसील बांसी ।	1,000	..
	(5) राम स्वरूप पुत्र दुर्गा, ग्राम कटहा तहसील बांसी ।	1,000	..
	(6) सर्वजीत पुत्र राम गरीब ग्राम सुखार कला तहसील बांसी ।	1,000	..
	(7) हरिश्चन्द्र दुबे पुत्र बद्री नरायन ग्राम गनवरिया, डुमरियागंज ।	1,000	..
	(8) हयाती पुत्र बामदार ग्राम पिपरा छंगद तहसील डुमरियागंज	1,000	..
	(9) राम औतार पुत्र दयाराम ग्राम सकातपुर तहसील डुमरियागंज	1,000	..
	(10) राम बहाल पुत्री हुनमुन ग्राम सिरौली बाबू तहसील हरैया	मृतक के पिता सहायता लेने को तैयार नहीं हुए ।	
9—गोरखपुर	(1) श्रीमती छंगुरी पुत्र बनवारी	100	..
	(2) कौशिल्या पुत्री बनवारी	1,000	..
	(3) खूबलाल पुत्र बनवारी, निवासी ग्राम सोहगी बरवा	..	..
	(4) श्रीमती धनरजिया पत्नी बापत	100	..
	निवासी ग्राम सोहगी बरवा	1,000	..
	(5) सुखदेव पुत्र खेलावन ग्राम	100	..
	हरषा डोमरी	1,000	..
	(6) शिव पुत्र छांगुर, ग्राम बनपुरवा	1,000	..
	(7) सलीम पुत्र हनीफ ग्राम चौकड़ी	1,000	..
	(8) मोहम्मद हदीस पुत्र हासिव ग्राम समरी तहसील बांसगांव	1,000	..

1	2	3	4
	(9) रामगति पुत्र अशरफी ग्राम हरैया तहसील सदर	1,000	
10—वाराणसी	(1) श्रीमती बसन्ती, पत्नी सुमेर खटिक ग्राम सिकरोल	100	..
11—गोंडा	(1) कु0 सिराजुल पुत्री श्री सतार ग्राम खडौबा तहसील जरबगंज	100	..
	(2) मंगल पुत्र बुधई ग्राम समदा तहसील बलरामपुर	1,000	..
	(3) राम शब्द पुत्र गंगा सागर ग्राम हंसबा डोल, तहसील बलरामपुर	1,000	..
	(4) सोमई पुत्र राम अवध निवासी बरईपुर तहसील बलरामपुर	1,000	..
	(5) इब्राहीम पुत्र यार मोहम्मद ग्राम काल बंकट पुरवा अली नगर, तहसील उतरौला	1,000	..
	(6) बीपत पुत्र सुखराज ग्राम केशव नगर ग्रांट तहसील उतरौला	100	..
	(7) श्री जानकी पुत्र गया प्रसाद ग्राम घनश्यामपुर ग्रान्ट तहसील उतरौला	सहायता के लिये निर्धारित पात्रता की परिधि में नहीं थे ।	
12—चमोली	(1) प्रताप सिंह का एक पुत्र ग्राम सैंकोट	500	300
	(2) मली सिंह का एक पुत्र, तहसील चमोली	700	300
	(3) श्री पत्नी	सहायता के लिये निर्धारित पात्रता की परिधि में नहीं थे ।	
13—पिथौरागढ़	(1) श्रीमती नन्दा बल्लभ ग्राम कोट गाड़ी तहसील डांडी हाट तथा उनके दो पुत्र ।	3,000	..
	(2) श्री परन सिंह ग्राम नैनीलो तहसील पिथौरागढ़ तथा उनकी एक पुत्री व एक भतीजा	3,200	..
	(3) श्री राजेंद्र राम ग्राम नैनोली तहसील पिथौरागढ़	1,000	..
	(4) गोबिन्द बल्लभ ग्राम बड़ावे तहसील पिथौरागढ़	1,000	..
	(5) श्री रामदत्त ग्राम बड़ावे तहसील पिथौरागढ़	1,000	..
	(6) श्री भवानी दत्त ग्राम भतोली तहसील पिथौरागढ़	सहायता के लिये निर्धारित पात्रता की परिधि में नहीं थे ।	

1	2	3	4
14—उत्तरकाशी	(1) श्री घूघर सिंह निवासी ढोगी तहसील पुरोला	1,000	..
	(2) श्री थप्पू पुत्र जयानन्द निवासी बितरी तहसील पुरौला	1,000	..
	(3) श्री जैरू पुत्र तोता, निवासी कुठार तहसील रागढो	1,000	..
15—मेरठ	(1) कु0 रुखसाना पुत्री बशीर, दारुद गरान मेरठ नगर	1,000	..
	(2) अनिता पुत्री राम किशन, ग्राम मलियाना मेरठ	1,000	..
	(3) श्री अल्ला महर पुत्री मंगली ग्राम अलीपुर नगोला, मेरठ	1,000	..
	(4) हरीश चन्द्र पुत्र अमभासिंह, रसलपुर औरंगाबाद मेरठ ।	1,000	..
	(5) मु0 पुरजो विधवा हेता, इसलामाबाद छिलौरा मेरठ	1,000	..
	(6) श्रीमती चमोली देवी स्त्री शेरसिंह सिखेड़ा, मेरठ	1,000	..
	(7) श्री सतबीर पुत्र बलजीत ग्राम नेक परगना मेरठ	1,000	..
	(8) श्री मगन पुत्र रामपुत्र हरदेवा पठखास मेरठ ।	1,000	..
	(9) श्री रफीक पुत्र छोटे, अमीन नगर उर्फ भूडवारल मेरठ	1,000	..
	(10) श्री इकबाल पुत्र मो0 उमर, सराय जीन मेरठ ।	1,000	..
	(11) कु0अनीता पुत्री नबाब बानो सराय मेरठ ।	1,000	..
	(12) श्री कल्लू पुत्र बाबू खां, दारूद गरान मेरठ शहर ।	1,000	..
	(13) कु0शमीम बेगम पुत्री श्री रजा पत फमाज अली मेरठ ।	1,000	..
	(14) श्री अ0जमील पुत्र अ0गनी पठ खास मेरठ।	1,000	..
	(15) कु0 सुधा पुत्री राम चरन, मु0 पंजाबी पुरा मेरठ ।	1,000	..

1	2	3	4
..	(16) श्रीमती भगवानी स्त्री समवसिंह अहमद नगर बढला मवाना मेरठ	1000	..
..	(17) श्री शुकरातो पुत्र करीमुल्ला, मेघराज पुर मवाना मेरठ।	1000	..
..	(18) मु0 समरती विधवा राम देवा, माछरा मवाना मेरठ।	1000	..
..	(19) अखलाक पुत्र नूर मोहम्मद, अमर पुर माछरा मवाना मेरठ।	1000	..
..	(20) लड़का श्री रियासत अली सरधना मवाना मेरठ।	1000	..
..	(21) कु0 नरफतमा पुत्री शरीफ खजूरी अलयापुर मवाना मेरठ	1000	..
..	(22) कु0 इस्लाम फात्मा पुत्री शरीफ, खजूरी, अलयापुर मवाना मेरठ।	1000	..
..	(23) श्री रणवीर पुत्र घसीटा, समौली सलीमपुरा सरधना मेरठ।	1000	..
..	(24) कु0 इन्द्रा पुत्री गंगा शरण, इकडी सरधना मेरठ।	1000	..
..	(25) कु0 सन्तो पुत्री गंगा शरण, इकडी सरधना मेरठ।	1000	..
..	(26) छोटे पुत्र बुधू ग्राम कैली सरधना मेरठ।	1000	..
..	(27) हर चन्द्र ग्राम गोटका सरधना मेरठ।	1000	..
..	(28) श्रीमती रामो स्त्री समोसिंह ग्राम बहादुर पुर सरधना मेरठ।	1000	..
..	(29) श्रीमती राम वत्ती बेवा कृष्ण पात, ग्राम औरंग नगर सरधना मेरठ।	1000	..
..	(30) मु0 बाला पुत्री दीन सिंह ग्राम खपराना सरधना मेरठ।	1000	..
..	(31) भागमल, बामनौली सरधना मेरठ।	1000	..
..	(32) खलील अहमद पुत्र वशीर, ग्राम वरनावा सरधना मेरठ	1000	..
..	(33) पोनू, ग्राम बरनावा सरधना मेरठ।	1000	..

1	2	3	4
	(34) नूर हसन पुत्र नूर अहमद ग्राम बरनावा सरधना मेरठ	1000	..
	(35) छोटी, ग्राम बरनावा सरधना मेरठ ।	1000	..
	(36) दयानन्द पुत्र ओसको, ग्राम सरूरपुर सरधना मेरठ ।	1000	..
	(37) कु0 फहमोदा पुत्री नाम सक्का बागपत मेरठ।	1000	..
	(38) कु0 फरीदा पुत्री नान सक्का, बागपत मेरठ।	1000	..
	(39) कु0 उमेश पुत्री राजवीर जाट, सरूरपुर बागपत, मेरठ।	1000	..
	(40) सीमा पुत्री राजवीर, सरूरपुर बागपत मेरठ ।	1000	..
	(41) मु0 इमली स्त्री मलखान सिंह पुरा बागपत मेरठ ।	1000	..
	(42) मु0 अतली स्त्री भवंर सिंह किशनपुर विराल वागपत मेरठ।	1000	..
	(43) श्री बलबीर पुत्र मूला, किशनपुर बिराल बागपत मेरठ	1000	..
	(44) कु0 होशियारी पुत्री नानक, विजरोल बागपत मेरठ।	1000	..
	(45) मु0 सनछरी बेवा मंगल मुसलमान रटोल बागपत मेरठ।	1000	..

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 91 पर)

आवंटियों की अनुसूची 'क'

क्रम सं0	नाम व पिता का नाम	जाति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	विवरण
1	मु0 मुरती बेवा गनेश	चमार	5263 मि0	0–91	
2	श्री सीता राम पुत्र सुमेसर	केवट	,,	0–92	
3	गनेश पुत्र बनवारी	चमार	,,	0–92	
4	गौरी पुत्र बनवारी	,,	,,	0–91	
5	मु0लक्षमीना बेवा त्रिवेनी	खटिक	,,	0–92	
6	सुन्नर पुत्र जयपाल	धोबी	,,	0–92	
7	रामधारी पुत्र उमर	चमार	,,	0–92	
8	औतार पुत्र गरजन	खटिक	,,	0–92	
9	जस पुत्र जालिम	दुसाध	,,	0–92	
10	भोला पुत्र लोचन	चमार	,,	0–92	
11	सुक्खु पुत्र सोभी	,,	5110 मि0	1–02	
12	राम प्रसाद पुत्र सोभी	,,	,,	1–02	
13	भोला पुत्र रामदेव	,,	1988 मि0	0–94	
14	छेदी पुत्र मगरू	,,	,,	0–94	
15	मु0मुरती बेवा डोमई (मृतक)	धोबी	,,	0–94	वारिस लड़का शंकरवरामा
16	टीकर पुत्र गुजर	नोनिया	,,	0–95	
17	सहदेव पुत्र धन्नी	राजभर	,,	0–95	
18	शिवरतन पुत्र दुब्बर	,,	,,	0–94	
19	अयोध्या पुत्र बेंचू	धोबी	,,	0–94	
20	शिव प्रसाद पुत्र गनपत	लोहार	,,	0–94	
21	कोलाहल पुत्र बेचन	चमार	,,	0–94	
22	लालसा पुत्र मुसई		5110 मि0	1–02	
23	सन्हू पुत्र शिवधर	,,	,,	1–02	
24	सहदेव पुत्र बेचू	,,	5110मि0	02–59	
25	कौड़ी पुत्र रमेसर	,,	5165 मि0	0–43	
26	मु0 मिनकी बेवा धारी (मृतक)	,,	,,	1–01 0–01	वारिस लड़का छेदी
27	जगरनाथ पुत्र लोचन	,,	5263 मि0	0–91	
28	मु0परमजोता बेवा रघुनाथ	,,	,,	0–92	
			योग	26–60 एकड़	

नोट:–अनुसूचित जाति को 21–90 एकड़ तथा पिछड़ी जाति को 4.70 एकड़ भूमि दी गई है।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 133 पर)

प्रदेश में स्थित शीतगृह की भण्डारण क्षमता एवं विभिन्न मण्डलों से भेजे गए आलू की मात्रा का विवरण

क्रमांक	मंडल का नाम	शीतगृहों की संख्या	भंडारण क्षमता (कुंटल में)	रिक्त भंडारण क्षमता (कु0में)	भंडारण हेतु प्रतीक्षित मात्रा	रेल द्वारा भेजे गये आलू की मात्रा		ट्रक द्वारा भेजे गये आलू की मात्रा	नैपेड क्रय कुंटल में	अभ्युक्ति
						लादे गए वैगनों की संख्या	मात्रा कुंटल में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेरठ	78	14,90,020	1,970	..	166	27,320	1,88,000	1,147	..
2	आगरा	41	7,06,496	..	..	751	1,11,827	58,072	..	..
3	बरेली	79	12,22,499	13,752	..	515	72,757	1,96,115	25,114	..
4	लखनऊ	49	10,14,693	42,698	..	..	..	21,200	300	..
5	इलाहाबाद	93	34,44,000	..	..	8,512	11,44,795	18,78,000	65	..
6	फैजाबाद	35	5,26,588	..	..	5	822	53,120	..	..
7	गोरखपुर	30	4,55,150	26,663	..	..	..	..	..	..
8	वाराणसी	58	8,33,892	..	..	978	1,35,395	70,189	..	..
9	झांसी	2	12,600	2,239	..	..	..	..	..	..
10	कुमायूं	3	50,481	4,120	..	..	..	10,520	..	..
11	पौड़ी	1	620	..	..	61	12,400	4,93,102	..	..
	योग ..	469	97,57,039	91,442	..	10988	15,05,316	29,78,318	26,626	..
	बंद ..	6								
		475								

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 86 वि0सभा—29-3-79-(948)—1980—835 (हि0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा